

धर्म-निरपेक्ष भारत में इस्लाम

मुशीर-उल-हक़

मनुवादक
मुनोश सचिवा



दायानुष्ठान

1977

©

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज
शिमला

©

हिन्दी अनुवाद
राधाकृष्ण

प्रथम संस्करण : 1977

मूल्य : 20 रुपये

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला
की ओर से प्रकाशक
राधाकृष्ण प्रकाशन
2 अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

मुद्रक

कमल प्रेस, गांधीनगर द्वारा
गोपाल प्रिंटिंग प्रेस
दाहरा, दिल्ली-110032

अपने गुरुवर
प्रोफेसर विलफ्रेड कैटवेल स्मिथ को

क्रम'

भेट	5
आभार	9
1. भूमिका	11
2. पर्म-निरपेक्षता ? जी नहीं :	
पर्म-निरपेक्ष राग्य-गता ? पच्छा, मान से	16
3. धार्मिक विद्या	34
4. धार्मिक पर्म-प्रदर्शन	
परिपाठी की प्राभागिकता	57
5. धार्मिक गंयेदनशीलता और कानून	68
6. भासक पर्म-निरपेक्षता	92
7. निष्कर्ष	105
परिचयित्व : 1	110
परिचयित्व : 2	111
परिचयित्व : 3	113
परिचयित्व : 4	115
सम्पादनी	118
प्रश्न-जवाबी	122
मनुष्यमणिका	126

आत्मार

इंडियन इंस्टीचूट थ्रॉफ एडवास्ड स्टडीज, शिमला में तथा उसके बाहर से इस पुस्तक के लेखन में मुझे जिन-जिन से सहायता मिली है, उनका धन्यवाद करना मेरा सुखद कर्तव्य है। अपने साथी डॉ० सतीश सब्बरवाल का मैं विशेषतः धृणी हूँ—उन्होंने इस प्रबन्ध के पहले भागिकों को पढ़ा और मूल्यवान सुभाव पेश किये। मैं डॉ० एस० आविद हुसैन का भी आभारी हूँ कि अपनी अनेकानेक व्यस्तताओं में इसके अन्तिम प्रारूप को पढ़ने की उन्होंने तकलीफ गवारा की। भौलाना मिराज-उल-हक्क, जो कि देवबन्द के दाखल-उलूम के वाइस प्रिसिपल है, भौलाना मुहम्मद रवी नदवी (दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा) और डॉ० मुहम्मद नजानुल्लाह सिद्दीकी (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) के प्रति इस अध्ययन के वास्ते विशेष सामग्री भेजने के लिए धन्यवाद।

यह कहना अनावश्यक है कि इन भानुभावों में से किसी पर भी इस पुस्तक में दिये गये तथ्यों की व्याख्या अथवा विचारों का दायित्व नहीं आता; यदि कही जरूरी हो तो केवल लेखक यही कह सकता है : 'यदि भेरी पुस्तक किसी धार्मिक आस्था को गलत ढंग से व्याख्यायित करती है तो खुदा मुझे बर्खों, और यदि उस आस्था की वेहतर समझ में इससे मदद मिलती है तो—इसका श्रेय केवल खुदा को ही है।'

भूमिका

धर्म-निरपेक्ष भारत में इस्लाम का सम्पूर्ण चिन्ह प्रस्तुत करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। इसका लक्ष्य केवल यह पता लगाना है कि धर्म-निरपेक्षीकरण की शक्तियों के प्रति भारतीय मुसलमानों का रवैया क्या है।

भारतीय मुसलमानों के एक छोटे-से हिस्से को छोड़कर उनका बहुमत कदाचि 'धर्म-निरपेक्ष' नहीं है; वे 'धर्म-परायण' हैं, इस अर्थ में कि सांसारिक जीवन के प्रति अपने इष्टिकोण को निर्धारित करने में अधिकांश मुसलमान धर्म को ही अपना मार्गदर्शक मानते हैं।

इस वर्तमान परिस्थिति के लिए अलग-अलग लोग अलग-अलग कारण बतायेंगे : कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमानों का आर्थिक पिछङ्गापन ही उन्हें धर्म-निरपेक्षीकरण के आनंदोलन से अलग रखता है; कुछ लोग यह तर्क देंगे कि इसका कारण भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में निहित है; कुछ अन्य लोगों को देश में व्याप्त साम्प्रदायिक द्वेष ही इसका मूल कारण लगता है। ये सब कारण इसमें योग भले ही देते हों पर इस्लाम के बारे में मुसलमानों की धारणा ही धर्म-निरपेक्षीकरण के प्रति उनके विरोध का मुख्य कारण प्रतीत होती है। वे समझते हैं कि उनका धर्म लौकिक जीवन के स्वतन्त्र अस्तित्व को, जोकि धर्म-निरपेक्षता का आधार है, स्वीकार करने का निपेद करता है।

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय जनता ने शायद अपने इतिहास में पहली बार यह निश्चय किया कि उसका धर्म और उसकी राजनीति जीवन के दो अलग-अलग दोग्र होंगे। हो सकता है कि भारत के अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के लिए राजनीति को धर्म से अलग करना इतना सूलक्षृत परिवर्तन न रहा हो, दर मुसलमानों के लिए यह प्रचलित व्यवहार की दिशा को बिलकुल ही दूसरी दिशा में मोड़ देने के बराबर था।

व्यवहार से अलग भी, स्वयं इस्लामी विचारधारा में धर्म और राजनीति परस्पर इस तरह गुंथे हुए हैं कि उनकी अलग-अलग कल्पना ही नहीं की जा

सकती। पर परिस्थितियों का प्रभाव ऐसा था कि पिछले कुछ समय से मुस्लिम समाज के धार्मिक नेताओं, अथवा उलमाओं को भी इस बात पर सहमत होना पड़ा कि धार्मिक बातों को राजनीति के क्षेत्र से अलग रखा जाय।

धर्म पर मुसलमानों की परम्परागत निर्मतता को देखते हुए शायद यह भवसर उन्हें धर्म-निरपेक्षीकरण की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए अनुकूल था, पर ऐसा नहीं है कि भारत के राजनीतिक और बौद्धिक नेताओं के पास इसके लिए कोई सुव्यवस्थित कार्यक्रम नहीं था। जनमत का लगभग हर नेता अपनी सारी शक्ति धर्म-निरपेक्षता की बातें करने में ही व्यय कर देता था, उसके व्यवहार में सशक्त करने के लिए कुछ भी नहीं करता था।

इस प्रकार धर्म-निरपेक्षता एक अस्पष्ट-सा घट्य मात्र रह गया; और प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुक्षिक, धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि के अनुसार उसकी व्याख्या करने के लिए उन्मुक्त था। बास्तव में, धर्म-निरपेक्षता और धर्म के पारस्परिक सम्बन्ध को केवल द्वेष अथवा उदासीनता के प्रसंग में देखा जाता था, जिसका निर्धारण बहुत बड़ी हद तक इस बात से होता था कि इन शब्दों को प्रयोग करने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि व्या है।

2

कुछ गडबडी शब्दार्थ के कारण भी थी; 'सेव्यूलरिज्म' एक अ-भारतीय शब्द था और भारतीय जनता इस कल्पना से भी परिचित नहीं थी। दूसरी भारतीय भाषाओं में जो कुछ हुआ वह ध्यान देने योग्य है; उदू में, जोकि भारतीय मुसलमानों की सार्वत्रिक भाषा है, इस शब्द का अनुवाद हमेशा ला-दीनियत या ग्रैं-मज़हबियत किया जाता था, जिसका अर्थ होता है 'अ-धर्म'। इस प्रकार जब भी अंग्रेजी के किसी ऐसे वाक्य का अनुवाद, जिसमें 'सेव्यूलर' शब्द का प्रयोग किसी भी रूप में किया गया हो, उदू में किया जाता था तो उसका भाव अर्हचिकर हो जाता था। उदाहरण के लिए प्राक शीर्षक था : 'सेव्यूलर ट्रॉड्स इन कनटेनरोरी मुस्लिम यॉट', अर्थात् समकालीन मुस्लिम विचारधारा में धर्म-निरपेक्ष प्रवृत्तियाँ; उदू में इसका अनुवाद किया गया 'मुस्लिम जैहन पर ला-दीनी असरात मौजूदा जमाने में', जिसका अर्थ है 'आधुनिक मुस्लिम विचार पर अ-धर्मी प्रभाव'। इस प्रसंग में इस लेख का उद्दृश्य सार पढ़ने में बहुत अजीब लगता है। मूल लेख में सर सैयद और मोहसिन-उल-मुल्क, सैयद अमीर अली आदि उनके दूसरे साथियों के अलावा शाह बली उल्लाह, भौलाना अबुल कलाम आदाद, भौलाना सैयद मुनेबान नदवी और मौलाना उबैदुल्लाह सिधी को 'धर्म-

'निरपेक्ष' प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि बताया गया था। हम लेखक से इस बात पर भले ही असहमत हों कि शाह बली उल्लाह को सर संयद के साथ या मौलाना आजाद को अमीर अली के साथ वयों नस्ती किया गया; लेकिन 'सेक्युलर' शब्द का अनुवाद उर्दू में 'ला-दीनी' (अ-धर्मी) कर देने के बाद आलोचक ने अपनी टीका-टिप्पणी का अन्त बड़े तकँसंगत ढंग से इन शब्दों में किया : "लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे धर्म-सुधारक बड़ी त्रिजी से विधर्मी होते जा रहे थे और इस्लाम को नास्तिकता के सांचे में ढालने का प्रयत्न कर रहे थे।"³ जो लोग इन सुधारकों के जीवन और उनकी शिक्षाओं से परिचित हैं उन्हें तो अंग्रेजी के इस लेख का उर्दू अनुवाद बहुत ही बेतुका लगेगा, पर उन लोगों को नहीं जिन्होंने अपने मन में यह इद धारणा बना ली है कि धर्म-निरपेक्षता की भाड़ में भारत के इस्लामी अतीत को जान-बूझकर तोड़-मरोड़कर और शलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

3

धर्म-निरपेक्ष भारत में मुस्लिम समाज को अपनी धार्मिक विशिष्टता को बनाये रखने में उससे कही अधिक दिलचस्पी है जितनी कि आम तौर पर समझी जाती है। परम्परागत इस्लामी शिक्षा देने के लिए रूपये-पैसे और अपनी प्रशासन-व्यवस्था के मामले में सरकारी नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त मदरसे स्थापित करने की और उनकी निरन्तर बढ़ती हुई रुचि और लगभग हर बात का निर्णय करने में धार्मिक मार्गदर्शन के लिए मदरसों के पढ़े हुए उलमा पर फ़तवों के माध्यम से उनकी अंधी निर्भरता इस बात का प्रमाण है कि इस समाज का धर्म से कितना अटूट सम्बन्ध है। चूंकि ये उलमा जटिलतम आधुनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बहुत पहले स्थापित की गयी कार्य-प्रणाली अपनाते हैं, इसलिए समाज को जो धार्मिक परामर्श मिलता है वह वहां निराशाजनक हृद तक वस्तु-स्थिति से असंगत होता है।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि मुस्लिम विरोध-भावना का दोष उलमा पर उतना नहीं है जितना कि उन मारतीय बुद्धिजीवियों और जनमत के कर्णधारों पर, जिन्होंने पहले तो इस समाज पर धर्म के प्रभाव को बहुत कम करके आका, उलमा के साथ विचार-विनिमय के लिए संचार का माध्यम स्थापित करने की आवश्यकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार अपने को मुस्लिम जनसाधारण से दूर कर लिया; दूसरे, वे मुस्लिम समाज को यह नहीं समझ पाये कि धर्म-निरपेक्षता वास्तव में धर्म की काट नहीं है; और तीसरे,

उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि धर्म का मुसलमानों के लिए वया महत्त्व है।

मुसलमान के लिए धर्म एक नीतिक दर्शन मात्र नहीं, उसके अतिरिक्त भी बहुत-कुछ है। आज धर्म उनके लिए एक 'प्रणालीवद्ध' जीवन-पद्धति है, जिसे वे 'शारीअः' (इस अरबी शब्द का समासगत रूप 'शारीअत' उद्दे में अधिक प्रचलित है—अनु०) कहते हैं, जिसके अनुसार इंसान अपने हर काम के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है। यनुष्य का हर काम शराबिद्यों पहले बनाये गये जायदे-कानूनों के अनुसार होना चाहिए। भले ही उनमें से बहुत-से लोग शारीअः के पावन रहकर अपना जीवन न विताते हों, फिर भी वे अपनी इच्छा से विसी ऐसे सुफ़ाव के आगे आत्म-समर्पण करना नहीं चाहेंगे, जिसके बारे में उन्हें यह बताया गया हो कि वह शारीअः के विशद है।

भारतीय धर्म-निरपेक्षतावादियों ने, वे हिन्दू हों या मुसलमान, गलती यह की कि उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को बहुत कम करके आँका और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें रुद्धियों में जकड़ा हुआ मुस्लिम समाज धर्म-निरपेक्षता को एक धर्म-विरोधी धृक्षित समझने लगा। परिवर्तन के प्रति मुसलमानों के 'कटूर विरोध' का कारण बहुत-कुछ हृद तक यही है।

4

भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता न केवल मुसलमानों को स्वीकार्य है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में, वे इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता का विचार इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि आम तौर पर उसका अभिप्राय एक ऐसी राज्य-सत्ता समझा गया जो धर्म के प्रति निष्पक्ष हो अर्थात् जिसमें हर सम्प्रदाय को अपने ढंग का धार्मिक जीवन ध्यतीत करने की पूरी स्वतन्त्रता हो। 'धार्मिक' और 'धर्म-निरपेक्ष' की विभाजन-रेखा स्पष्ट रूप से इंगित नहीं की गयी थी और लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार उसकी व्याख्या करने की छूट थी। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक आदमी के हॉटिकोण के अनुसार विवाह और तलाक धर्म के क्षेत्र में आते थे और दूसरे के अनुसार यह धर्म-निरपेक्षता के क्षेत्र की बातें थीं। चूंकि मुसलमानों का बहुमत अब भी पारिवारिक जीवन को धार्मिक क्षेत्र की बात समझता है, इसलिए शासन-तन्त्र की ओर से उसमें तनिक भी हस्तक्षेप धर्म-निरपेक्षता-विरोधी क़दम समझा जाता है। राज्य-सत्ता धर्म-निरपेक्ष तभी तक है जब तक वह इन बातों की निपक्षिय दर्शक रहे; पर दूसरे लोग इस उदासीनता को धर्म-निरपेक्षता का नियंत्र समझते हैं।

'आधुनिक' और 'धर्म-निरपेक्ष' मुसलमान भी, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने अपने को शारीआः के बन्धनों से मुक्त कर लिया है, आज तक मुस्लिम विशिष्टता से, बहुधा भारतीय मुस्लिम संस्कृति के रूप में, अपना नाता नहीं तोड़ सके हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को बचाये रखने की अधिक चिन्ता है। परन्तु धर्मोन्मुख मुसलमानों की तरह इन लोगों की समाज में कोई जड़ें नहीं हैं। गैर-मुस्लिमों के लिए तो ये 'मुस्लिम' हैं; पर मुसलमानों के बीच वे अजनबी हैं।

इन प्रारम्भिक टिप्पणियों के बाद आइये, अब हम आगे बढ़ें।

टिप्पणियाँ

1. गोईन शाफिर, 'सेव्यूलर डेमोक्रेसी', नई दिल्ली, वार्षिक धंक, 1970, पृ० 91-94
2. अनुल कर्त्ताह, सपादक के नाम पत्र, साप्ताहिक, 'सिद्धक-जदीद', लखनऊ, वर्ष 20, धंक 22, 1 मई, 1970, पृ० 4 घोर 8
3. उपर्युक्त, पृ० 8

धर्म-निरपेक्षता ? जी नहीं : धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता ? अच्छा, मान लेंगे

भारत के संविधान में देश को एक 'प्रभुसत्तात्मक लोकतात्प्रिक गणराज्य' की संज्ञा दी गयी है, पर उसमें 'धर्म-निरपेक्षता' का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।¹ भारतवासी पिछली दो दशाविद्यों से धर्म-निरपेक्षता की बातें कहते रहे हैं किर भी इस शब्द का कोई स्पष्ट और निश्चित अर्थ निर्धारित नहीं हुआ है। इसलिए यह प्रश्न करना उचित नहीं है कि धर्म-निरपेक्षता का वास्तव में अर्थ है क्या—विशेष रूप से मारतीय प्रसंग में?

द आर्बेसफ़ोर्ड इंसिटिउ डिक्शनरी (1961) की परिभाषा के अनुसार 'सेव्यूलरिज्म' शब्द का अर्थ है : "यह सिद्धान्त कि वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र का कल्याण ही नीतिकाता का एकमात्र आधार होना चाहिए, उसमें ईश्वर अथवा किसी मात्री राज्यसत्ता के प्रति आस्था से उत्पन्न किसी धारणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।"² धर्म-निरपेक्षता की यह धारणा भारत के संविधान की मावना के अनुकूल नहीं होती जिसमें प्रत्येक नागरिक को 'आत्मा की स्वतन्त्रता' और धर्म पर आस्था रखने, उसका पालन और प्रचार करने की ईश्वर को वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के उच्च पदों के लिए शपथ लेने की जो विधि निर्धारित की गयी है उसमें ईश्वर को साक्षी जानकर शपथ लेने की अनुमति है। यह सच है कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है : पद प्राप्ति करने वाला संविधान के प्रति अपनी आस्था की 'गम्भीरतापूर्वक घोषणा' कर सकता है। पर ये विकल्प जिस क्रम से दिये गये हैं उसमें ईश्वर को साक्षी जानकर शपथ लेने वाला विकल्प गम्भीरतापूर्वक घोषणा करने वाले विकल्प से पहले आता है।³ यह बात शब्दकोष में दी दी हुई 'सेव्यूलरिज्म' की परिभाषा के प्रतिकूल है जिसमें ईश्वर के किसी भी उल्लेख के लिए स्थान नहीं है। ईश्वर में आस्था रखे बिना

कोई भी व्यक्ति उसे साक्षी जानकर ईमानदारी और सच्चाई के साथ कैसे शपथ ले सकता है ?

2

अनेक भारतीयों ने भारतीय राज्य-सत्ता की नीति के रूप में धर्म-निरपेक्षता की परिभाषा इस ढंग से की है कि उसमें 'ईश्वर के प्रति आस्था' को न तो अस्वीकार किया गया है और न ही उसे कोई नगण्य स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का वृद्ध कथन है कि धर्म-निरपेक्षता का 'अर्थ' न अर्थमें है, न नास्तिकता, न ही उसका अर्थ है भौतिक सुख-सुविधा पर बल देना। इस सिद्धान्त में केवल आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले मूल्यों की सार्वत्रिकता पर बल दिया गया है जिन्हें प्राप्त करने के मार्ग विभिन्न हैं।² शब्दकोष में 'सेक्यूलरिज़म' का जो अर्थ दिया गया है उसका उल्लेख करते हुए प्रस्त्यात क्रान्तूनविद् श्री पी० बी० गजेन्द्र गडकर कहते हैं : "इस बात पर बल देना आवश्यक है कि भारतीय धर्म-निरपेक्षता इस नकारात्मक कोटि में नहीं आती। वास्तव में भारतीय धर्म-निरपेक्षता मानव-जीवन में धर्म की उपयोगिता और सार्थकता दोनों ही को स्वीकार करती है।... संविधान के प्रसंग में धर्म-निरपेक्षता का अर्थ यह है कि भारत में जित धर्मों का पालन किया जाता है उन सभी को समान स्वतन्त्रता और संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।"³

बहुत-से मुसलमान भी धर्म-निरपेक्षता का यही अर्थ समझते हैं। उदाहरण के लिए सैयद आविद हुसैन 'धर्म-निरपेक्षता और वैज्ञानिक मनोवृत्ति' के विषय में लिखते हैं :

हमारे देश के लोगों में, और विशेष रूप से मुसलमानों में, धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण या धर्म-निरपेक्षता के बारे में बहुत गहरी आन्त धारणाएँ हैं। वे इसका अर्थ यह समझते हैं कि यह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो जीवन के एक सर्वोच्च मूल्य के रूप में धर्म को सर्वधा अस्वीकार करती है। पर वास्तव में धर्म-निरपेक्षता आवश्यक रूप से न तो धर्म की विरोधी है न उसके प्रति उदासीन ही।⁴

एक अन्य मुसलमान के अनुसार, धर्म-निरपेक्षता "केवल ऐसी विचार-प्रवृत्ति का नाम है जो प्रत्येक आध्यात्मिक सिद्धान्त अथवा धार्मिक पंथ के साथ इसलिए मेल खाती है कि ये सिद्धान्त अथवा पंथ मनुष्य को उसके इस अधिकार से बंचित

धर्म-निरपेक्ष भारत में इस्लाम

नहीं करते कि वह अपने पार्थिव ग्रस्तित्व की समस्याओं का समाधान अपनी समझ के अनुसार और मानव-सुख के सिद्धान्त को मार्गदर्शक मानकर करे।”¹⁷ ऐसा तो नहीं है कि हर भारतवासी धर्म-निरपेक्षता की परिभाषा इसी ढंग से करता हो लेकिन आम तौर पर उनका मत यही है कि धर्म-निरपेक्षता के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें मनुष्य को अपनी पसन्द के किसी भी धर्म पर ग्रास्य रखने और उसका प्रचार तथा पालन करने से रोका जाय। यह मान लेना कि धर्म-निरपेक्षता का ग्रस्तित्व धर्म के साथ भी रह सकता है, तर्कसंगत हो या न हो, पर मह मत बहुत व्यापक है और इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि भारतवासियों ने धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता के विचार का स्वागत वर्णों किया है।

यह याद रखना चाहिए कि जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय भारतीय संविधान के रचयिताओं के सामने इसके अतिरिक्त शायद कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था कि वे धर्म-निरपेक्षता को अपना मार्गदर्शक बनायें। स्वतन्त्रता आनंदोलन के नेता ग्र-साम्राज्यिक और ग्र-पार्मिक नीति के पक्ष में इतने इङ्ग्रीज से बचन-बढ़ थे कि देश के बैटवारे के बाद भी वे अपने इस रखिये से विमुख नहीं हो सकते थे। भारत के मुस्लिम समाज ने भी धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता का स्वागत इसलिए किया कि उसे डर या कि दूसरा रास्ता ‘हिन्दू राज्य’ का है।¹⁸ स्वभाविक ही था कि मुसलमानों में इकां-दुकां का आवाज़ धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता के विरुद्ध भी उठती; उदाहरण के लिए देश के बैटवारे से पहले कहा गया :

अब यह यकीनी जान पड़ता है कि मुल्क दो हिस्सों में बैट जायगा। एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जायगा और दूसरे पर ग्रेर-मुस्लिमों का अधिकार रहेगा। पहले बाले हिस्से में हम जनमत को इस बात के पक्ष में संघटित करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का संविधान इस्लामी कानूनों पर आधारित हो। दूसरे हिस्से में हमारा अल्पमत होगा और आप (हिन्दू) बहुमत में होगे। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक और दूसरे सन्त-महात्माओं की जीवनियों और उनकी धर्मालोचनों का प्रध्ययन करें। कृष्ण करके बैदों, पुराणों, शास्त्रों और दूगरे तो हम आपने यही बहुमत की है कि आप अपना संविधान इसी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकें, प्रापार पर बनाइयें।...पर अगर आपको इनसे कोई दिय मार्गदर्शन न दिलतूर मार्गदर्शन न मिल सके तो इसका यह धर्म नहीं है कि भगवान ने आपको आपने यह कभी दिया ही नहीं था। इसका मतलब यह इतना है कि दोरान इसे सारे-का-सारा

या इसका कुछ हिस्सा कही खो दिया है। हम आपके सामने उसी खुदा की दी हुई वही रहनुमाई पेश करते हैं। इसे स्वीकार करने में संकोच न कीजिये। यह आपकी ही खोई हुई दौलत है जो आपको एक दूसरे रास्ते से मिल रही है। इसे पहचानिये। इसे परखकर देखिये और आप खुद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसी रास्ते पर चलने में आपकी और सारी दुनिया की भताई है।¹⁰

ये शब्द थे मौलाना अबुल-अला मौदूदी के जो कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान चले गये थे।¹¹

पूरे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान शायद ही कोई राष्ट्रवादी नेता ऐसा होगा जिसने धर्म के महत्व के बारे में कोई शंका प्रकट की हो। हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सम्प्रदायों के नेता अपने भाषणों और लेखों में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुधा धार्मिक शब्दावली का ही प्रयोग करते थे।¹² हिन्दू समाज के बारे में तो हम यह कह सकते हैं कि उसके लिए धर्म-सिद्धान्तों का कोई व्यवस्थित और संहितावद्ध समूह नहीं था, वल्कि धर्म को उच्चतर नीतिक मूल्यों के रूप में ही समझा जाता था। पर मुसलमानों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। उनके लिए धर्म नीतिक मूल्यों तक ही सीमित नहीं था; उनके लिए धर्म का अर्थ या शरीर, एक प्रणाली, एक व्यवस्था। यह बात मुसलमानों के मन में बिठा दी गयी थी।

3

सवाल यह उठता है कि भारत के मुस्लिम समाज ने धर्म-निरपेक्षता को एक आस्था के रूप में स्वीकार किया था या केवल एक सुविधाजनक नीति के रूप में ?

इस सवाल का जवाब तब तक पूरी तरह नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम धर्म के अर्थ के बारे में सहमत न हों। शब्दकोश के अनुसार धर्म का अर्थ है मनुष्य का मानवोपरि नियन्त्रक शक्ति को स्वीकार करना, विशेष रूप से अपने ईश्वर को जिसका वह आज्ञाकारी रहे। यहीं तक तो ठीक है। पर दुनियादी सवाल यह है कि मानव-जीवन में इस 'स्वीकृति' और इस 'आज्ञापालन' की भ्रमिव्यक्ति किस रूप में होगी ? क्या ये निजी आस्था की बातें हैं या इनका सम्बन्ध मनुष्य के कर्मों और सामाजिक सम्बन्धों से भी है ? जो लोग धर्म को केवल एक निजी आस्था की बात और नीतिक मूल्यों की रक्षा का साधन मानते

हैं वे शायद यह कहेंगे कि धर्म-निरपेक्षता को एक आस्था के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यद्योः कि “भारतीय धर्म-निरपेक्षता का मूल दर्शन इस युगो पुरानी भारतीय आस्था के साथ पूरी तरह मेल खाता है कि सत्य एक है; परन्तु इस सत्य के पक्ष अनेक हैं और इसलिए ज्ञानी उसका वर्णन अलग-अलग ढंग से करते हैं।”¹³ लेकिन धर्म-निरपेक्षता के प्रति, और धर्म के प्रति भी, यह रवैया दार्शनिक है; यह तभी तक सार्थक है जब तक धर्म की परिभाषा यह वी जाय कि वह केवल आस्था और मनुष्य तथा मानवोपरि शक्ति के बीच वैयक्तिक सम्बन्ध की बात है और उसे इसी रूप में समझा भी जाय, परन्तु उस दशा में नहीं जबकि धर्म सभी लोगों से सम्बन्ध रखने वाली एक प्रणाली, एक संस्था बन जाय। विश्व के धर्मों का इतिहास हमें बताता है कि अपने ऐतिहासिक विकास के दीरान शायद ही कोई धर्म ऐसा होगा जो केवल निजी आस्था की बात रह पाया हो।¹⁴ कम-से-कम इस्लाम तो नहीं रह पाया। अरबी के इस्लाम शब्द का अर्थ अब केवल ‘उम्मन’ नहीं समझा जाता जोकि उसका मूल अर्थ है; अब वह केवल आस्था (‘ईमान’) भी नहीं है; अब उसका अर्थ है एक ‘व्यवस्था’, एक प्रणाली।¹⁵ समय की गति के साथ ‘निजी आस्था’ का धीरे-धीरे ‘प्रणालीबद्ध’ धर्म का रूप धारण कर लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है।¹⁶

भले ही किमी को इतिहास की गति के साथ-साथ एक आस्था का इस प्रकार एक प्रणाली या पद्धति का रूप धारण कर लेना अच्छा न लगे, पर इससे हमारे विषय का कोई सम्बन्ध नहीं है। सच तो यह है कि आज अधिकांश भारतीय मुसलमानों के लिए ‘धर्म’ एक ‘दर्शन’, एक ‘रवैया’ या एक ‘मूल्य’ मात्र नहीं रह गया है; वह एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में उनके जीवन और उनकी आकृत (आगामी सोक) दोनों ही का निर्धारण करती है। बहुत से मुसलमानों के लिए इस अर्थ में धर्म का उस प्रकार की धर्म-निरपेक्षता से कोई मेल नहीं है जिसमें धर्म से उसका सत्तात्मक लक्षण छीन तिया गया हो। उनकी दृष्टि में धर्म से उसका न्याय-स्थान छीन नहीं एक प्रतिगामी बात है।¹⁷

उन लोगों के लिए जो धर्म और धर्म-निरपेक्षता को परस्पर असंगत मानते हुए भी इस बात के पक्ष में हैं कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य रहे, वे केवल राजनीतिक सुविधा के बारण ही ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए, जमायत-इस्लामी (हिन्द) ने इसके बारे में अपने विचार बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रकार घब्रत किये हैं:

सरकार की नीति के रूप में धर्म-निरपेक्षता का कोई विरोध नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ यह है कि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर

किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं बरता जायगा । जमान्त्रत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह चाहती है कि सरकार का धर्म-निरपेक्ष रूप बना रहे ।...परन्तु अगर कुछ लोग इस उपयोगजनित व्यावहारिक सुविधा से आगे भी इसका कोई गहरा दार्शनिक ग्रंथ अपने विचार में रखते हैं तो उनसे हमारा मतभेद है । ये दार्शनिक व्याख्याएँ मूलतः पश्चिमी देशों में उत्पन्न हुई हैं और उनके साथ ऐसी भावना और ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जिसका हमारे स्वभाव और हमारी मावश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है ।¹⁸

परन्तु यह दोषका रवैया अकेले जमान्त्रत का ही नहीं है, भारत के अधिकांश उलमा भी इसी से सहमत हैं । उनमें से बहुतों का विश्वास है कि राज्यसत्ता को तो धर्म-निरपेक्ष रहना चाहिये पर मुसलमानों को उस धर्म-निरपेक्षता से बचाकर रखा जाना चाहिए ।¹⁹

4

जो मुसलमान धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता का तो समर्थन करते हैं पर अनिवार्यतः धर्म-निरपेक्षता के आदर्शों का विरोध करते हैं, क्या वे मक्कार या इस्लामी शब्द-बली के अनुसार 'मुनाफ़िक़' हैं ? जो नहीं, कदापि नहीं । उनकी इष्टि में, धर्म-निरपेक्षता और धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता दो सर्वथा भिन्न बातें हैं । उनका विश्वास है कि धर्म-निरपेक्षता एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो धर्म की विरोधी है, और धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो अपने नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता का आश्वासन करती है ।

पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय उलमा भारत की धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता और उस प्रथम इस्लामी राज्यसत्ता के बीच एक समानता पाते हैं जो उनके विश्वास के मनुसार 622 ई० में पैगम्बर मुहम्मद ने मदीने में स्थापित की थी । रवायत यह है कि पैगम्बर मुहम्मद ने मदीने के यहूदियों के साथ एक समझौता, एक मुआहिदा किया था कि मदीने के दोनों धार्मिक सम्प्रदाय, मुसलमान और यहूदी, प्रबव काफिरों के हमले के खिलाफ मिलकर अपने नगर की रक्षा करेंगे और उसके बाद अपने-अपने ढंग का धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे । उसी मुआहिदे से संकेत लेकर मुस्लिम समाज के धार्मिक-राजनीतिक नेताओं ने भारतीय संविधान की व्याख्या इस रूप में की कि वह भारत के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच एक संविदा, एक मुआहिदा है । यही धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता के ग्रीचित्य

का आधार है। पर जो बात इन नेताओं ने नहीं समझी वह यह थी कि पैगम्बर मुहम्मद और मदीने के यूहूदियों के बीच जो मुआहिदा हुआ था और भारत के मुसलमानों और हिन्दुओं का 'मुआहिदा', अगर हम उसे मुआहिदा मान भी लें, एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न है। मदीने वाले मुआहिदे में अन्तिम और निर्णायिक अधिकार केवल पैगम्बर के हाथों में था। कोई मतभेद होने पर निर्णय उन्हीं को देना था जिसका न कोई विरोध कर सकता था और जो न वापस लिया जा सकता था। लेकिन भारतीय 'मुआहिदे' में यह बात नहीं है। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और लोकतन्त्र में 'मतों' को 'गिना' जाता है 'तोला' नहीं जाता।*

यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि मुसलमानों के धार्मिक-राजनीतिक नेताओं ने धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता के प्रति अपने रखेंये को संगत ठहराने के लिए ही 1947 के बाद पहली बार मदीने वाले इस मुआहिदे पर जोर देना शुरू किया; सच तो यह है कि इससे पहले वाले दौर में भी मुस्लिम राजनीति में इस 'मुआहिदे' का बहुत चर्चा रहा। 'राष्ट्रवादी' उलमा, जो अविभक्त स्वतन्त्र भारत के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ हिन्दुओं के साथ सहयोग करने के अपने तर्क को बल पहुँचाने के लिए हमेशा संकट के समय में इस मुआहिदे का सहारा लेते थे।¹⁰ लेकिन जो उलमा उनके विरोधी थे वे भी इन राष्ट्रवादी उलमा के तर्क का खण्डन करने के लिए इसी मुआहिदे का सहारा लेते थे। उनका तर्क यह था कि पैगम्बर ने यूहूदियों के साथ 'मुआहिदा' किया था जो अहले-किताब थे। और चूंकि हिन्दुओं को अहले-किताब नहीं माना गया है इसलिए उनके साथ कोई भी समझौता सम्भव नहीं है।¹¹ विभाजन के बाद की राजनीतिक परिस्थिति में, जो लोग पहले हिन्दुओं के साथ राजनीतिक सहयोग का विरोध करते थे वे या तो पाकिस्तान चले गये और जो नहीं जा सके वे उन लोगों से 'टक्कर लेने' की स्थिति में नहीं थे जो यह कहते थे कि हिन्दुओं के साथ राजनीतिक समझौता करके वे पैगम्बर के ही पद-चिह्नों का अनुसरण कर रहे हैं। संविधान लेयार होने के दौरान 'राष्ट्रवादी' उलमा ने यह सूत्र प्रस्तुत किया कि स्वतन्त्रता के बाद से मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों के बीच एक धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता की स्थापना के बारे में आपस में एक मुआहिदा हो चुका है।¹² इसमें कोई गुतकं नहीं है।

हम हद से हद यह कह सकते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में भी भारतीय उलमा अभी तक एक ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना परान्द

*उक्त इत्यावत के इस प्रतिष्ठ शेर की पोर है :

जमूरियत इक तर्ह-दूसरत है कि त्रिसमें
बन्दों औ गिना करते हैं तोला नहीं करते।

—पृष्ठ०

करते हैं जो एक बीते हुए युग की भाषा है और वे यह भी नहीं समझते कि अब यह भाषा वेकार पड़ चुकी है। सच तो यह है कि बहुत-से उलमा, शायद अपनी इंद्रियवद्ध शिद्धा-दीक्षा के कारण, अब भी धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता के ग्रोचित्य को उन मध्ययुगीन इस्लामी राजनीतिक सिद्धान्तों की कसोटी पर परखने की कोशिश करते हैं जिनके अनुसार सारी दुनिया को दो भागों में बांट दिया गया था, एक दाखल इस्लाम और दूसरा दाखल-हृष्ट ।²³ यह बात कुछ विचित्र तो अवश्य लगती है कि अब भी भारतीय उलमा और उनके बहुत-से अनुयायी अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आधिक गतिविधियों को धर्म की दफ्टर से जांचने की कोशिश करते हैं, पर यह है सच और इसका कारण यह है कि वे शरीरः को आधार मानते हैं।

5

‘शरीरः’ (जिसका अर्थ है ‘मार्ग’ या ‘पथ’ और आम तौर पर जिसका अनुवाद ‘इस्लामी कानून’ किया जाता है) के बारे में आम मुसलमानों की यह धारणा है कि वह “इस्लामी जीवन-पद्धति है, जिसमें आस्थाएँ, धार्मिक आचार, रीति-रिवाज, सावंजनिक और वैदिक लकानून सभी कुछ शामिल है, यहाँ तक कि उसके अन्दर पहनावे, रहन-सहन, वेश-भूषा और सामाजिक आचार-व्यवहार के नियमों को भी समेट लिया गया है।”²⁴ किसी को शरीरः की इस व्याख्या से मतभेद भले ही हो, पर उसकी व्याख्या उसके शाब्दिक अर्थ या उसकी उत्पत्ति के अनुसार करना हास्यास्पद होगा। जिस प्रकार की विवेचना हम कर रहे हैं उसमें इस बात को ध्यान में रखना हमेशा उपयोगी होता है कि किसी भी शब्द के स्रोत और उसके सामाजिक आशय में बहुत बड़ा अन्तर होता है। इस गवेषणा के आधार पर कि किन-किन परिवर्तनों के बाद शरीरः का शब्द, जिसका अर्थ केवल ‘मार्ग’ होता था, एकमात्र जीवन-मार्ग के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा, एक बहुत उपयोगी शोध-निवन्ध लिखा जा सकता है पर उससे हमारी जटिल समस्या की गुह्यियों को सुलभाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।²⁵ इसलिए अच्छा यही होगा कि आम तौर पर भारतीय मुसलमान शरीरः का जो अर्थ समझते हैं उसी पर हम सन्तोष कर लें।

आम तौर पर भारतीय मुसलमानों का यह मत है कि एक अकीदे या आस्था के रूप में इस्लाम को शरीरः से अलग नहीं किया जा सकता जो उस ‘आस्था की व्यवहारिक अभिव्यक्ति’ है। आस्था का प्रदर्शन व्यवहार में होना चाहिए। और यह व्यवहार उन कायदे-कानूनों के सर्वथा अनुकूल होना चाहिए जो कुक्हा (कानून-विदों) ने इस्लाम के स्वर्ण-युग में मुख्यतः कुरान और पैगम्बर

की डाली हुई परम्पराओं (मुन्नते-रमूल) के आधार पर बनाये थे। इसलिए जीवन के किसी भी अंग को शरीरः की परिधि के बाहर नहीं समझा जाता और उसके उल्लंघन को 'जूम' (अपराध) भी माना जाता है और 'गुनाह' (पाप) भी।¹²⁶

इस प्रकार धर्म-निरपेक्षता और धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता को शरीरः के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इस्लामी इतिहास में पहले भी धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं और इसलिए वह स्वीकार्य है, परन्तु एक सिद्धान्त के रूप में धर्म-निरपेक्षता को इस्लाम से असंगत माना जाता है। चूंकि अभी तक भारतीय मुसलमानों को यह समझाने का गम्भीरता से कोई प्रयास नहीं किया गया है—जैसा कि तुर्की में किया गया है¹²⁷—कि 'सेक्युलरिज्म' एक विदेशी शब्द है और इस्लामी समाज में इसकी व्याख्या इसाई समाज में समझे जाने वाले इसके अर्थ से सर्वथा मिल रूप में की जा सकती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आज परिस्थिति यह है कि भारतीय मुस्लिम 'सेक्युलरिज्म' के अर्थ की सौज में अँधेरे में भटक रहे हैं।

6

वर्तमान परिस्थितियों में धर्म-निरपेक्षता के प्रश्न पर हम मुसलमानों को तीन दलों में बँटा हुआ पाते हैं। एक तो वे जो धर्म-निरपेक्षता को सिरे से ही अस्वीकार करते हैं और उसे 'ला-मजहबियत' और 'कुफ़' का दर्जा देते हैं।¹²⁸ दूसरी श्रेणी में वे मुसलमान आते हैं जिन्हें आम तौर पर 'माधुनिकतावादी' और 'धर्म-निरपेक्षतावादी' कहा जाता है। उनके अनुसार धर्म-निरपेक्षता ला-मजहबियत नहीं है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इस वर्ग का आम मुसलमानों के साथ अधिक सम्पर्क नहीं है। उनके बारे में शक यह किया जाता है कि वे शरीरः का उत्तरा 'एहतराम' (सम्मान) नहीं करते जितना कि आम धरणा के अनुसार एक मुसलमान को करना चाहिए। वे पाठकों और शोताओं के अधिक विश्वृत और 'मिले-जुले' वर्ग की सुविधा के लिए बहुधा अपने विचार अंग्रेजी में ही व्यक्त करना पसन्द करते हैं; जब भी वे अपने विचार, विदेशी रूप से धार्मिक समस्याओं के बारे में, उद्दू में व्यक्त करते हैं, तो उलमा को उनके लेख 'तर्करहित' और बहुधा 'दूसरों के प्रेरित किये हुए' सगते हैं।¹²⁹

तीसरी कोटि में अधिकांश उलमा और मुस्लिम जन-साधारण आते हैं।

वे धर्म-निरपेक्षता को वही तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक वह धर्म के क्षेत्र में राज्यसत्ता की निपटता को व्यक्त करती है। वे दूसरी कोटि के लोगों के आरोपित दारीधः-विरोधी रखेंये के बारण उनका पर्दा फाश करने और उनकी निन्दा करने के लिए हमेशा बहुत मुस्तैद और बेचैन रहते हैं। चूँकि किसी भी चीज़ को शरीग्रः की परिधि से बाहर नहीं समझा जाता इसलिए धर्म-निरपेक्षता के नाम पर शरीग्रः के महत्त्व को घटाने की हर कौशिश पर तीव्र असन्तोष प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार सेक्यूलर फ्लोरम (दिल्ली) के ग्राउंड मीर मुद्राक ग्रहमद ने कहा था कि धर्म-निरपेक्षता का मतलब है सतार के सभी धर्मों के प्रति 'सकारात्मक सम्मान' (मुस्वत-एहतराम) का रखेंया।³⁰ इस पर दिल्ली की जमीग्रते-उलमा के मौलाना अखलाक ग्रहमद कासिमी ने उनकी अच्छी तरह खबर ली। उनके अनुसार धर्म-निरपेक्षता की व्याख्या 'सम्मान' के आधार पर नहीं बल्कि 'सहिष्णुता' के आधार पर की जानी चाहिए। वह कहते हैं :

सकारात्मक सम्मान गतिहीनता को ही जन्म दे सकता है। दो सर्वेया विरोधी दृष्टिकोण एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता तो बरत सकते हैं पर उनसे एक-दूसरे का सम्मान करने की आशा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, किसी मानवतावादी से उन लोगों का सम्मान करने के लिए कैसे कहा जा सकता है जो विभिन्न मनुष्यों के बीच उनके जन्म की परिस्थितियों के आधार पर भेद-भाव बरतते हैं? हम जानते हैं कि जो लोग निजी स्वामित्व के पक्ष में हैं वे पूरी सच्चाई के साथ उन लोगों का सम्मान नहीं कर सकते जो सामूहिक स्वामित्व में विश्वास रखते हैं। यह बात सभी धर्मों में सार्थक है और धर्म भी उन्हीं में से एक है।³¹

ऊपर से देखने में भले ही ऐसा लगता हो कि इन दो परस्पर-विरोधी विचारों का अन्तर केवल शब्दों का खेल है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। सम्मान निश्चित रूप से सहिष्णुता मात्र से इस दृष्टि से भिन्न है कि सम्मान में यह आशय निहित है कि हम दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को उचित स्वान देने को तैयार हैं और अपने दुराग्रहों और पूर्वाप्रहरों पर फिर से विचार करने और उनमें सुधार करने को तत्पर हैं। दूसरी ओर सहिष्णुता कही अधिक निष्क्रिय और केवल उपयोगिता और सुविधा की बात है। सहिष्णुता देश और काल की सीमाओं में जकड़ी हुई है। उसके लिए गहरा लगाव आवश्यक नहीं है। हम उदासीन रहकर भी दूसरों के प्रति सहिष्णु रह सकते हैं—पर इसे सम्मान तो नहीं कहा जा सकता। मुसलमानों के विचारों के संघर्ष का कुल निचोड़ इसी तर्क में मूर्त है।

जो लोग सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, स्पष्टतः उनका अभिप्राय यह होता है कि सभी धर्म सच्चे हैं और हम उनमें से किसी का भी अनुसरण करके 'परम सत्य' तक पहुँच सकते हैं। यह बात उन मुसलमानों की कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती जिनको शरीयः में केवल दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरतने तक की ही छूट दी गयी है। इसलिए कि वे मानते हैं कि ईश्वर या खुदा तक पहुँचने के कई मार्ग भले ही हों पर 'राहे-रास्त' (सीधा मार्ग)^{३२} केवल एक है और वह है इस्लाम। ऐसी परिस्थिति में जबकि मुसलमान की आस्था यह हो कि 'राहे-रास्त' केवल एक है और यह कि उसका सम्बन्ध 'मनुष्यों के लिए बनाये गये सर्वथ्रेठ जन-समुदाय'^{३३} से है, तो फिर वह यह कैसे मान सकता है कि दूसरे धार्मिक पथ भी उतने ही सच्चे ही सकते हैं जितना कि उसका अपना पंथ। वह यह भी जानता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो वह तुम्हें एक ही दल में संगठित कर देगा, लेकिन वह जिसे चाहता है भटकने देता है और जिसे चाहता है रास्ता दिखाता है;^{३४} और यह कि 'धर्म में कोई जब्र नहीं है—सही मार्ग स्पष्टतः गलत मार्ग से भिन्न होता है।'^{३५} मुसलमान यह सब-नुच्छ जानता है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि 'तुम्हारे बीच से ऐसे लोगों का भी एक दल निकलना चाहिए जो तुम्हें नेकी की ओर लाये, तुम्हें बताये कि वया सही है और तुम्हें गलत काम करने से रोके।'^{३६} ऐसी स्थिति में जबकि मुसलमान का विद्वास यह हो कि उसे यह ईश्वरीय संदेश सारी दुनिया में फैलाना है, तो वह आसानी से उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकता जिन्हें वह पथभ्रष्ट समझता है। अगर वह लोगों को 'सही रास्ते' पर लाने के अपने इस ध्येय में असफल रहता है तो वह हृद-से हृद निराश होकर यही कह सकता है :

मैं उसकी सेवा नहीं करता जिसकी सेवा तुम करते हो ।
 और न तुम उसकी सेवा करते हो जिसकी सेवा मैं करता हूँ ।
 न मैं उसकी सेवा करूँगा जिसकी सेवा तुम करते हो ।
 न तुम उसकी सेवा करो जिसकी सेवा मैं करता हूँ ।
 तुम्हारी जज्जा व सज्जा तुम्हारे साथ है मेरी जज्जा व सज्जा मेरे साथ ।^{३७}

लोगों को 'सही रास्ते' पर आने का नियंत्रण देने का अपना कर्तव्य कोई मुसलमान पूरा करे या न करे, लेकिन जब तक उसका निजी व्यक्तित्व एक ऐसी विरादरी की सदस्यता के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नेतृत्व उलमा लोग करते

हैं, तब तक वह धर्म-निरपेक्षता के नाम पर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जितने भी धर्म प्रचलित हैं सभी सच्चे हैं।

7

लेकिन धर्म-निरपेक्षता के प्रश्न पर भारतीय मुसलमान मोटे-मोटे तीर पर दो हिस्सों में बँटे हुए प्रतीत होते हैं। पहले समूह में, जो अल्पसंख्यक है और जिसे तिरस्कार से 'सेक्यूलरिस्ट' अथवा 'धर्म-निरपेक्षी' कहा जाता है, अधिकतर आधुनिक शिक्षा पाये हुए मुसलमान हैं जिनका मत है कि एक आस्था के रूप में धर्म का धर्म-निरपेक्षता के साथ सह-प्रस्तित्व सम्भव है। दूसरा समूह, जिसका नेतृत्व उलमा लोग करते हैं, इस मत पर झटका है कि धर्म के बल आस्था नहीं शरीरः भी है। धर्म-निरपेक्षता के साथ आस्था का सह-प्रस्तित्व भले ही सम्भव हो पर शरीरः का नहीं।

परन्तु इस विभाजन को शब्दशः ज्यों-का-त्यों नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि उलमा के अन्दर एक और विभाजन है। उनमें स्वतन्त्रता से पहले के दिनों के 'राष्ट्रवादी' उलमा के उत्तराधिकारी हैं; उन्हें अब भी 'राष्ट्रवादी' कहा जाता है, पर आम मुसलमानों में 'राष्ट्रवादी उलमा' की उपाधि धीरे-धीरे निन्दा का शब्द बनता जा रहा है।

धर्म-निरपेक्षी मुसलमानों पर धार्मिक आचार-व्यवहार के मामले में ढील-ढाल बरतने का आरोप लगाया जाता है। उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे 'दूसरों' को सुश करने के लिए धर्म-निरपेक्षता के नाम पर भारतीय मुसलमानों के 'धार्मिक' इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं।³⁸ शिकायत यह है कि जब भी वे पुराने सूफियों के जीवन और उनके कृतित्व की चर्चा करते हैं तो वे अनिवार्यतः केवल दूसरे धर्मों के प्रति इन सूफियों के 'उदार' रवैये को ही उभारने की कोशिश करते हैं। निश्चय ही इसे 'तोड़ना-मरोड़ना' नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से यदि हम यह याद रखें कि मेरे मुसलमान किस प्रकार के मिले-जुले श्रोता-वर्ग अथवा पाठक-वर्ग को सम्बोधित करते हैं; पर गिर्द दृष्टि रखने वाले आलोचक इन लोगों को इसलिए बुरा-भला कहते हैं कि वे धर्म-परिवर्तन के क्षेत्र में इन सूफियों की लगन और सेवाओं को नजरअदाज करते हैं।³⁹

राष्ट्रवादी उलमा की आलोचना विलकुल ही दूसरे आधार पर की जाती है, जो और कुछ होने से अधिक मनोवैज्ञानिक है। इस शताब्दी के आरम्भ में मुसलमानों को यह बताया गया था कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान दो

प्रकार के उलमा थे : उलमा-ए-हफ (गदाचारी उलमा) और उलमा-ए-सू (भ्रष्ट उलमा)। यह विभाजन शुल्क में तो स्वयं उलमा ही ने किया था;¹⁰ बाद में चलकर उन मुस्लिम इतिहासकारों ने भी जो उलमा नहीं थे इसे आपना लिया।¹¹ कहा यह जाता था कि सदाचारी उलमा थे थे जो सरकारी नीकरी नहीं करते थे, दूसरी तरफ वे थे जिन्हें सरकार ग्याय और धार्मिक मामलात के विभागों का प्रबन्ध करने और उन्हें चलाने के लिए नीकर रखती थी। यह विभाजन उलमा ने, विशेष रूप से मौलाना माज़ाद ने, उन समकालीन भारतीय उलमा का महस्व घटाने के लिए किया था जो अंग्रेजों के खिलाफ हिन्दुओं के साथ 'राजनीतिक सहयोग' करने के विरोधी थे, और इस प्रकार उन्हें सरकार का पिट्ठू ठहराया जाता था।¹² देश के बैठवारे से पहले के दिनों में 'राष्ट्रवादी' उलमा को इससे भपने मुस्लिम माद्यो की नज़रों में अपनी राजनीतिक साथ बढ़ाने में सहायता मिलती थी, परन्तु अब यह विभाजन उनके लिए उल्टे एक मुसीबत बन गया है। वयोंकि यही वे उलमा हैं जिन्हें बहुधा सरकार की सरपरस्ती से 'सम्मानित' किया जाता है, इसलिए उनका मज़ाक उड़ाया जाता है, विलकुल उसी तरह जैसे उनसे पहले मध्य-युग के उलमा का सरकार के 'पिट्ठू' होने के कारण मज़ाक उड़ाया जाता था।¹³

इस प्रकार मुसलमानों के दो समूह ऐसे हैं—एक 'धर्म-निरपेक्षी' और दूसरे 'राष्ट्रवादी' उलमा—जिन्हें बहुत-से मुसलमान सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सहयोग और एकता स्थापित होने की बहुत कम प्राप्ता है। ये दोनों एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। उनमें कोई भी वो समानता नहीं है, न शिक्षा में, न सोचने-विचारने के ढंग में, न दुनिया और आँकड़वत (लोक और परलोक) के बारे में उनके रखिये में, सारांश यह कि किसी भी चीज़ में नहीं। उनमें एक ही समानता है और वह यह कि आम मुसलमान दोनों ही को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, भले ही विलकुल ही अलग-यलग कारणों से।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमान दुविधा में पड़े हैं। जहाँ तक धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता का सम्बन्ध है वह उन्हें एक तो इसलिए स्वीकार्य है कि इसका कोई विकल्प नहीं है और दूसरे इसलिए कि धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ता में धार्मिक स्वतन्त्रता का आश्वासन रहता है। परन्तु धर्म-निरपेक्षता के दार्शनिक सिद्धान्तों को धार्मिक जीवन के लिए घातक समझा जाता है। बहुत-से मुसलमान समझते हैं कि अगर उन्होंने धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार कर लिया तो उनकी हालत उसी वह जैसी होगी जिसने सर्दी की एक रात में ऊंट को अपनी गर्दन खेमे के अन्दर कर लेने दी थी और नतीजा यह हुआ था कि कुछ देर बाद ऊंट तो खेमे के अन्दर मज़े से सर्दी से बचा हुआ था और वह बैचारा रात-भर खुले आसमान के नीचे सर्दी में ठिठुरता रहा।

सम्भावना यही है कि जब तक यह विरादरी अपने धार्मिक मार्गदर्शन के लिए उलमा पर निर्भर रहेगी तब तक परिस्थिति यही रहेगी। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, उलमा लोग पूरी विरादरी के धार्मिक जीवन की निगरानी करने को अपना कर्तव्य समझते हैं। इस उद्देश्य से ये उलमा सविधान की सीमाओं के अन्दर रहकर, जिसमें उन्हें 'अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और उनकी व्यवस्था चलाने'¹¹ की छूट दी गयी है, मदरसे स्थापित करते हैं जिनका पूरा सचं मुसलमानों के चन्दे से चलाया जाता है और जहाँ लोगों को परम्परागत पद्धति के अनुसार शिक्षा-दीक्षा दी जाती है।

टिप्पणियाँ

1. 'भारत का सविधान', प्रस्तावना, नई दिल्ली, भारत सरकार प्रकाशन, 1950
2. उपर्युक्त, धारा 25
3. उपर्युक्त, धारा 60, 69, 159, तीसरी अनुसूची भी देखिये। सविधान के अनुमार शपथ-ग्रहण की विधि यह है :

ईश्वर की सीमग्रथ घाकर शपथ लेता हूँ
मैं.....अमुक वचन देता हूँ कि मैं पूरी भत्यनिष्ठा के

साथ.....पद के कर्तव्यों का पालन करूँगा।

4. एस० राधाकृष्णन्, संयद आविद हुसेन की पुस्तक 'द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया, बम्बई, एशिया, दूसरा सहस्ररण, 1961, प० 7
5. पी० बी० गजेन्द्र गडकर का लेख 'द कलसेट ऑफ सेक्यूनरिजम', 'सेक्यूलर हेमोक्रेसी', नवी दिल्ली, वार्षिक अंक, 1970, प० 71
6. संयद आविद हुसेन, 'द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स', बम्बई, एशिया, 1965, प० 170
7. संयद आलम युद्धीरी का लेख 'सेक्यूलरिजम, रिलीजन एण्ड एज्ड एज्डकेशन', 'सेक्यूलरिजम इन इंडिया', बी० क० सिन्हा (सपादक), बम्बई, 1968, प० 90
8. उदाहरण के लिए देखिये वस्ती (ज० प्र०) दिला जमीयते-उलमा में जमीयते-उलमा-ए-हिन्द के जनरल सेक्रेटरी मोलाना संयद असद मदनी का अध्यक्ष भाषण, 1966, साप्ताहिक 'अल-जमीयत', दिल्ली में प्रकाशित, वर्ष 55, अंक 16, 23, जनवरी 16, 23, 1970
9. मोलाना अबुल अला मोद्दूदी का 10 मई, 1947 को पठानकोट में भाषण, 'जमायते-इस्लामी की दावत', दिल्ली, 1964, प० 29-31
10. हमें पूरा अधिकार है कि हम मोलाना मोद्दूदी को यह पालनेचाना करें कि "उनमें जास्ती और पुराणों पर आधारित भारत के सविधान के परिणामों को समझने की शक्ति ही नहीं थी।" (एस० ई० हमर्नैन, इंडियन मुस्लिम्स : चैंबिंज एण्ड अपारच्यनिटी', बम्बई, नलवानी, 1968, प० 52) लेकिन मोलाना मोद्दूदी पूरी ईमानदारी के साथ अपने इमान अंत पर दृढ़ थे। वह 'इस्लामी राज्य' के पक्ष में थे—और अब भी हैं। किर वह हिन्दुओं को यह अधिकार देने से कैसे इकार कर सकते थे कि वे अपने बहुमत वाले थोक में स्वयं अपने धर्म पर आधारित राज्यसत्ता स्थापित न करें? शायद इसीलिए उन्हें 'ही' कहना

पढ़ा था जब जस्टिस मुहम्मद मुतीर ने उससे पूछा था : “अगर हम पाकिस्तान में इस्लामी राज्य बना लें, तो वहाँ आप हिन्दुओं को भी इस बात की इजाबत देंगे कि वे अपना सविधान अपने धर्म के साथार पर बनायें ?” (‘1953 के प्रजाव के उपदेशों की छानबीन करने के लिए 1954 के प्रजाव एक्ट 2 के अन्तर्गत नियुक्त की गयी जांच-यादालत की रिपोर्ट’, लाहौर, 1954, पृ० 228) ।

11. नेहरू लिखते हैं : “हमारी राजनीति में, हिन्दुओं की तरफ भी और मुसलमानों की तरफ भी, बहुत हुए धार्मिक तत्व पर मुझे कभी-कभी बड़ी चिन्ता होती थी । मुझे यह बात वित्तकुल नापमन्द थी । ये मोतबी, मोलाना और स्थामी लोग अपने सार्वजनिक भाषणों में जो कुछ कहते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुझे बड़े हुमायूं की बात लगती थी । मुझे ऐसा लगता था कि उनका इतिहास, समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र का ज्ञान सारे-का-सारा उल्लत है और हर बात को जो धार्मिक रंग दे दिया जाता था उससे साफ तरीके से सोचना नामुमकिन था ।” (जावाहरलाल नेहरू, ‘ट्रूवर्ड-स फोडम’, बोक्स प्रेस, 1963, पृ० 71), 72
12. इस प्रकार के लोगों का एक उदाहरण गाधीजी थे । नेहरू के अनुसार, वह ‘सामाजार धार्मदोलन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ज़ोर दे रहे थे । उनका धर्म हड़िबढ़ नहीं था, पर उसका अपने जीवन के बारे में धार्मिक दृष्टिकोण थोड़ा था ही, और पूरे आदोलन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और जहाँ तक जन-साधारण का सम्बन्ध था इस आदोलन ने बुल चुरायेगी हृषि धारण कर लिया । कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विशाल बहुमत स्थाभाविक अपने-आपको अपने महान् नेता के सचिं में दोलने का प्रयत्न करता था और भाषा भी उन्हीं की बोलता था ।’ (उपर्युक्त, पृ० 71) । इसी प्रसंग के लिए देखिये एस० क० मनुमदार, ‘जिन्ना एंड गाधी : दैयर रोल इन इंडियाड वेस्ट फ़ार फ़ोडम’, कलकत्ता, 1966
13. पी० बी० गजेन्द्रगढ़कर, पूर्वोत्त, पृ० 71
14. उदाहरण के लिए देखिये, विल्कोड फैटवेल स्मिथ, ‘ए मीनिंग एंड एंड आँक रिलीजन’, मैकमिलन, 1962 (पेररबैंक में भी उपलब्ध, मेटर, 1964); और मोलाना सईद अहमद याकवराबादी, ‘हिन्दुस्तान की शरई हैसियत’, अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1968, पृ० 94-95
15. डब्ल्यू० सी० स्मिथ के अनुसार (पूर्वोत्त, मेटर, पृ० 105), एक संकेत तो यह स्थापित किया जा सकता है कि ‘ईमान’ और ‘इस्लाम’ शब्दों का प्रयोग किस अनुपात से होता है; ‘ईमान’ व्यक्तिमूलक तथा मनियात्मक शब्द है और ‘इस्लाम’ त्रैमाणी-मूलक तथा बाह्यगत । कुरान में ‘ईमान’ का प्रयोग ‘इस्लाम’ की तुलना में पौरब गुना अधिक किया गया है । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक की अरबी पुस्तकों के नामों में ‘ईमान’ की तुलना में ‘इस्लाम’ का प्रयोग देख गुना हो गया था । प्रापूनिक काल में यह अनुपात बढ़कर तेरह गुना हो गया है । (नोटे टिप्पणी 16 भी देखिये) ।
16. उदाहरण के लिए, डब्ल्यू० सी० स्मिथ एक आँक की सहायता से (उपर्युक्त, पृ० 72, 73) ‘मार्गुनिक बाल में ‘विविधन केय’, ‘विविधन रिलीजन’ (और) ‘विविधएनिटी’ का प्रतिशत प्रयोग’ दिखाते हुए बहुते हैं । “धारारहबी शताब्दी के अन्त तक शब्द ‘विविधएनिटी’ का प्रयोग मुख्यतः और बिना विस्तृ शब्द के एक प्रणालीबद्ध ‘धर्म’ के नाम के रूप में होने लगा था ।” (इसी पुस्तक के पृ० 266, 267 और नोट 106, 10 भी देखिये) ।

17. उदाहरण के लिए देखिये, मौलाना घबुल हसन घली नदवी की अखबार पुस्तक 'माज़ा घसीर-भल-भालम बि-इनहितात-इल-मुस्लिमीन' (मुसलमानों के पतन से ससार को बया था ति पहुँचो है ?), ज़ाहिरा, दूसरा संस्करण, 1951; (इसके भालोननात्मक मूल्यांकन के लिए देखिये जी० ई० फान ग्रूनवाम, 'मॉडर्न इस्लाम द सर्वे फार कल्चरल पाइटेटी', यूनिवर्सिटी ऑफ बैलिफोर्निया प्रेस, 1962, अध्याय 7, 'फाल एंड राइट - ऑफ इस्लाम : ए सेलफ थ्यू', पृ० 180-190) ।
18. 'इट्रोइयूसिंग द जमायते-इस्लामी-हिन्द', पांचवी माहूति, दिल्ली, 1971, पृ० 31, 32 । यही विचार 18 अगस्त, 1970 को जमायत की मजलिस-शूरा (वर्किंग कमेटी) में पास किये गये एक प्रस्ताव में भी कहा गया है; देखिये उर्दू दैनिक 'दावत', दिल्ली, वर्ष 19, अंक 227, 22 अगस्त, 1970
19. जहाँ तक लेखक को पता है, इस दोषद्वारा वात के खिलाफ उलमा के धीर से पहली बार हाज़िर ही में आवाज उठायी थी लखनऊ के उर्दू मासिक 'भल-फुरकान' के सपादक मौलाना मस्तीकुरुरहमान भगवानी ने । उन्होंने उलमा से प्रनुरोध किया है कि वे इस वात के विरोधाभास को समझें । उनका कहना है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य-सरकार धर्म-निरपेक्षता का ही स्वामानिक परिणाम है । यदि धर्म-निरपेक्षता इस्लाम विरोधी है तो सकट की परिस्थिति में मुसलमानों को और विशेष रूप से उलमा को धर्म-निरपेक्षता की दुहाई देकर गिरकरा नहीं करना चाहिए और न ही सरकार के खिलाफ अपनी शिरायतें दर्ज करनी चाहिये । ज़ाहिर है कि यह तो ही नहीं सकता कि चित भी मेरी पट भी भेरी । (देखिये, उनका सपाद-वीय लेख 'निगाहें-यादवली', 'भल-फुरकान', लखनऊ, वर्ष 38, अंक 5, अगस्त 1970) ।
20. उदाहरण के लिए देखिये, मौलाना हिप्पुरुरहमान का लेख 'मुआहिद-ए-यहूद इहमी नुक्त-ए-नज़र से : तस्वीर का दूसरा शब्द' मासिक 'बुरहान', दिल्ली, 1940, वर्ष 4, अंक 3, पृ० 169-192; वर्ष 4, अंक 4, पृ० 271-290, वर्ष 4, अंक 5, पृ० 345-359
21. उदाहरण के लिए देखिये, शम्सुल-उलमा मौलाना मुहम्मद मस्तीकुरुरहमान का लेख 'मुआहिद-ए-यहूद इहमी नुक्त-ए-नज़र से', 'बुरहान', दिल्ली, 1940, वर्ष 4, अंक 1, पृ० 47-64; वर्ष 4, अंक 2, पृ० 103-120; वर्ष 5, अंक 1, पृ० 49-60, वर्ष 5, अंक 2, पृ० 129-140; वर्ष 5, अंक 3, पृ० 208-224 । और भी देखिये, मौलाना मुहम्मद यशरफ घली घामबी का लेख 'मुस्लिमतुल-मुस्लिमीन फी मुआहिदाने-ए-इल-मुस्लिमीन' (उर्दू), उनकी पुस्तक 'इफादाते-याशरफीय दर मसाइने-सियाचिय' (उर्दू), सपादक तथा प्रकाशक मूफ्ती मुहम्मद शफी, देवबन्द, द्वारा संस्करण, 1945
22. डॉ० शी० रिमथ, 'इस्लाम इन मॉडर्न हिस्ट्री' (मेटर), 1959, पृ० 285 । टिप्पणी 32, पृ० 285 में रिमथ इस प्रस्थापना के बारे में लिखते हैं : "जैसा कि (जमीयते-उलमा-ए-हिन्द के) पार्टी के नेता के एक दल ने, विशेष रूप से मौलाना हिप्पुरुरहमान ने स्वयं इस लेखक को व्याप्ता करके समझाया, दिल्ली, 1956"
23. उदाहरण के लिए देखिये, मौलाना सईद अहमद अकबरावादी, 'हिन्दुस्तान की शरई दैनिक', अलीगढ़, 1968; जिसमें उन्होंने उन उलमा का खब्दन किया है जो भारत को दाख्ल-हूँव मस्जिते हैं और यह निष्कर्ष निकाला है कि धर्म-निरपेक्ष भारत न दाख्ल-इस्लाम है न दाख्ल-हूँव । (दाख्ल-इस्लाम का अर्थ है इस्लाम का घर, वह देश जहाँ इस्लाम के कानून पूरी तरह लागू हों । दाख्ल-हूँव का अर्थ है यूद्ध का घर, वह देश जहाँ इस्लाम का शासन लागू न हो । इन दो शब्दों के लिए देखिये 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ

- इस्लाम' (इन्ही शब्दों के अन्तर्गत); और भी देखिये, मजोद खद्दूरी, 'द इस्लामिक सॉशॉफ नेशन्स . शायदानीज़ सियर', बालटीमोर, द ज्ञान हापकिन प्रेस, 1966, विशेषज्ञ: शायदानी की पुस्तक 'सियर' के मूल अरबी पाठ का अंग्रेजी अनुवाद, पृ० 72-292, विशिष्ट रूप से अध्याय 1-6 और 9
24. एम० मुजीब, 'द इडियन मुस्लिम्स', लदन, जार्ज एलेन एण्ड अनविन, 1967, पृ० 57
25. छहन० सी० न्मय अपनी पुस्तक 'द मोर्निंग एण्ड एड अॉफ रिलीज़न', (मेंटर) मे पृ० 302 पर टिप्पणी 107 के अन्त मे लिखते हैं : "मैंने मूतकलिमीन ([मुस्लिम] धर्म-शास्त्रवेत्ताओं) के दीन पन्द्रहवी शताब्दी ई० तक 'शरीअ' के शब्द और इम परिकल्पना के प्रयोग का और शरआ का भी अध्ययन किया है। इम अध्ययन के परिणामों थी एक प्रारम्भिक रिपोर्ट 1960 मे मास्को मे प्राच्यविदो की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के भरवी छण्ड के सामने पढ़ी गयी थी, पूरे निवन्ध मे, जो 1965 मे प्रकाशित हुआ था (वर्तमान लेखक को वह प्राप्त नहीं हो सका), इस छेक मे भी प्रमूर्त को मूर्त मे परिवर्तित कर देने की क्रमिक प्रक्रिया का, जो आश्वर्यजनक हद तक बहुत देर मे आरम्भ हुई, रहस्योदयाटन तथा उसकी पुष्टि करने वाले अंकड़े और दस्तावेज़ प्रमाण रूप मे प्रस्तुत किये गये हैं।
26. उदाहरण के लिए देखिये, मौलाना मुहम्मद मजूर नौमानी, 'इस्लाम : फ़ेव एण्ड प्रैविट्स', लखनऊ (मूलतः उर्दू मे 'दीन-ओ-ज़रीएत' के नाम से प्रकाशित, लखनऊ, अल-फुरकान)।
27. उदाहरण के लिए देखिये, नियाजी बवर्स, 'द डे इलपमेट अॉफ सेक्यूलरिज़म इन टक्की', माट्रियल, मैकिगिल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1964
28. उदाहरण के लिए देखिये, मौलाना हकीम मुहम्मद कामिल बहरुल-उलूमी का लेख 'सेवपूल-रिझम', साप्ताहिक 'सिद्के-ज़दीद', लखनऊ, वर्ष 20, अक 33, 17 जुलाई, 1970, पृ० 5-6
29. उदाहरण के लिए देखिए, नई दिल्ली के मासिक 'ज़ामिय' के मई और जून 1970 के अंकों मे प्रकाशित प्रो० एम० मुजीब के लेख 'इस्लाम मे फ़र्द के ज़मीर का मकाम' पर मासिक 'अल-फुरकान' (लखनऊ, वर्ष 38, अक 5, 6, अगस्त, सितम्बर, 1970) मे मौलाना अतीकुर्रहमान संभली थी समालोचना। (इसके अंग्रेजी रूपान्तर के लिए देखिये नई दिल्ली के वैमासिक 'स्टडीज़ इन इस्लाम' के जुलाई 1970 के अंक मे प्रो० एम० मुजीब का लेख 'द स्टेट्स अॉफ इजिविजुयल कॉन्सन्स इन इस्लाम', पृ० 125-149, जो उनकी पुस्तक 'इस्लामिक इनफ्लुएंस अॉन इडियन सोसाइटी' मे भी प्रकाशित किया गया है, मेरठ, 1972, पृ० 34-58। और भी देखिये, भाँल इडिया शफीकुमोरियल सोसाइटी वी और से 1970 मे बैंर मोरवी के सपादन मे प्रकाशित 'नक्करे-मकबूल' मे प्रो० एम० मुजीब के एक और लेख पर 'अल-फुरकान' (अगस्त, 1970, पृ० 55) मे मौलाना अतीकुर्रहमान संभली की समालोचना; और भी देखिये, भोपाल के सैफीय: कॉनिज की पत्रिका 'मदलत: सैकीय' के गानिव अक, 1970 मे प्रकाशित गालिव वी ज्ञायरी पर प्रो० मुजीब के एक लेख पर साप्ताहिक 'मिद्के-ज़दीद' (लखनऊ, 24 जुलाई और 14 अगस्त, 1970) मे मौलाना अब्दुल माजिद दर्यावादी की समालोचना। (नीचे टिप्पणी 39 भी देखिये)।
30. भीर मुश्ताक अहमद, 'सेक्यूलरिज़म वा क्या मतभव है?', उर्दू दैनिक 'अल-ज़मीयत', दिल्ली, 26 जुलाई, 1969
31. मौलाना अद्यानाऊ अहमद बागियी, 'सेक्यूलरिज़म : मजहबी रकातारी', उगर्जन, 30 जुलाई, 1969

32. कुरान, 1 : 4
33. उपर्युक्त, 3 : 109
34. उपर्युक्त, 16 : 93
35. उपर्युक्त, 2 : 256
36. उपर्युक्त, 3 : 103
37. उपर्युक्त, 109 : 2-6
38. उदाहरण के लिए देखिये, सांप्ताहिक 'निदा-ए-मिल्लत', लखनऊ, वर्ष 21, अंक 6; 20 नितम्बर, 1970, पृ० 3
39. उदाहरण के लिए देखिये, भलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर (स्वर्गीय) प्रो० मुहम्मद हवीब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उद्दू विभाग के तत्त्वावधान में 16, 17 मार्च, 1970 को छात्राजा निजामुद्दीन झीलिया के जीवन और उनकी शिदाघो पर जो निजाम एक्सटेंशन लेव्चर दिया था, उस पर मौलाना घब्बुल माजिद दर्यावादी ने उनकी बहुत कड़ी मालोचना की थी कि उन्होंने छात्राजा का 'एकतरफा' चित्र प्रस्तुत किया है। (देखिये, 'सिद्के-जीदीद', लखनऊ, 27 मार्च, 1 और 22 मई, 1970)। इसी प्रकार मौलाना घब्बुल माजिद दर्यावादी ने अपने सांप्ताहिक 'सिद्के-जीदीद' में (लखनऊ, 10 जूलाई, 1970) उसी विश्वविद्यालय के मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के एक और मुस्लिम प्रोफेसर, प्रो० ख़लीफ़ा मुहम्मद निजामी को छात्राजा मुईनुद्दीन चित्री पर उनकी एक रेडियो-वार्ता के लिए बहुत लताड़ा था।
40. उदाहरण के लिए देखिये, मौलाना घब्बुल-कलाम आजाद, 'तज़किरः', 1919 वाले प्रथम संस्कारण की पुनरावृत्ति, माहोर; और उन्हीं की पुस्तक 'तज़किरः मुजहिद अल्फ़े-सानी', लखनऊ, प्रल-फुरकान।
41. उदाहरण के लिए देखिये, एम० मुजीब, द इटियन मुस्लिम्स, लद्दन 1967, अध्याय 3 और 11।
42. निची तौर पर मैं इस विभाजन के विषद हूँ। ऐसा नहीं है कि अप्ट उलमा ये नहीं, पर उनका ध्यानाचार आवश्यक रूप से इस कारण नहीं था कि उन्होंने सरकारी नीकरियाँ स्वीकार कर ली थीं। वे भी हमारे आजकल के सरकारी अफसरों जैसे ही थे, जिनमे अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग पाये जाते हैं। मैंने अपने उद्दू के एक सेक्ष्य 'प्रबहव और जदीद जिह्वन' में यही बात उठायी है, क्षैमासिक 'इस्लाम और अल्फ़े-जीदीद', वर्ष 2, अंक 4, अगस्त-वर्ष, 1970।
43. उदाहरण के लिए, उ० प्र० मुस्लिम मजलिस के मुख्यपत्र लखनऊ के उद्दू देनिक 'हाइद' (जो अब बन्द हो गया है) 24 जूलाई, 1968 को (वर्ष 4, अंक 198) अपने एक साप्ताहिक लेख 'दास्तल-उल्लूम देवबन्द को बचाओ' में कहता है : 'हर भाद्रमी जानता है कि मौलाना (मुहम्मद घगड़) मदनी (जमीयते-उलमा वाले) और उनका "राष्ट्रवादी" मुसलमानों का दल मुस्लिम समाज के "मास्तीन के साप" हैं। अपनी इन सेवाघो के लिए मौलाना मदनी को न केवल कार्यम वकिल करेंटी की मेम्बरी और राज्य-सत्ता की एक सीट दी गयी है बल्कि वहुत-सी ऐसी दूसरी सुविधाएँ भी दी गयी हैं जो 99 फीसदी हिन्दुस्तानियों को भयस्सर नहीं हैं। वह अभी हाल में अपनीकी मुस्लिम देशों के द्वारे से चहों के लोगों को यह खुशायबादी सुनाकर लोटे हैं कि भारत में मुगलमान ऐश कर रहे हैं।'
44. भारत का सविप्तान, धारा 30 (1)।

धार्मिक शिक्षा

मदरसा, जिसका धार्मिक ग्रथं शिक्षा का स्थान हीता है, मुसलमानों का धार्मिक स्कूल होता है जहाँ उलमा को उनकी शिक्षा-दीक्षा मिलती है। उलमा ('आलिम' अर्थात् विद्वान् वा व्युवर्चन) शब्द ग्रथं केवल उन मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है जो न केवल किसी इस्लामी मदरसे में परम्परागत इस्लामी विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कुरान, की तफसीर (व्याख्या), पंगम्बर की परम्पराएँ (मुन्ते-रमूल और हदीस), इस्लामी कानून और दीनियात (धर्मशास्त्र), वहिं के शरीअः का अक्षरशः पालन करने वा भी प्रयत्न करते हैं। कोई भी व्यक्ति इन विषयों का अध्ययन मदरसे के बाहर भी कर सकता है, पर उस दशा में उसे 'आलिम' माना जाय यह आवश्यक नहीं।

भारत के इतिहास के मुस्लिम-युग में शिक्षा-संस्थाएँ, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष की अलग-अलग कोटियों में विभाजित नहीं थी। एक ही प्रकार वा स्कूल होता था, जिसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सभी विषय पढ़ाये जाते थे; परन्तु इन मदरसों में पढ़ने वाले सभी 'लोग उलमा' की श्रेणी में नहीं आते थे। आम तौर पर उलमा उन्हीं को कहा जाता था जो दीनियात और कानून का अध्ययन पूरी तरह करते थे और बाद में या तो सरकार के धार्मिक और न्यायिक विभागों में नौकरी कर लेते थे या फिर उन्हीं मदरसों में पढ़ाने लगते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में मदरसों से भिन्न प्रकार के स्कूल खुलने लगे जिनमें से अधिकांश की व्यवस्था ईमाई मिशन चलाते थे। यद्यपि मिशन स्कूलों की प्रगति हो रही थी फिर भी शताब्दी के उत्तरार्ध तक तो मदरसों का महत्व बना ही रहा क्योंकि उस समय तक मदरसों के पढ़े हुए लोगों को सरकारी नौकरी के योग्य समझा जाता था। पर शिक्षा के बारे में सरकारी नीति धीरे-धीरे बदल रही थी। 1857 के बाद मदरसों में शिक्षा पाये हुए किसी आदमी के लिए कोई भी महत्वपूर्ण सरकारी पद पाना लगभग भ्रस्मबंध-सा हो गया। इसके प्रतिरिक्ष, सरकार ने पुरानी मुस्लिम शिक्षा-पद्धति को सहारा देने

की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। इसके बजाय वह उन आधुनिक स्कूलों और कालेजों को प्रश्रय देने लगी जो धर्म-निरपेक्ष विषय पढ़ाने के लिए स्थापित किये गये थे।

भारत की मुस्लिम विरादरी ने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि वह अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती; वे समझ गये कि अगर वे चाहते हैं कि उनकी नयी पीढ़ी को अपने धर्म का कुछ भी ज्ञान मिल सके तो उन्हें स्वयं अपने स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसलिए 1865 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबन्द नामक कस्बे में एक मदरसा खोला गया। इसका नाम तो इसके एक संस्थापक मौलाना मुहम्मद क़ासिम के नाम पर 'मदरसा क़ासिम-उल-उलूम' रखा गया था, पर अब आम तौर पर इसे 'देवबन्द का दार्शन-उलूम' कहते हैं। पूरे उत्तर भारत में देवबन्द के दार्शन-उलूम से सम्बद्ध मदरसों की एक शृंखला स्थापित करने की योजना बनायी गयी थी, पर यह योजना केवल इस हृद तक पूरी हुई कि केवल दो और संस्थाओं की स्थापना हो सकी, सहारनपुर में मजाहिर-उल-उलूम (1865) और मुरादावाद में कासिम-उल-उलूम, और वे देवबन्द के दार्शन-उलूम से प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन प्राप्त करते थे।¹ यहाँ पर श्रीपचारिक रूप से सम्बद्ध होने का उल्लेख नहीं किया जा रहा है क्योंकि सही माने में कोई भी मदरसा अपनी प्रशासन-व्यवस्था के मामले में किसी भी केन्द्रीय संगठन के साथ सम्बद्ध नहीं होता; वे सभी स्वतन्त्र रहकर हर जगह लगभग एक जैसे पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देते हैं। जैसा कि हम देखेंगे सारे देश में इस प्रकार के कितने ही मदरसे हैं।

देवबन्द के दार्शन-उलूम की स्थापना से मुस्लिम विरादरी को अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा-दीक्षा के लिए भारत के विभिन्न नगरों में मदरसे खोलने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उत्तर प्रदेश और विहार के केवल दो प्रान्तों में 1865 और 1899 के बीच कम-से-कम तीस मदरसे खुले; (नीचे दी हुई तालिका 1 देखिये)।²

तालिका ।

उन्नीसवीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश और विहार में स्थापित किये गये मदरसे

वर्ष	उत्तर प्रदेश	विहार	कुल योग
1865	2	—	2
1867	—	1	1
1874	1	—	1
1876	1	—	1
1877	1	—	1
1878	2	1	3
1880	1	—	1
1883	3	—	3
1889	1	1	2
1890	2	—	2
1892	2	—	2
1893	—	2	2
1894	1	1	2
1895	1	—	1
1896	1	—	1
1897	2	—	2
1898	1	—	1
1899	2	—	2
कुल योग	24	6	30

हमारे पास उन मदरसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो इसी दौर में देश के दूसरे भागों में स्थापित किये गये थे, या जो उत्तर प्रदेश और विहार में उन्नीसवीं शताब्दी में स्थापित किये गये थे पर अब बन्द हो चुके हैं। परन्तु इस अधूरी सूची से भी यह समझते भी सहायता मिलती है कि मुसलमानों को धार्मिक जिक्षा की कितनी चिन्ता थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि मदरसे के पढ़े हुए लोगों के लिए दुनिया में सफलता प्राप्त करने के सभी द्वार बन्द हैं; किर भी उन्होंने इन मदरसों को चलाने के लिए न केवल भरपूर पंसा दिया बल्कि इस बात का भी पूरा प्रबन्ध किया कि किसी मदरसे में आग्रों की कमी न होने पाये।

ग्राम तौर पर विश्वास यह किया जाता है कि केवल सारीव धरों के लोग, जो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे, उन्हे मदरसों में भेज देते थे; यह बात केवल आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि बहुत-से खाते-पीते धराने कम-से-कम अपने एक बच्चे को तो मदरसे में भेजते ही थे। सच तो यह है कि मदरसे की शिक्षा को धार्मिक कर्तव्य समझा जाने लगा था। आस्था यह थी कि क्यामर्ट के दिन आलिम अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों की तरफ से खुदा से पैरवी करेगा। इसलिए बहुत-से आधुनिक शिक्षा पाये हुए बाप भी, जो अपने सभी बच्चों की आधुनिक शिक्षा का खर्च दे सकते थे, कम-से-कम एक बेटे को तो मदरसे की शिक्षा के लिए भेजने की कोशिश ज़रूर करते थे। स्वतन्त्रता से पहले के दौर की आर्थिक व्यवस्था के कारण इस प्रणाली को चलाने में सहायता मिलती थी; धनी परिवार का अकेला 'आलिम' अपने परिवार की जमीन-जायदाद के सहारे जीवन-निर्वाह कर सकता था। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद, और खास तौर पर जमींदारी के खात्मे के बाद, परिस्थिति धीरे-धीरे बदलती गयी है। हालांकि अमीर धरानों के लड़कों ने मदरसों में जाना बिलकुल बन्द नहीं किया है फिर भी उनकी संख्या धीरे-धीरे पटती ही जा रही है।

कुल भिलाकर देखा जाय तो बदली हुई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण मदरसों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। चूंकि इनका कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं होता है इसलिए प्रचलित धारणा यह है कि मदरसों का युग बीत चुका है; इस प्रकार "1950 में की गयी एक मोटी-मोटी गणना से यह पता चलता है कि अकेले भारत के गणराज्य में परम्परागत ढंग के 88 अरबी के मदरसे थे" ।³ परन्तु यह संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम है। हमें भारत के पूरे गणराज्य में मदरसों की कुल संख्या तो नहीं मालूम, पर उत्तर प्रदेश और बिहार के उपलब्ध आंकड़ों से (जो वास्तविक संख्या से कम हैं) बिलकुल ही दूसरा चित्र सामने आता है। निम्न तालिका के अनुसार 1969 में अकेले इन दो राज्यों में कम-से-कम 356 मदरसे चल रहे थे।⁴ उन सभी की साख या महत्व बराबर नहीं था फिर भी इन सभी में उलमा की शिक्षा-दीक्षा होती थी।

तालिका 2

उत्तर प्रदेश और बिहार के (1865 और 1968 के बीच स्थापित किये गये)
ऐसे मदरसे जो 1969 में चल रहे थे

काल	उत्तर प्रदेश	बिहार	मुक्त योग
1865-1899	24	6	30
1900-1946	98	89	187
1947-1949	6	8	14
1950-1959	30	50	80
1960-1968	12	33	45
1969	170	186	356

3

इन मदरसों में पढ़ाई की योजना अभी तक लगभग वही है जिसकी नीव सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में एक प्रख्यात भारतीय विद्वान्, अब्दुल मुल्ला निजामुदीन (1679-1748) ने डाली थी और उन्हीं के नाम पर आम तौर पर इसे 'दर्स-निजामी' (निजामी पाठ्यक्रम) कहा जाता है। यह योजना इससे पहले के पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों⁵ के मामले में दो प्रकार से भिन्न थी : (1) बहुत-सी ऐर-भारतीय पाठ्य-पुस्तकों की जगह भारतीय लेखकों की लिखी हुई पुस्तकों पढ़ायी जाने लगी,⁶ और (2) "किसी पाठ्य-पुस्तक के निर्धारित कर दिये जाने के बाद भी वह (मुल्ला निजामुदीन) उसकी पाठ्य-सामग्री पर बहुत कम ध्यान देते थे, बल्कि उस पाठ्य-सामग्री के चारों ओर ज्ञान का एक ऐसा विस्तृत जाल बुन देते थे जिससे छात्रों के ज्ञान-कक्षु खुल जाते थे"।⁷

निजामी पाठ्यक्रम पर एक सरसरी-सी दृष्टि डालने से भी पता चलता है कि इससे छात्रों को धार्मिक की अपेक्षा धर्म-निरपेक्ष ज्ञान अधिक मिलता था। यह इसलिए आवश्यक था, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कि शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य 'धर्मोपदेशक' और वर्तमान ढंग के उत्तमा उत्पन्न करना नहीं बल्कि भावी सरकारी नौकर संयार करना था। नीचे दर्स-निजामी की जो योजना दी गयी है उससे इस धारणा की पुष्टि होती है :

तालिका 3

निजामी पाठ्यक्रम

विषय	निर्धारित पुस्तकों के नाम
1. व्याकरण —शब्दानुशासन (सर्फ़)	मीजान; मुंशाम्रव; सर्फ़-मीर; शाफ़ीयः
2. व्याकरण —वाक्य-रचना (नह्व)	नह्वे-मीर; काफ़ीयः; शहें-जामी
3. तर्कशास्त्र (भौतिक)	सुगरा; कुबरा; ईसामीजी; तहजीब; कुतुबी;
4. दर्शन-शास्त्र (हिक्मत)	'मीर मुल्लमुल-उलूम
5. भौतिकी व गणित (रियाजियात)	मंवूजी; सदरा; शम्से-बाजीगः; खुलासतुल-हिसाब; तशरीहुल-ग्रफ़लाक; तहरीरे-उक्लैंडिस (यूक्लिड खण्ड ।) रिसालः-ए-कौशीजीयः; शहें-चागमीनी
6. अलंकार-शास्त्र (बलारात)	मुहुतसख्ल-मग्नानी; मुतव्वल ।
7. न्यायशास्त्र (फ़िज़ह)	शहें-बक़ायः; हिवायः
8. न्यायशास्त्र के सिंद्धान्त (उसूले-फ़िज़ह)	नूहल-अनवार; तलथीह; मुसल्लमुस-सुबूत
9. घर्म-विज्ञान (इल्मुल-कलाम)	शहें-अकाइदे-नसफ़ी; शहें-अकाइदे-जलाली; मीर-जाहिद; शहें-मवाकिफ़ ।
10. कुरान की व्याख्या (तक़सीर)	जलालेन; बैजाकी
11. पैगम्बर की परम्पराएँ (हदीस)	मिश्कातुल-मसाबीह

ब्रिटिश शासनकाल में, जब मदरसे सरकारी अकासरों की शिक्षा-दीक्षा के केन्द्रों की अपेक्षा धार्मिक मार्ग-दर्शन देने वाले उलमा तैयार करने वाले केन्द्र बनते गये तो पाठ्यक्रम में इसी के अनुसार परिवर्तन किया गया। उदाहरण के लिए, देवबन्द के दाहल-उलूम ने जो पाठ्यक्रम स्वीकार किया वह मुख्यतः दसों निजामी की ही पढ़ति के अनुकूल था, पर वदले हुए उद्देश्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसमें कुछ नये विषय जोड़ दिये गये और कुछ दूसरे विषयों में आवश्यकतानुसार पुस्तकों की संख्या बदल दी गयी। निजामी पाठ्यक्रम और (1960 के) देवबन्द के पाठ्यक्रम की तुलना करने पर पता चलता है कि इस

विचार की ओर भुकाव बढ़ गया था कि शिक्षा का उद्देश्य मुश्यतः छात्र को पर्म का प्रचार और उसकी व्यास्था करने के लिए तैयार करना है। इन दोनों पाठ्य-फलों का अन्तर इस प्रकार है :⁹

तात्त्विका 4

निजामी पाठ्यक्रम और देवबन्द के पाठ्यक्रम की सुलना

विषय	निर्धारित पुस्तकों की संख्या	निजामी	देवबन्द
1. व्याकरण : शब्दानुशासन तथा वाक्य-रचना	7	13	
2. तकँशास्त्र	6	11	
3. दर्शनशास्त्र	3	4	
4. छन्दशास्त्र	—	1	
5. अलंकारशास्त्र	2	3	
6. भौतिकी व गणित	5	4	
7. न्यायशास्त्र (फ़िक़ह)	2	5	
8. न्यायशास्त्र के सिद्धान्त	3	5	
9. उत्तराधिकार विभाजन के सिद्धान्त	—	1	
10. धर्म-विज्ञान (इल्मुल-कलाम)	4	3	
11. कुरान की व्याख्या (तफ़सीर)	2	3	
12. व्याख्या के सिद्धान्त (उसूल-तफ़सीर)	—	1	
13. पैगम्बर की परम्पराएँ (हडीस)	1	11	
14. परम्परा के सिद्धान्त (उसूल-हडीस)	—	1	
15. इस्लामी इतिहास	—	2	
16. पैगम्बर की जीवनी	—	1	
17. अरबी साहित्य	—	6	
18. चिकित्साशास्त्र (तिथ्ये-यूनानी)	—	5	
19. शास्त्रार्थ (इल्मे-मुनाज़रः)	—	1	
योग	35	81	

4

पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षा-पद्धति और विद्या-सम्बन्धी तथा धार्मिक शिक्षा-दीक्षा के मामले में अलग-अलग मदरसों के बीच बहुत अन्तर नहीं है। फिर भी वे विलकुल स्वतन्त्र और—गलताह के बाद—केवल बिरादरी के सामने जवाब-देह होते हैं। उनका खर्च पूरी तरह मुसलमानों के रार्डेजनिक चन्दे से चलता है, जो वे नियमित रूप से थोड़े-थोड़े समय बाद नकद पैसे, अन्न, कपड़ों, अन्य सामग्री और अचल सम्पत्ति के रूप में देते रहते हैं।

शिक्षा-वर्ष के यन्त्र में, आम तौर पर इस्लामी कलेण्डर के आठवें महीने में बहुधा उसी मदरसे के अध्यापक छात्रों की परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें ऊंची कक्षा में चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार एक औसत छात्र बीस से पच्चीस वर्ष की उम्र के बीच उलमा की श्रेणी में आ जाता है। शिक्षा पूरी कर लेने पर जो 'होनहार' होते हैं उन्हें आम तौर पर अपने ही मदरसे में या किसी दूसरे मदरसे में अध्यापक की नीकरी मिल जाती है, जिसका बेतन आम तौर पर सी रूपये से कम होता है; कुछ को किसी मस्जिद के इमाम का काम मिल जाता है; कुछ यूनानी मेडिकल कॉलेजों में भरती होकर तबीब (हकीम) बन जाते हैं; कुछ लोग विश्वविद्यालयों की प्राच्य शिक्षा की परीक्षाओं में बैठते हैं और नये सिरे से अपना छात्र-जीवन आरम्भ करते हैं; कुछ लोग स्थानीय बच्चों को लेकर अपना मदरसा खोल लेते हैं और उन्हें कुरान पढ़ाते हैं प्रोर प्राथमिक धार्मिक शिक्षा देते हैं। चूंकि मदरसे किसी केन्द्रीय संगठन से सम्बद्ध नहीं होते हैं इसलिए कोई भी आदमी, जो पर्याप्त चन्दा जुटा सके, मदरसा खोल सकता है। कोई केन्द्रीय संगठन-सत्ता न होने के कारण, जब कोई छात्र एक मदरसा छोड़कर दूसरे मदरसे में भरती होना चाहता है तो उससे स्थानान्तरण का प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाता; अलवता उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। छात्रों और अध्यापकों की संख्या और शिक्षा का मानदण्ड कुछ भी हो, लगभग सभी मदरसों को इस्लामी ज्ञान के कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाता है।

मदरसे की शिक्षा आम तौर पर दो खण्डों में विभाजित होती है : (1) प्राथमिक खण्ड, जिसमें भाषाएं, गणित, प्राथमिक इतिहास, भूगोल आदि धर्म-निरपेक्ष विषयों के अतिरिक्त कुरान का पाठ करना (किरग्रत), पैगम्बर की जीवनी और नमाज-रोजे के बुनियादी नियम आदि सिखाये जाते हैं; (2) अरबी खण्ड जिसमें उच्चतर धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। बहुत-से छात्र कुरान को कण्ठस्थ करके हाफ़िज़ (जिसे कुरान कण्ठस्थ हो) बन जाते हैं ताकि आगे चलकर वे मस्जिदों में नमाज पढ़ा सकें।

धर्म-निरपेक्ष भारत में इस्लाम

प्राथमिक खण्ड का पाठ्यक्रम आम तौर पर उस राज्य की सरकार के निर्धारित किये हुए पाठ्यक्रम के अनुकूल होता है, ताकि जो लड़के चाहें वे धर्म-निरपेक्ष स्कूलों में अपनी शिक्षा जारी रख सकें। नीचे दी हुई तालिका से पता चलता है कि बहुत-से छात्र धार्मिक स्कूलों में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं।¹⁰

तालिका 5

प्राथमिक और प्ररबी खण्डों में मदरसों के छात्रों की संख्या (1967-68)

	उत्तर प्रदेश	विहार	कुल योग
(1) प्राथमिक खण्ड	35,862	20,592	56,454
(2) प्ररबी खण्ड	7,039	7,958	14,997
(1) और (2) का अन्तर	28,823	12,634	41,457
(1) और (2) का योग	42,901	28,550	71,451

इस प्रकार चार वर्ष तक प्राथमिक खण्ड में शिक्षा पाने के बाद कोई भी छात्र (अगर वह आगे पढ़ना चाहे) या तो किसी धर्म-निरपेक्ष स्कूल में जा सकता है या मदरसे के प्ररबी खण्ड में अपनी पढाई जारी रख सकता है। चूंकि प्ररबी खण्ड में बाहर के छात्रों को सीधे भी भरती किया जाता है इसलिए मदरसे के प्ररबी और प्राथमिक खण्डों में छात्रों का अनुपात हमेशा स्थिर नहीं रहता। वास्तव में मदरसा छोड़कर चले जाने वाले प्राथमिक खण्ड के छात्रों और प्ररबी खण्ड में आने वाले नये छात्रों का अनुपात समय-समय पर बदलता रहता है। यह बात भारत के एक प्रस्तावत मदरसे लखनऊ के दास्त-उलूम नदवतुल-उलमा के विभिन्न खण्डों के छात्रों की संख्या पर आधारित नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जायेगी।¹⁰

तालिका 6

दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के विभिन्न खण्डों में छात्रों की संख्या
(1960-1970)

वर्ष	'अ'	'ब'	'अ' और 'ब' का योग	'स'	'अ' और 'ब' खण्डों की तुलना में खण्ड 'स' में छात्रों की संख्या
	प्राथमिक खण्ड	हाफिज खण्ड		खण्ड	
1960-61	300	45	345	307	—038
1961-62	273	44	317	327	+010
1962-63	389	28	417	172	—245
1963-64	339	41	380	377	—003
1964-65	410	50	460	303	—157
1965-66	452	59	511	366	—145
1966-67	420	49	469	325	—144
1967-68	415	67	482	308	—174
1968-69	471	73	544	316	—228
1969-70	482	54	536	288	—248
1970-71	550	70	620	273	—347
कुल योग	4,501	580	5,081	3,362	—1,719

5

अखबी खण्ड के छात्र को उलमा की श्रेणी में प्राप्ति में लगभग दस वर्ष लगते हैं। इस अधिकारी के अन्त में अधिकांश मदरसे केवल एक डिग्री देते हैं, क़ाजिल, -लेकिन कुछ मदरसे, जैसे देवबन्द का दाखल-उलूम और लखनऊ का दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा, अलग-अलग स्तरों पर तीन डिग्रियाँ देता है—आलिम, क़ाजिल और सद्वास्तुसुस।

देवबन्द में जब छात्र सात साल की पढ़ाई पूरी कर लेने पर निर्दिष्ट पुस्तकों की प्रत्यन्ति परीक्षा पास कर लेता है, जिसमें हृदीस का विशेष अध्ययन शामिल होता है, तो उसे आलिम की डिग्री दी जाती है। आलिम की डिग्री पाने के दो साल बाद क़ाजिल की डिग्री मिलती है। इस बीच छात्र को अधिकांश समय 'तक्सीर'

(कुरान की व्याख्या) के अध्ययन में लगाना पड़ता है। इसके बाद यदि वह अरबी साहित्य या न्यायशास्त्र (फ़िक़्र) जैसे किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे दो साल तक और अध्ययन करना पड़ता है। दो साल की अवधि पूरी होने पर उसे विशेषज्ञता का प्रमाणपत्र (तख्ससुस) प्रदान किया जाता है।¹¹

नदवा में 'आलिम' की डिग्री की तैयारी में आठ वर्ष लगते हैं। उसके बाद छात्र की प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार उसे (इस्लामी शरीय. में) 'फ़ाज़िल' की डिग्री के लिए या 'तख्ससुस' (अरबी साहित्य में विशेषज्ञता) की डिग्री के लिए भरती किया जा सकता है। इन दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए 'आलिम' की डिग्री पाने के बाद दो वर्ष का अध्ययन आवश्यक होता है। नदवा में 'फ़ाज़िल' की डिग्री के लिए हर 'आलिम' को फ़िक़्र (न्यायशास्त्र), हडीस (परम्पराएँ), तक़सीर (कुरान की व्याख्या) और सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। अरबी साहित्य में 'तख्ससुस' (विशेषज्ञता) की डिग्री के लिए उसे अरबी गद्द और पद्य साहित्य, सँझ (शब्द-रचना), नह्व (वाक्य-विन्यास), अर्लस (छन्द-शास्त्र), बलागत (अलंकार-शास्त्र), अरबी साहित्य का इतिहास, सृजनात्मक लेखन, साहित्यिक शालोचना और सम्बन्धित विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। दोनों ही पाठ्यक्रमों में दो वर्ष की अवधि के अन्त में छात्र को एक दोष-निवन्ध प्रस्तुत करना होता है, जिसके बिना उसे डिग्री नहीं दी जाती।¹²

प्रथमात भारतीय मदरसों की 'फ़ाज़िल' की डिग्री को पश्चिमी एशिया के कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा जैसे सऊदी अरब के मदीना विश्वविद्यालय में और काहिरा के अल-अजहर विश्वविद्यालय में इस्लामियात की बी० ए० (ग्रॉन्स) की डिग्री के बराबर स्थान दिया जाता है। कुछ भारतीय 'फ़ाज़िल' वहाँ जाते हैं और दो वर्ष के अध्ययन के बाद उन्हें इस्लामियात की एम० ए० की डिग्री के बराबर डिग्री मिल जाती है।

परन्तु इनमें से किसी भी डिग्री को भारतीय विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त नहीं है। मदरसे के स्नातक कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में बी० ए० में प्रवेश के लिए ली जाने वाली प्राच्य परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। विश्वविद्यालयों की नियमित शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें हाईस्कूल की आठवीं कक्षा से फिर से पढ़ाई आरम्भ करनी पड़ती है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया (विश्वविद्यालय) में कोई भी 'फ़ाज़िल' दो साल की पढ़ाई के बाद हायर सेकण्डरी की परीक्षा दे सकता है। जामिया की हायर सेकण्डरी की परीक्षा पास करने के बाद वह जामिया और दूसरे भारतीय विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष के बी० ए० के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में भरती ही सकता है।

जो लोग अल-अजहर या ऐसे ही अन्य विश्वविद्यालयों से एम० ए० की डिग्री प्राप्त करते हैं उन्हें आम तौर पर भारत में 'डिग्री-प्राप्त' नहीं माना जाता। फिर भी अरबी भाषा के ज्ञान के कारण उन्हें आम तौर पर ऐसे विभागों में कोई नौकरी मिल जाती है जहाँ अरबी भाषा का पर्याप्त ज्ञान 'वास्तविक' आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि वे अंग्रेजी भी जानते हों तो उन्हें आकाशवाणी के अरबी यूनिट में अनुवादक-एनाउंसर या पश्चिम-एशियाई या उत्तर-प्रफीकी देशों में भारत के द्वाताबासों में अनुवादक-दुभाषिये की नौकरी मिल सकती है। दूसरे कामों के लिए, जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए इन डिग्रियों का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं होता। इन 'एम० ए० पास' लोगों को पी-एच० डी० के लिए भरती नहीं किया जाता, अतः अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जहाँ उन्हें दीनियात (धर्मशास्त्र) और इस्लामी अध्ययन के विभागों में पी-एच० डी० के लिए भरती कर लिया जाता है।

6

मदरसे के प्राइमरी खण्ड के छात्रों के लिए मदरसे में रहना आवश्यक नहीं। सभी छात्रों के लिए पढ़ाई मुफ्त होती है पर अन्य खर्च उनके माँ-बाप को उठाना पड़ता है। अरबी खण्ड में परिस्थिति इससे भिन्न है; पढ़ाई मुफ्त है और सभी छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों मदरसे की लाइब्रेरी से मुफ्त दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग सभी छात्रों के लिए रहने और खाने का प्रबन्ध भी मुफ्त ही होता है। नीचे की तालिका में दिखाया गया है कि 1967-68 में उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने छात्रों को 'पूर्णतः व्यय-मुक्त' शिक्षा दी गयी :¹³

तालिका 7

सर्वथा व्यय-मुक्त धार्मिक शिक्षा

छात्र की कोटि	उत्तर प्रदेश	बिहार	कुल योग
1. अरबी के छात्रों की कुल संख्या	7,039	7,958	14,997
2. रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था वाले छात्र	6,680	6,429	13,109
3. अन्य छात्र	359	1,529	1,888

कोटि 3 के छात्रों का स्वर्च भी आवश्यक रूप से उनके माँ-बाप ही देते हों, ऐसा नहीं है। वास्तव में बहुत-से 'अभागे गरीब' छात्र, जिनका रहने और खाने का प्रबन्ध मदरसे मे नहीं हो पाता, वे बहुधा किसी-न-किसी मस्जिद मे रहते हैं और उनकी देखभाल उस वस्ती के लोग करते हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसी भी मदरसे को अपने घरवी सण्ड के स्वर्च के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता; सारा स्वर्च विरादरी उठाती है। मदरसे की ओर से बेतन या कमीशन पर काम करने वाले कमेचारी शहर-शहर जाकर चन्दा जमा करते हैं; कुछ महत्वपूर्ण मदरसों को दूसरे देशों के मुसलमानों से भी पैसा मिलता है। नीचे दी हुई (फ़ेहरिस्त पर आधारित) तालिका मे बताया गया है कि 1967-68 मे उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में मुसलमानों ने मदरसों की शिक्षा पर कितना पैसा स्वर्च किया :

तालिका 8

उत्तर प्रदेश और बिहार मे 1967-68 मे धार्मिक शिक्षा पर
व्यय की गयी धनराशि

राज्य	मदरसों की संख्या	व्यय (रुपयों मे)
उत्तर प्रदेश	170	41,61,924.00
बिहार	186	, 25,63,656.00
कुल योग	356	67,25,580.00

मुप्त पढ़ाई और पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त, मदरसे के कुल बजट का लगभग एक-चौथाई मात्र केवल छात्रों के रहने और खाने-पीने पर स्वर्च होता है। उदाहरण के लिए एक प्रमुख मदरसे देवबन्द के दाहल-उन्नूम का बजट देखिये :¹⁴

तालिका 9

देवबन्द में 1968-69 में छात्रों के साने और रहने पर
व्यय की गयी धनराशि

मद	वास्तविक व्यय की धनराशि रुपयों में
1. प्रति छात्र प्रति वर्ष 288 रु० की अनुमानित दर से 909 छात्रों के लिए भोजन	2,16,477.00
2. ऊपर की दर से 100 छात्रों को भोजन के वजाय नकद पैसा	29,000.00
3. प्रति छात्र प्रति वर्ष 50 रु० के हिसाब से 488 छात्रों के लिए कपड़े और जूते	24,437 00
4. प्रति छात्र प्रति वर्ष 48 रु० के हिसाब से 375 छात्रों के छोटे-मोटे खर्च के लिए अतिरिक्त अनुदान	18,000.00
5. राजाइयां और कम्बल 400 छात्रों के लिए	7,000 00
6. छात्रों के साने और रहने पर 10,27,611.00 रु० के बजट में से खर्च की गयी कुल धनराशि	2,94,914.00

इसी प्रकार एक और प्रमुख मदरसे दारूल-उलूम नदवतुल-उलमा ने भी 1968-69 में अपने 4,00,000 रुपये के कुल बजट में से लगभग 90,000 रुपया छात्रों के रहने और साने-रीते पर खर्च किया।¹⁵

देश के बैटवारे के क्लौरन बाद लगभग हर मदरसे की हालत बहुत डावाँ-डोल हो गयी थी; आमदनी के मामले में उनकी हालत बहुत बुरी थी और छात्रों की संख्या भी घट गयी थी। लेकिन धीरे-धीरे बैटवारे से पहले की स्थिति न केवल फिर से लीट आयी बल्कि उससे भी बेहतर हो गयी। नीचे दी हुई तालिका से पता चलता है कि देवबन्द के दारूल-उलूम और लखनऊ के दारूल-उलूम नदवतुल-उलमा ने, जो कि देश के दो प्रमुख मदरसे हैं, बैटवारे के बाद के वर्षों में किस प्रकार प्रगति की है:-¹⁶

पर्म. निरपेक्ष भारत में इनाम

लातिला 10

पाप और दातों की संख्या की पारिक प्रगति

वर्ष	देवदण्ड		गदया	
	पाप दातों में	दातों की संख्या	पाप दातों में	दातों की संख्या
1945-46	3,02,720	1,160	34,884	69
1946-47	2,69,743	866	प्राप्त	115
1947-48	2,62,583	896	प्राप्त	110
1948-49	2,71,812	847	प्राप्त	100
1949-50	2,47,760	868	प्राप्त	111
1950-51	प्राप्त	869	प्राप्त	110
1951-52	2,62,865	920	प्राप्त	107
1952-53	3,07,302	904	प्राप्त	96
1953-54	2,81,599	1,000	प्राप्त	96
1954-55	3,70,535	995	36,671	99
1955-56	4,11,379	962	40,528	126
1956-57	4,17,117	1,029	45,310	76
1957-58	4,22,244	1,008	प्राप्त	151
1958-59	4,25,312	1,106	75,729	210
1959-60	6,78,669	1,119	98,547	216
1960-61	5,03,876	1,124	1,08,967	307
1961-62	5,22,335	1,157	96,381	327
1962-63	5,97,125	1,200	2,77,247	172
1963-64	6,29,056	1,176	2,28,806	377
1964-65	6,87,226	1,190	2,48,015	303
1965-66	8,08,680	1,010	1,92,125	366
1966-67	9,43,364	1,069	2,63,099	325
1967-68	9,07,021	1,126	4,75,571	308
1968-69	10,27,611	1,070	3,60,331	316
1969-70	11,26,477	974	3,19,280	288
1970-71	12,27,000	1,005	3,35,737	273
			4,22,303	

भारत-पाकिस्तान के उप-महाद्वीप में उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार में मदरसों का योगदान कितना रहा है इसका अभी तक कोई पर्याप्त मूल्यांकन नहीं हुआ है। सारे भारत में हर मदरसा, चाहे वह उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, उच्चतर पार्मिक शिक्षा उर्दू भाषा के माध्यम से ही देता है, हालांकि पाठ्य-पुस्तकों सारी भारतीय में होती हैं। फलस्वरूप, किसी भी छात्र को अपने राज्य से भिन्न भाषा और संस्कृति वाले दूसरे राज्य के मदरसे में चले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। और सारे भारत और पाकिस्तान का हर 'आतिम' उर्दू कम-से-कम उतनी ही भच्छी जानता है जितनी कि अपनी मातृभाषा।

सभी प्रस्तुत मदरसे (विशेष रूप से उत्तर भारत में) वास्तव में बहु-जातीय और बहु-भाषी होते हैं। उनमें न केवल भारत के हर राज्य के छात्र होते हैं वल्कि अफ़्रीका और एशिया के कई देशों के भी छात्र आते हैं। इन विदेशी छात्रों को भी बड़ी तेजी से उर्दू सीख लेनी पढ़ती है ताकि वे पढ़ाई में पीछे न रह जायें।

- देवबन्द के दाखल-उलूम में भारतीय और विदेशी छात्रों की संख्या पर आधारित नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि भारतीय मदरसे किस प्रकार बहु-भाषी और बहु-जातीय हैं:¹⁷

तालिका 11

देवबन्द में 1970-71 में भारतीय और विदेशी छात्रों की संख्या

भारतीय छात्र (विभिन्न राज्यों के अनुसार)	विदेशी छात्र (विभिन्न देशों के अनुसार)
उत्तर प्रदेश (प्राथमिक छात्रों सहित)	655
बिहार और उड़ीसा	267
असम	114
पश्चिम बंगाल	86
महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, मैसूर और ग्रांथ प्रदेश	139
मध्य प्रदेश	13
राजस्थान	9
दिल्ली, हरयाणा और कश्मीर	23
	1,306
	+
	66 = 1,372

हमें यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि भारत में लगभग सारे का सारा मुस्लिम धार्मिक साहित्य उर्दू भाषा में ही प्रकाशित होता है। विभिन्न केन्द्रों से उर्दू में अनेक धार्मिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, और इसलिए भारत में इस्लाम के बारे में कोई भी जोध-कार्य करने के लिए उर्दू का ज्ञान नितान्त आवश्यक है।

8

सन् 1865 में देवबन्द में दाखल-उलूम की स्थापना के शीघ्र ही बाद उलमा में यह प्रामाण जागृत होने लगा कि मदरसों का पाठ्यक्रम आधुनिक युग के लिए अपर्याप्त है। उन दिनों इस परम्परागत पाठ्यक्रम के सुलै आलोचकों में अल्लामा शिवली नौमानी भी थे। “उनकी सामान्य आलोचना”, जैसी कि सार-रूप में फँज़ी ने प्रस्तुत की है, “यह थी कि पाठ्य-सामग्री, उसके प्रथम, उसके निष्कर्षों और पाठांतरों की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्वयं उस विषय के विभिन्न पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया जाता। दीनियात (धर्म-ज्ञान) की शिक्षा में दो बारों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये: एक तो किसी विद्या विशेष को ग्रहण करना और दूसरे चितन की गहराई तथा स्वतन्त्र विवेक की शक्ति। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ‘अरबीयः’ प्रथात् अरबी की वास्तविक पकड़ भी उस स्तर की नहीं है जितनी कि होनी चाहिये, और यह कि कुरान-सर्वधी विद्याओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। विशेष रूप से, कुरान की अद्वितीय शैली (इं'जाज़) की ओर तो बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। और अन्त में, वे विद्याएँ भी जो यूनानियों से अरबों को मिली थीं विलकुल उसी रूप में पढ़ायी जाती हैं जिस रूप में वे मध्य-युग में यूनानियों से प्राप्त हुई थीं; उनमें कोई प्रगति नहीं हुई।”¹⁸

भारत में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थापना के बाद से यह भी प्रनुभव किया जाने लगा कि दो शिक्षा-प्रणालियों के बारण शिक्षित मुसलमानों में एक विभाजन पैदा होता जा रहा है। इस खाई को पाटने के लिए यह सोचा गया कि मदरसों के पाठ्यक्रम में इस हद तक संशोधन किया जाय कि उसमें आधुनिक विद्या के गुणों का समावेश तो हो जाय लेकिन साथ ही उसका ‘धार्मिक’ स्वरूप भी नष्ट न होने पाये। इसके लिए उलमा ने एक ऐसे मदरसे की आवश्यकता महसूस की जहाँ धर्म-निरपेक्ष और धार्मिक शिक्षा साथ-साथ दी जा सके। इस प्रकार 1892 में मजलिस-नदवतुल-उलमा (उलमा परामर्श परिषद) की स्थापना हुई और दो वर्ष बाद लखनऊ में एक मदरसा दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के

नाम से स्थापित किया गया। "लेकिन समय आने पर वे उलमा भी जो इस विचार के प्रवर्त्तक थे, नदवा में अंग्रेजी और दूसरे धर्म-निरपेक्ष विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध कराने पर सहमत न हो सके। वे कई बर्ष तक इस सबाल की टालते रहे; जब उन्हें बहुत ऐरा जाता तो वे संशोधित पाठ्यक्रम घारम्भ करने पर सहमत हो जाते, पर बाद में इसे टालते रहते। यहाँ तक कि 1905 में जब मीलाना शिवली नोमानी (नदवा के) शिक्षा सचिव बने और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का आदेश दिया तब भी तीन बर्ष तक कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उलमा का अंत करण इस बात की गवाही नहीं देता या कि जो पैसा धार्मिक शिक्षा के लिए जमा किया गया था वह धर्म-निरपेक्ष विषय पढ़ाने पर व्यय किया जाय।"¹⁹

इसलिए दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा दो सर्वथा भिन्न शिक्षा-प्रणालियों को मिलाकर एक कर देने के अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ; नदवा के पाठ्यक्रम में संशोधन तो कई बार हुए पर कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। दूसरे मदरसों की अपेक्षा दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा में यह 'नयापन' तो बाकी रहा —और अब तक याकी है—कि वहाँ अंग्रेजी भाषा पढ़ायी जाती है; पर वास्तव में मदरसों में अंग्रेजी के साथ 'अचूतों' जैसा बरताव किया जाता है।

सिद्धान्ततः: तो उलमा लोग चाहते हैं कि मदरसों के पाठ्यक्रम में संशोधन करके उन्हें आधुनिक विश्वविद्यालयों के स्तर पर पहुँचा दिया जाय²⁰ पर व्यवहार में कोई भी मदरसा इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका है। योड़े-बहुत हेर-फेर के साथ हर मदरसे में आज भी वही 'दर्स-निजामी' प्रचलित है।

शायद मदरसों के पाठ्यक्रम के बारे में अन्तिम बार गहरी दिलचस्पी मीलाना अबुल कलाम आजाद ने दिखायी थी। वह अपने समकालीन उलमा से बहुत निराश थे और उलमा की एक 'नयी पीढ़ी' तैयार करना चाहते थे।²¹ इस उद्देश्य से उन्होंने 1914 में दाखल-इरशाद (मार्ग-दर्शन गृह) के नाम से कलकत्ता में एक संस्था की स्थापना की।²² शुरू-शुरू में पहले कदम के रूप में वह यहाँ उन उलमा की निजी राय से प्रभावित हुए बिना, जिनको आम तौर पर धार्मिक मामलात में प्रामाणिक माना जाता था, केवल प्रामाणिक हड्डीसों के आधार पर कुरान पढ़ाना चाहते थे। भाषा और साहित्य के क्षेत्र के नवीनतम शोध-अनुसंधानों नी और भी पर्याप्त ध्यान देने की योजना थी।²³ लेकिन अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण मीलाना आजाद अपनी इस योजना को पूरा न कर सके। दाखल-इरशाद की स्थापना के कुछ ही महीनों के अन्दर वह गिरफ्तार हो गये और यह संस्था समय से पहले ही भर गयी।²⁴ फिर भी उन्होंने मुस्लिम शिक्षा की परम्परागत प्रणाली को बदलने का विचार कभी छोड़ा नहीं। बाद में चतुकर असहयोग आंदोलन के दिनों में उन्होंने फिर कलकत्ता में मदरसा इस्लामिया की स्थापना की, पर वह भी योड़े ही दिन चला।²⁵ इसके बाद मीलाना

को स्वर्यं तो कोई मदरसा स्थापित करने का समय ही नहीं मिला, पर वह उलमा लोगों से यह अनुरोध अवश्य करते रहे कि वे मदरसों के पाठ्यक्रम में संशोधन करें और उन्हें आधुनिक ढंग से चलायें।

सन् 1937 में जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना मंत्रिमंडल बनाया और मीलाना आजाद इस स्थिति में थे कि धार्मिक पाठशालाओं के क्षेत्र में किसी नये प्रयोग के लिए वित्तीय सहायता जुटा सकें, तो उन्होंने दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कोई साहसरूपी कदम उठायें। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। स्वतन्त्रता के बाद जब वह भारत के शिक्षा-मंत्री थे तो उन्होंने एक बार फिर दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के ट्रस्टीयों को समझाया-बुझाया कि वे अपनी शिक्षा-पढ़ति को आधुनिक बनायें। इस बार भी वह भारत-सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालते को तैयार थे कि वह इस प्रकार के प्रयोग का खर्च उठाये। लेकिन नदवा के अधिकारी उनसे सहमत नहीं हुए; उन्होंने मीलाना आजाद से कहा कि हमें आप पर तो पूरा भरोसा है लेकिन हमें ढर है कि जब आप इस पद पर नहीं रहेंगे तो सरकार हमारे पार्टिक मामलात में हस्तक्षेप करेंगी।¹²⁶

9

भाजा परिस्थिति यह है कि मदरसों के छात्रों को अब भी ऐसे विषय पढ़ाये जाते हैं जिनका उनके दैनिक जीवन से दायद ही कोई सम्बन्ध हो। उन्हें आधुनिक ज्ञान के साधनों से सम्पन्न किये दिना ही यह मान लिया जाता है कि वे आधुनिक और वैविध्यपूर्ण समाज में 'ईश्वरीय सदैश' के प्रचार के लिए पूरी तरह तैयार और सिद्धित हो गये हैं। अपने व्याह्यात्मों में उलमा लोग इस बात पर जोर अवश्य देते हैं कि मुसलमानों को पश्चिमी देशों के भौतिक विज्ञानों और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) का पूर्णतम लाभ उठाना चाहिए; उन्हें इनका पूरा दिल लगाकर अध्ययन करना चाहिए और फिर अपनी बुद्धि और अध्यवसाय के बल पर उन्हें उन उच्च उद्देश्यों के अधीन कर देना चाहिए जो उन्हें अन्तिम रसूल-पाक से उत्तराधिकार में मिले हैं और जिन उद्देश्यों के कारण उन्हें 'थ्रेट्टम सोग' होने का गोरख प्राप्त हुआ है।¹²⁷ पर दुर्भाग्यवश इस 'उच्च उद्देश्य' को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर की पुस्तकें पढ़ने से निरसाह किया जाता है और उनसे कहा जाता है :

तुम्हारी पढ़ने की मेज सावंजनिक पुस्तकालय की मेज नहीं है। यह एक मदरसे की मेज है।...हमारी अलमारियों में कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसे पढ़कर आदमी हफ्तों मानसिक उलझन में पड़ा रहे। कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जानी चाहिए जो उन चिर-पीपित आदर्शों के प्रति शंका पैदा करे जो कि हमारे मदरसों की आधार-शिला हैं।²⁸

इसीलिए तो फैंजी साहब दीक ही कहते हैं :

(1) उलमा लोग आम तौर पर पश्चिमी देशों के प्राच्यविदों के काम से अपरिचित हैं और अगर कभी भूले-भटके इनमे से कुछ गवेषणाओं की उन्हें जानकारी हो भी जाती है, तो उनके प्रति ऐसा विरोध का रवैया अपनाया जाता है जो धर्माधिता से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। (2) विज्ञान, दर्शन, इतिहास या धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के शोध में होने वाली आधुनिक प्रगतियों को और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। (3) अन्य शासी (सेमिटिक) भाषाओं, जैसे सीरियाई, हीब्रू, अरमाई, या इथियोपियाई (अबीसीनियाई) भाषाओं की जानकारी को आवश्यक नहीं समझा जाता, जो कि भाषा-सम्बन्धी किसी भी शोध-कार्य के लिए अनिवार्य है। (4) अंग्रेजी, फासीसी या जर्मन जैसी आधुनिक धूरोपीय भाषाओं की जानकारी को व्यर्थ समझा जाता है। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इस प्रकार के मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसमे बीसवीं शताब्दी के दृष्टिकोण से बहुत-सी कमियाँ रह जाती हैं। इस शिक्षा-दीक्षा की तुलना किसी आधुनिक पाश्चात्य विश्वविद्यालय की धर्म-ज्ञान की डिग्री के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें धर्मों के इतिहास, धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान या तत्त्व-मीमांसा का पर्याप्त ज्ञान, जैसा कि उन्हें आजकल समझा जाता है, प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं होता।²⁹

यहाँ पर भारतीय शिक्षा-पद्धति के संस्थागत ढाँचे की एक विशिष्टता को ध्यान में रखना आवश्यक है : बी० ए० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए भारतीय विश्वविद्यालय मदरसों के 'फ़ाजिल' के प्रमाणपत्र को माध्यता नहीं देते; परन्तु स्वयं इनमे से कुछ विश्वविद्यालयों की प्राच्य परीक्षाओं ('फ़ाजिल', 'कामिल' आदि) के लिए जो योग्यता आवश्यक समझी जाती है उसके लिए यही शिक्षा पर्याप्त से अधिक होती है। और फिर इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर छात्र को बी० ए० की कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। फलस्वरूप आधुनिक शिक्षा की

सम्भावना से आकर्षित होने वाले मदरसों के स्नातकों की संख्या बढ़ती जा रही है। समय बचाने के लिए मदरसों की ऊंची कक्षाओं के कुछ छात्र चांगो-डिपे विश्वविद्यालयों की प्राच्य परीक्षाओं में बैठने की कोशिश करते हैं। मदरसों के अधिकारी इस बात को पसान्द नहीं करते, योकि इसमें उन्हें परम्परागत शिक्षा-पद्धति की साथ के लिए एक खतरे का पूर्वाभास होता है। न केवल यह कि वे अपने छात्रों की विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देते, बल्कि वे इस बात को भी नापसंद करते हैं कि उनके स्नातक विश्वविद्यालयों की शिक्षा की ओर खिचकर चले जायं। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जब मदरसों के अधिकारियों को पता चल गया है कि उनका कोई छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठा है, और उस छात्र को मदरसे में अपनी शिक्षा जारी रखने से रोक दिया गया है। इसके फलस्वरूप कई बार छात्रों में असन्तोष भी पैदा हुआ है,¹ परन्तु मदरसों की संगठन-व्यवस्था में अधिकारियों के प्रभुत्व की तुक्ता में छात्रों के अधिकार नगण्य होते हैं।

मदरसे और विश्वविद्यालय दोनों जगह के पड़े हुए इस नयी कोटि के स्नातकों की संख्या अभी तक बहुत थोड़ी है। इस समय उन्हें 'उलमा' नहीं माना जाता, जब तक कि वे पूरी तरह अपने-ग्रामको परम्परागत धार्मिक आचार-व्यवहार के अधीन न कर दें। चूंकि विश्वविद्यालयों के स्नातकों में से इन-गिने हो ऐसा करते हैं, इसलिए मदरसों के स्नातकों की पुरानी और नयी पीढ़ी में अन्तर पैदा होता जा रहा है। आने वाले वर्षों में सम्भव है कि मुस्लिम समाज इस नये वर्ष को उलमा का स्थान दे दे। उस समय तक तो भारत में मुस्लिम धार्मिक शिक्षा-पद्धति बंसी ही रहेगी जैसी कि आज है।

टिप्पणियाँ

१. एम॰ मुजीब, 'द हिंदियन मूस्लिम्स', लन्दन, जाने एंड चन्डन, 1966, पृ॰ 409
२. मैंने यह तात्त्विक और आगे की कुछ तात्त्विकार्थें अंग्रेज मिलिट्री एजेंसी-इस्लाम, कलकत्ता की ओर से हर वर्ष प्रकाशित होने वाली 1969 की 'फैहरिस्ते-मदारिसे-प्रवीयों: दीनीय' ('प्रवीय धार्मिक मदरसों की सूची') : आगे चलकर इसका उल्लेख केवल 'फैहरिस्त' के नाम से किया गया है) में उल्लंघन जानकारी के आधार पर तैयार की है; यह 'फैहरिस्त' मुस्लिम दानियों को इस बात से अवगत रखने के लिए प्रकाशित की जाती है कि कितने मदरसे चल रहे हैं, मुख्यतः ल० प्र० और विहार में। जो मदरसे 1969 में बन्द हो चुके थे उनका उल्लेख 'फैहरिस्त' में नहीं मिलता और ऐसे पास उनकी संख्या मानूम करने का कोई उपाय नहीं है। परन्तु अपनी जानकारी के आधार पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि फैहरिस्त में जो संख्या दी गयी है वह इन दोनों राज्यों के मौजूदा मदरसों से बहुत कम है; फिर भी मैंने 'फैहरिस्त' को ही मुख्य स्रोत माना है।
३. आसफ ए० ए० फैजी, 'ए मॉडर्न एप्रोच टू इस्लाम', बम्बई, एशिया, 1963, पृ॰ 63

4. 'फ्रेहरिस्ट' : देखिये नोट 2
5. पूर्ववर्ती पाठ्यक्रमों के लिए देखिये (1) जो० एम० डी० सूफी, 'भल-मिनहाज़ : बोहंग द एवल्यूशन भाँक करीकुलम इन द मुस्लिम एजूकेशनल इस्टीच्यूशन्स भाँक इडिया', साहोर, 1941; (2) मौलाना अब्दुल-हसनात नदवी, 'हिन्दुस्तान की कठीम इस्लामी दर्शनाहें', भाजमगढ़, दाखल-मुसन्निफीन, 1936
6. एम० मुजीब, पूर्वोत्त, पृ० 407
7. फैजी, पूर्वोत्त, पृ० 67
8. देवबन्द के पाठ्यक्रम का पूरा विवरण और सारी पुस्तकों के नाम दिया-उल-हसन फारूकी की पुस्तक 'द देवबन्द स्कूल एण्ड द डिमाड फार पाकिस्तान', मे गिल जायंगे, बम्बई, एशिया, 1963, पृ० 33 और उसके आगे। सूफी की पूर्वोत्त पुस्तक मे पृ० 127-132 पर पुस्तकों के नामों के साथ यह भी दिया गया है कि देवबन्द मे किस पाठ्य-पुस्तक के कितने पृष्ठ प्रध्ययन के लिए निर्धारित किये गये हैं।
9. 'फ्रेहरिस्ट' : देखिये नोट 2
10. दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा, लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त सूचना।
11. अब्दुल हलीम नदवी, 'भराकिछ भल-मुस्लिमीन भल-तालीमीय: बन्ना-सकाफीय ब-ल-दीनीय: फि-ल-हिन्द', (भरवी पाठ : 'भारत मे मुस्लिम शैशिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक केन्द्र'), लेखक द्वारा प्रकाशित, जामियानगर, नई दिल्ली, 1967, पृ० 3-4
12. उपर्युक्त, पृ० 38-41
13. 'फ्रेहरिस्ट' : देखिये नोट 2
14. दाखल-उलूम देवबन्द के अमीर के कार्यालय की ओर से विजनौर के उर्दू शैर्ष-सान्ताहिक 'मदीना' मे प्रकाशित वर्ष 58, अक 79, 9 नवम्बर, 1969
15. यह घोषणा दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के रेक्टर मौलाना अब्दुल-हसन भली नदवी ने की थी और उसके सरकारी उर्दू पादिक 'तामीरे-हयात', लखनऊ मे प्रकाशित हुई थी, वर्ष 7, अक 1, 10 नवम्बर, 1969, पृ० 19
16. मुझे ये ग्रांकड़े दाखल-उलूम देवबन्द और दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के दृग्यतरो से मिले हैं।
17. यह तालिका दाखल-उलूम देवबन्द की ओर से प्रकाशित 'अहकामे-रमजानुल-मुवारक, 1391/1971 मा तरकीबे-नमाजे-ईदुल-फित' मे प्राप्य ग्रांकड़ों पर प्राधारित है, 1971, पृ० 14
18. फैजी, पूर्वोत्त, पृ० 67
19. मुजीब, पूर्वोत्त, पृ० 409
20. मौलाना ज़ाबी जैनुल-आबिदीन सज्जाद का लेख 'हिन्दुस्तान के भरवी मदारिस और उनके निसावे-तालीम पर एक नज़र', उर्दू लैंगासिक 'इस्लाम और अस्ते-जदीद', वर्ष 2, अक 1, जनवरी, 1970, पृ० 33-53
21. 'तबर्काते-भाजाद' (भाजाद के पत्रों का संकलन), सम्पादक गुलाम रमूल मेहर, साहोर, 1959, पृ० 39
22. भाजाद, अपने साप्ताहिक 'भल-हिलाल', कलकत्ता मे, वर्ष 5, अक 5, 29 जुलाई, 1914, पृ० 5-8
23. 'तबर्काते-भाजाद' (देखिये नोट 21) पृ० 133-134

24. देखिये मेरी पुस्तक 'मूर्सिलम पॉलिटिका इन मॉडर्न इंडिया', मेरठ, मीनारदी, 1970, प्रष्ठायां 8, पृ० 138-139
25. अनुरुद्धवाड मलीहायादी, 'जिन्हे-माजाद', वलकर्ता, 1960, पृ० 44 और उसके आगे।
26. मोलाना ममूल्सालाम किदवई नदवी का लेख 'मोलाना माजाद को एक भारदू', मासिक 'जामिय़', नई दिल्ली, घर्य 48, घंक 4, घर्वैस 1963
27. मोलाना मबूल-हसन मली नदवी 'वेरटर्न तिविलिङ्गन—इस्लाम एण्ड मूर्सिलम', उर्दू से हाँ० मुहम्मद मासिक क्रिदवई का मनुष्याद, लघनऊँ एकेडमी मॉड इस्लामिक एण्ड रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन्स, 1969, पृ० 196
28. मोलाना मबूल-हसन मली नदवी का भाषण दायल-उलूम नदवा के छात्रों के सामने, 'तामीर-हयात', लघनऊँ, घर्य 6, घंक 13, 10 मई, 1969, पृ० 12
29. फैजी, पूर्वोक्त, पृ० 68-69
30. इस प्रकार की एक घटना के विवरण के लिए देखिये, उदाहरणायें, 'तामीर-हयात', लघनऊँ, 10 जुलाई, 1970 वा भक (इससे पहले और बाद के भी कुछ घटक देखिये)।

धार्मिक पथ-प्रदर्शन

परिपाटी की प्रामाणिकता

मदरसा शिक्षा देने का स्थान होता है; साथ ही वह समाज का पथ-प्रदर्शन करने वाली संस्था भी होता है। जिन लोगों को धर्म से—दूर का भी—सम्बन्ध रखने वाली किसी समस्या के बारे में कोई दांका होती है, वे अपने प्रश्न (इस्तिप्रता) उलमा के पास भेज सकते हैं और कोई पैसा दिये बिना उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस भूमिका में उलमा को मुफ्ती कहा जाता है और वे समस्या का जो उत्तर देते हैं उसे फ़तवा (बहु० फ़तवा) कहते हैं। कुछ उलमा जिनके बारे में लोग जानते हैं कि उन्होंने फ़िक़्र (कानून) का अध्ययन किया है, और फ़तवे तैयार करने का विशेष ज्ञान रखते हैं, उनके पास लोग अपनी समस्याएँ लेकर निजी हैसियत से भी जाते हैं। कुछ मदरसे अपने फ़तवा विभाग में, जिसे दारूल-द्फ़ूता कहते हैं, इस काम के लिए कुछ उलमा को नौकर भी रखते हैं।

हालांकि 'मुफ्ती' के सामने समस्या (इस्तिप्रता) प्रस्तुत करने की कोई निश्चित विधि नहीं है, परन्तु व्यवहार में वह इस प्रकार आरम्भ होती है : "क्या फ़रमाते हैं उलमा-ए-दीन इस मसले के बीच", और उसके बाद समस्या को प्रमेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या से सम्बन्धित वास्तविक पक्षों की जगह काल्पनिक नाम लिये जाते हैं ताकि उन्हें पहचाना न जा सके। समस्या के अन्त में यह दुम्भा लिखी होती है : "वराहे-करम इसकी वजाओत (स्पष्टीकरण) की जाय और खुदा आपको इस वजाओत का सवाय दे।" मुफ्ती अपने उत्तर में मुस्लिम क़ानून के पुराने विद्वानों के हृदाले देता है और अन्त में लिखा देता है : "वल्लाहो आलम विस्तवाव।" * यदि फ़तवा किसी महत्वपूर्ण

* सही भ्या है यह तो मल्लाही जानता है, जो सब-कुछ जानता है।—मन०

समस्या के बारे में होता है और उसमें दूसरे उलमा का समर्थन आवश्यक होता है तो वे उसके नीचे अपने हस्ताक्षर भी कर देते हैं और स्पष्ट शब्दों में लिख देते हैं कि "उत्तर सही है।"¹

धार्मिक अथवा धर्मेतर समस्याओं के बारे में प्रामाणिक मत जानने की यह परम्परा पैगम्बर के समय से चली आती है। बाद में लोग प्रामाणिक मत के लिए उनके साथियों के पास जाने लगे, परन्तु इस्लाम की पहली शताब्दी का अन्त होते-होते (आठवीं शताब्दी ईसवी के आरम्भ में) यह पद्धति धीरे-धीरे संस्थागत रूप धारण करती गयी; लोग उन्हीं लोगों के पास जाते थे जिनके बारे में उन्हें निश्चित रूप से मालूम हो कि वे पैगम्बर या उनके साथियों की डाली हुई परम्पराओं के दृष्टान्तों के आधार पर निष्कर्ष रूप में समस्या का समाधान निकालने की विशेष योग्यता और ज्ञान रखते हैं। लोग विशेष रूप से ध्यान देकर यथासम्भव अधिक-से-अधिक समस्याओं और उनके उत्तरों को दर्ज कर लेते थे, बस सम्बन्धित पक्षों के नाम छोड़ देते थे; इस प्रकार इस क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य का विपुल भण्डार जमा होता गया।

फ़िरह के किसी भी प्रमुख ग्रन्थ को सरसरी दृष्टि से भी देखने पर पता चल जाता है कि जीवन का शायद ही कोई पहलू ऐसा होगा जिसके बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई दृष्टान्त न मिल जाय। उदाहरण के लिए, फ़िरह साहित्य के एक प्रामाणिक ग्रन्थ हिदायः (हिदायत) में मानव-जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सत्तावन अध्याय हैं। पहले पाँच शुद्धता तथा स्वच्छता, रोजा, नमाज, ख़रात और हज आदि आधारभूत धार्मिक कर्तव्यों के नियमों के बारे में हैं। इसके बाद शादी, तलाक, गुलाम, अपराध और दण्ड, युद्ध और शान्ति, सरकारी टैक्स, सरकारी खजाना, धर्म-त्याग, विद्रोह, साम्राज्यार्थी, न्यास (द्रस्ट), वाणिज्यिक व्यवहार, न्याय-प्रशासन, गवाही, अमानत, तोहफा, पारिश्रमिक, गवन, हक्क-शक्ति (पूर्वक्रम का अधिकार), कृपि की भूमि और फलों के बाग के संग्रान और मालगुजारी का मूल्याकन, गिरवी, हत्या आदि जैसे गम्भीर अपराध और इन अपराधों का शिकार होने वालों की क्षति-पूर्ति और अन्य प्रकार की क्षति के लिए क्षति-पूर्ति, दारण और पनाह, वसीयत आदि-आदि विषयों से सम्बन्धित अध्याय हैं।²

सम्बन्ध रखने वाली सभी समस्याओं के बारे में निर्णय देने के लिए यह एकमात्र प्रामाणिक आधार है। यह तो आशा करना व्यथं ही है कि मध्ययुगीन कुकहा ('फ़िक़ह' अर्थात् क्रानून के ज्ञाता) ने आधुनिक जीवन की जटिलताओं को भी अपने ज्ञान की परिधि में समेट लिया होगा। परन्तु मुफ्ती यह मानकर कि इसी से मिलती-जुलती कोई परिस्थिति पहले भी उत्पन्न हुई होगी, फ़िक़ह के किसी ग्रन्थ के पन्ने उलटता है और कौरन कोई समाधान ढूँढ निकालता है। उदाहरण के लिए, नसबन्दी के आँपरेशन को ले लीजिये, जो कि आजकल की परिवार-नियोजन की मुहिम का एक अंग है। युनियादी तौर पर यह आधुनिक युग की चीज़ है; समझ लीजिए अब से एक हजार वर्ष पहले लिखी गयी पुस्तकों में तो इसके बारे में कोई निर्णय पाये जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी जब इस समस्या के बारे में फ़तवा मांगा गया तो उत्तर यह था कि नसबन्दी के आँपरेशन को वर्जित (हराम) माना जाना चाहिए,^३ उस परम्परा के आधार पर कि पैगम्बर ने अपने कुछ साथियों को काम-वासना से मुक्त होने के लिए अपने-आपको बधिया करा लेने से मना किया था।^४

नसबन्दी और बधिया करने के बीच समानताएँ भी हैं और असमानताएँ भी। नसबन्दी करने के बाद आदमी में मैथुन की क्षमता बाकी रहती है, जो कि बधिया होने के बाद विलकुल नष्ट हो जाती है; परन्तु दोनों ही के बाद कोई पुश्प किसी स्त्री के गर्भ नहीं ठहरा सकता, इस दृष्टि से नसबन्दी बधिया करा लेने के समान है।^५ इसी प्रकार ग्रन्थ किसी रूप में भी परिवार-नियोजन को वर्जित (हराम) माना जाता है, इसलिए कि यह अल्लाह के प्रति आस्था की कमी का प्रदर्शन है क्योंकि उसने वायदा किया है : "इस पृथ्वी पर कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके भरण-पोषण का दायित्व अल्लाह ने अपने ऊपर न लिया हो।"^६ इसलिए भोजन और जीवन की अन्य सुविधाओं के अभाव के भय से गर्भ-तिरोध का प्रयत्न करना शरीरः के विरुद्ध है।^७ इस प्रकार दृष्टान्त की प्रणाली का सहारा लेकर मुफ्ती किसी भी समस्या का समाधान खोज सकता है, और ग्राम तौर पर खोज देता है।^८

अपने निर्णय का आधार बनाना चाहिए।⁹ परन्तु हमारे युग में मुपूरी लोगों में सम्बन्ध पूरी तरह मूस्लिम कानून के मध्ययुगीन विद्वानों की राय पर ही भरोसा करने की प्रवृत्ति रही है; इस प्रकार होता यह है कि धाज की बहुत-सी समस्याओं का सम्बन्ध तो आधुनिक युग से होता है पर उनका समाधान आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता।

हमारे युग के मुपूरी के पास राष्ट्रीय और भन्तरराष्ट्रीय कानून, ग्रथव्यवस्था, भन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली, राजनीति, वाणिज्य आदि दोनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते; फिर भी वह इन सभी विषयों के बारे में फतवा दे देने में तनिक भी संकोच नहीं करता। फलस्वरूप, बहुधा हमारे सामने ऐसे फतवे आते हैं जो मध्ययुगीन भाषण से तो उनित हो सकते हैं, पर आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वेषां ग्रस्तीकार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित प्रश्न और उसका उत्तर पढ़िये :

प्र० कुछ लोग कागज की विदेशी मुद्रा उसके निर्धारित मूल्य से कम पर खरीदते हैं और फिर उसे (चोरी-छिपे !) उस देश में, जहाँ वह जारी की गयी थी, भेजकर निर्धारित मूल्य या उससे भी ऊची दर से बेचते हैं। शरोग्रः के अनुसार यह सौदा जायज है या नहीं ?

उ० विभिन्न देशों की कागज की मुद्रा का मूल्य अलग-अलग होता है, और सरकारी विनिमय दर से स्वतन्त्र रूप से भी उसका विनिमय किया जा सकता है। इसलिए किसी कागजी मुद्रा विशेष को उसके निर्धारित मूल्य से कम पर खरीदना और फिर निर्धारित मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर बेचना धार्मिक दृष्टि से जायज है।¹⁰

कुछ लोग इस सौदे को मुद्रा की कालाबाजारी मानते हैं जिसके लिए दण्ड दिया जा सकता है और यायद धार्मिक दृष्टि से भी वे इसे गुनाह समझें। लेकिन, किंवद्ध की शाचीन पुस्तकों में कागजी मुद्रा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उनमें सिक्कों से सम्बन्धित तो प्रनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनका मूल्य कोई अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली न होने के कारण इस आधार पर आंका जाता था कि किसी सिक्के में कितना सोना या कितनी चांदी है। यदि मुपूरी को अपने मदरसे में आधुनिक विषय पढ़ाये गये होते तो वह इस प्रश्न में निहित इस आशय को पकड़ लेता कि एक गैर-कानूनी काम के लिए धर्म की ग्रनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु, चूंकि वह इन विषयों से परिचित नहीं था, इसलिए उसने आधुनिक और मध्ययुगीन मुद्रा-प्रणाली को एक जैसा ही मानकर

और बैंक के नोट को कागज का एक टुकड़ा मात्र समझकर प्रश्न पूछने वाले को मनमानी करने की छूट दे दी ।

4

यद्यपि हर व्यक्ति फतवा अपने निजी सन्तोष के लिए ही माँगता है फिर भी उस पर कोई रोक नहीं है कि वह उसे सार्वजनिक रूप से किसी की, उदाहरण के लिए किसी 'विधमी' की, निन्दा करने के लिए इस्तेमाल न करे । चूंकि मुफ्ती समस्या के गुण-दोष की छातवीन किये बिना ही केवल प्रश्न के शब्दों के आधार पर अपना निर्णय देता है, इसलिए यह विलक्षुल सम्भव है कि कोई आदमी अपने प्रश्न के लिए शब्दों का चुनाव सावधानी के साथ करके अपनी पसन्द का फतवा प्राप्त कर से । उदाहरण के लिए, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल पर ध्यान दीजिये ।

दिल्ली की जामा मस्जिद के नायब-इमाम मौलाना संग्यद अबुल्ला बुखारी ने एक वयान में कहा कि मुसलमानों की भी परिवार-नियोजन का पालन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो गर्भ-निरोध के लिए अपना अपरेशन भी करवा लेना चाहिए । जो कुछ मौलाना बुखारी ने कहा था उसे परिभाषा के अनुसार फतवा तो नहीं कहा जा सकता, हृद-से-हृद यह उनकी निजी राय थी, जिसे व्यक्त करने का उन्हें पूरा अधिकार था । परन्तु चूंकि इसका प्रचार परिवार-नियोजन विभाग की ओर से एक फ़तवे के रूप में किया गया¹¹ इसलिए कुछ मुसलमानों ने इस पर आपत्ति की और दिल्ली के तथा देवबन्द के दारूल-उत्तम के उलमा से इस बात का निर्णय करने की माँग की कि इस प्रकार का फतवा देने के बाद नायब-इमाम की नमाज पढ़ाने का अधिकार रह गया या नहीं । मुफ्ती लोगों ने इस बात की छातवीन किये बिना ही कि मौताना बुखारी ने इस प्रकार का फतवा दिया भी था या नहीं, घोषणा कर दी कि उनका नमाज पढ़ाना अनुचित है और वह नमाज हराम होने के बराबर (मकरुहे-तहरीमी) है ।¹²

इस प्रकार के चरित्र-हनन करने वाले फतवों को देखते हुए किसी का यह कहना ठीक ही है : 'देखने में तो यह (फतवे की) प्रणाली लोकतान्त्रिक लगती है, क्योंकि इस प्रकार नमाज उन लोगों के बहुमत की राय जान सकता है जो अपने ज्ञान के आधार पर राय देने का अधिकार रखते हैं, पर वास्तव में यह एक प्रकार की धार्मिक यन्त्रणा है जिसकी शुरुआत समाज का कोई भी सदस्य कर सकता है ।'¹³

5

फिर भी हमारे पास यह पता लगाने का कोई साधन नहीं है कि समाज के सोग फतवों का पालन किस हृद तक करते हैं। उदाहरण के लिए, हम पूरे विश्वास के साथ नहीं बता सकते कि परिवार-नियोजन के विषद् जो फ्रतवा जारी किया गया था उसका पालन मुस्लिम समाज ने वास्तव में किया या नहीं। यह तो हो सकता है कि जो लोग गर्म-निरोध के विरोधी थे उन्हें उस फ्रतवे से एक ऐसी चीज़ से बचने का बहाना मिल गया है जिससे बचने का उन्होंने पहले ही से निर्णय कर रखा था; और उतनी ही बड़ी हृद तक यह भी सम्भव है कि जो लोग गर्म-नियंत्रण के लिए कृतिग्रन्थ साधनों का प्रयोग करते आये थे उन्होंने उस फ्रतवे की ओर कोई ध्यान ही न दिया हो क्योंकि ऐसी संस्था के अभाव में, जो कि फ्रतवे का पालन करा सके, उसका पालन करना या न करना धर्म के प्रति हर व्यक्ति के निजी रवैये पर निर्भर है। इस प्रसंग में हम लाटरी के बारे में एक फ्रतवे पर विचार करेंगे। लगभग हर भारतीय राज्य ने अपनी 'सरकारी' लाटरी चला रखी है, जिसमें हर महीने एक रथये के टिकट पर बड़े-बड़े नकद इनाम दिये जाते हैं। किसी ने दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के मुफ्ती से पूछा कि लाटरी का टिकट खरीदना धार्मिक हृष्टि से वर्जित है या नहीं ? उत्तर मिला : "लाटरी जुआ है; इसलिए हराम है; और इसलिए इनाम में जीती गयी रकम भी नाजायज़ है।"¹⁴

निश्चित रूप से इस फ्रतवे से तो कोई भी मुफ्ती असहमत नहीं होगा, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस फ्रतवे की बजह से मुसलमानों ने लाटरी में अपनी किस्मत आजमाना छोड़ दिया है। हमारे पास इसके तो कोई आँकड़े नहीं हैं कि जो मुसलमान लाटरी के टिकट खरीदते हैं उनका अनुपात देश की कुल मुस्लिम आवादी में कितना है, लेकिन यह सच है कि बहुत-से मुसलमान लाटरी के टिकट खरीदते हैं और एक दिन लखपति बन जाने का सपना देखते हैं। ग्रागर ऐसा न होता तो विभिन्न राज्यों के लाटरी निदेशालय उदू के उन अधं-धार्मिक समाचार-पत्रों में इतने बड़े-बड़े विज्ञापन न देते, जिन्हें बहुधा वही लोग पढ़ते हैं जिनसे आशा की जाती है कि वे अपने हर काम के लिए फ्रतवे का सहारा लेंगे।¹⁵

6

ऐसा नहीं है कि हमारे युग के भारतीय उलमा इस बात से अपरिचित हो कि किसी माध्यनिक समस्या के समाधान के लिए मध्ययुगीन दृष्टान्तों पर आँख भूंद-

कर विश्वास कर लेने से उनके समाज के लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे इस बात को समझते हैं, पर उनके हाथ बैंधे हुए हैं; वे इन दृष्टान्तों वीर उपेक्षा नहीं कर सकते। हृद-से-हृद वे उनकी 'आधुनिक' व्याख्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा पहला भारतीय मदरसा था जिसने 1963 में उलमा की एक परिपद् संगठित की जिसका नाम या मजलिस-तहकीकाते-शरीअः। इस मजलिस की योजना यह थी कि वह वीमे और व्याज पर दिये जाने वाले सरकारी शृण आदि जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर उन्हें एक प्रश्नावली के रूप में भारत और पाकिस्तान के प्रख्यात उलमाओं के पास भेजती थी। फिर इस मजलिस के सदस्य जमा होकर इन उत्तरों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद अपने निर्णय की घोषणा करते थे।¹⁶ कुछ मामलों में मजलिस उन उलमा की राय को भी स्वीकार कर लेती थी जो दृष्टान्तों से अलग रहकर अपने निर्णय पर पहुंचे थे। उदाहरण के लिए, वीमे के संबाल पर मजलिस के पास केवल ध्यारह उलमाओं के उत्तर आये, जिनमें से छः ने मुसलमानों के बीमा कराने का विरोध किया था; मजलिस ने लगभग सर्वसम्मति से अल्पमत की राय को स्वीकार कर लिया और 1965 में घोषणा की कि कुछ परिस्थितियों में जीवन और सम्पत्ति का बीमा कराने की इजाजत है।¹⁷

यह वास्तव में इज्तहाद के 'बन्द' दरयाजे खोलने की, अर्थात् शरीअः की पुनर्व्याख्या की दिशा में एक कदम था। परन्तु इसकी सम्भावना बहुत कम दिखायी देती है कि भारतीय मुसलमानों के धार्मिक जीवन पर इस मजलिस का कोई गहरा या स्थायी प्रभाव पड़े; क्योंकि यद्यपि वह आधुनिक समस्याओं के समाधान खोजती है पर इसके सभी सदस्य परम्परागत शिक्षा पाये हुए उलमा हैं। वीमे, चाँद के दिखायी देते¹⁸ और व्याज पर मिलने वाले सरकारी कर्ज आदि जैसी समस्याओं पर विचार करते समय भी मजलिस ने इन विषयों के विशेषज्ञों से कोई परामर्श नहीं किया —शायद इसलिए कि इन विशेषज्ञों को उलमा नहीं माना जाता। विस और झटु-ज्ञान की जटिल समस्याओं पर भी विचार करते समय ये इन विद्यार्थियों की मध्ययुगीन धारणाओं के आधार पर ही तर्क देते थे।¹⁹ ऐसी परिस्थितियों में, आधुनिक शिक्षा पाये हुए मुसलमान इस मजलिस के निर्णयों की ओर शायद कम ही ध्यान दें; दूसरी ओर, मदरसे के पढ़े हुए लोग भी शायद इस कारण मजलिस की उपेक्षा करें कि उसकी 'जिह्वतो' (नयी खोजो) को दृष्टान्तों का समर्थन प्राप्त नहीं और कोई भी जिह्वत तब तक स्वीकार्यं नहीं होती जब तक कि सामान्य व्यवहार उसे 'परम्परा' में न बदल दे। इसलिए कोई भी मुफ्ती अपने को मजलिस के निर्णयों का पावन्द नहीं समझेगा और निश्चित रूप से मध्ययुगीन किन्तु की पुस्तकों की ही अपना मार्गदर्शक

मानता रहेगा। इस प्रकार, मजलिस की प्रोर से वीमे के बैध ठहरा दिये जाने के पूरे चार वर्ष बाद इस मजलिस के संस्थापक दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा के ही मुफ्ती ने फ़तवा दिया कि वीमा मजहब की इट्टि रो वर्जित है।¹⁰ चूंकि मजलिस के फ़ैसले अभी तक परम्परा नहीं बन पाये हैं, इसलिए नदवा के मुफ्ती का मजलिस के फ़तवे की अवहेलना करना और मांददान के लिए अतीत में भी दूर सक चले जाना पूर्णतः उसके अधिकार-सेवा में था।

7

इस प्रकार का कोई मंगठन या संस्था नहीं है जो हमें यह बता सके कि हर साल भारत में कितने फ़तवे जारी किये जाते हैं। कभी-कभी कुछ मदरसे या कुछ उलमा अपने फ़तवे पुस्तक के ह्य में छपवा देते हैं;¹¹ कुछ उन्हें पश्चिमाञ्चल में भी छपवाते हैं;¹² लेकिन अभी हाल ही में देवबन्द के दाखल-उलूम के प्रिसिपल (अमीर) ने घोषणा की थी कि उनका दाखल-इस्ता साल में छ: हजार से अधिक फ़तवे जारी करता रहा है।¹³ चूंकि और भी बहुत-से मदरसे हैं जिनमें दाखल-इस्ता है, और किर अलग-अलग उलमाओं के पास भी फ़तवों की मात्रा आती रहती है, इसलिए सारे देश में फ़तवों की संस्था दसियों हजार तो प्रवद्ध होगी। चूंकि विशिष्ट ह्य से जब तक प्रारंभना न की जाय तब तक कोई फ़तवा जारी नहीं किया जाता, इसलिए हम वेलटके इस नीतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हजारों मुसलमान ऐसी समस्याओं के बारे में भी आधुनिक शिक्षा पाये हुए लोग धर्म की परिधि से बाहर समझते हैं।

फलस्वरूप मुसलमानों ने अपना धार्मिक रखिया ऐसा बना लिया है जिसकी बजह से वे आधुनिक जीवन-पढ़ाई से अलग हटकर पीछे की ओर देखते हैं। इस प्रमेण मुस्लिम जन-साधारण पर उलमा के प्रमाव को कम करके नहीं आकरता चाहिये, विशेष ह्य से ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमें यह स्वीकार करना पड़े :

लगभग हर एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र में आधुनिकता के रंग में रेगा हुआ छोटा वर्ग (जिसके लिए अंग्रेजी में 'elite' शब्द का प्रयोग करने का कैशन है) बहुत ही अल्पसंख्यक है जिसका आम समाज से कोई भी सम्पर्क नहीं रहता; सामाजिक-आर्थिक इट्टि से और शायद राजनीतिक इट्टि से भी तो वे प्रभुत्वशाली होते हैं, पर विचारों के क्षेत्र में उनका प्रमाव हमेशा इतना अधिक नहीं होता।¹⁴

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मदरसों और फतवों की प्रणाली के कारण मुस्लिम जनमत पर उलमा का काफी प्रभाव है; वे उसे जिधर चाहें मोड़ सकते हैं। बहुत-से आधुनिकतावादी और धर्म-निरपेक्षतावादी मुसलमान भी जब इह तकं देते हैं कि जब तक उलमा को सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों की आवश्यकता और उपयोगिता का दिश्वास न हो जाय तब तक मुस्लिम समाज नहीं बदलेगा, तो वे भी इस प्रभाव को मानते हैं, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे।

टिप्पणियाँ

1. पूरे मुस्लिम जगत में यही प्रचलन मालूम होता है : (देखिये 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम', इसी शब्द के अन्तर्गत)।
2. 'हिदाय' का मूल भरवी पाठ अनेक बार छप चुका है। आशिक अग्रेजी अनुवाद के लिए देखिये चालस हैमिल्टन, 'हिदाया आर गाइड : ए कमेट्री मौन द मुसलमान लॉ', लन्दन, 1870
3. दास्त-उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ, के 'दास्त-इपता' का जारी किया हुआ 'फतवा मुतालिक नज़वन्दी' देखिये, उर्दू पाकिश 'तामीरे-हयात', लखनऊ के 25 नवम्बर, 1967 के अक में और उर्दू साप्ताहिक 'निदा-ए-मिल्लत', लखनऊ के 1 दिसम्बर, 1967 के अक में; और भी देखिये उसी 'दास्त-इपता' का जारी किया हुआ परिवार-नियोजन के बारे में एक और फतवा, 'तामीरे-हयात', लखनऊ, 25 मई, 1969, पृ० 9-10
4. देखिये 'धुवारी', बिवाह वाला अध्याय (किताबुन-निकाह)।
5. देखिये, उदाहरण के लिए, मौलाना मूहम्मद इमहाक सदीलवी नदवी का लेख 'फतवा मुतालिक नज़वन्दी पर सवालात', 'तामीरे-हयात', लखनऊ 25 जनवरी, 1968, पृ० 5-6; और भी देखिये मौलाना अतीकुर्रहमान सभली का लेख, 'अल-फुरक़ान', लखनऊ, मार्च 1968
6. 'कूरान', 11 : 6
7. देखिये, उदाहरण के लिए, मौलाना अतीकुर्रहमान सभली का लेख 'धानदानी मसूदाबन्दी', 'अल-फुरक़ान', लखनऊ, वर्ष 36, अंक 1, अप्रैल 1968
8. देखिए, उदाहरण के लिए, मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी का लेख 'नज़वन्दी की शरई हैसियत', 'तामीरे-हयात', लखनऊ, 25 नवम्बर, 1967, पृ० 5
9. रवायत इस प्रकार है : 'जब मगाज इन जवाब' [वैगम्बर-इस्लाम के एक साथी] यमन भेजे जा रहे थे तो रसूल-भल्लाह ने उनसे पूछा : "तुम्हारे सामने जो मुकद्दमे साथे जायेंगे?" मगाज ने जवाब दिया : "मैं उनका फैसला अहकामे-इलाही के मुताविक करूँगा।" "और अगर तुम्हें [उस खास मामले के बारे में] अहकामे-इलाही में कुछ न मिले तो?" रसूल-भल्लाह ने पूछा। "तो मैं उसका फैसला सुनते-नथवी के मुताविक उसका फैसला करूँगा।" रसूल-भल्लाह ने फिर पूछा : "अगर उसमें भी तुम्हें उस मामले के बारे में कुछ न मिले तो?" मगाज ने जवाब दिया : "तो फिर मैं अपनी भक्त के

मुताबिक फैसला कहेगा।” इस पर पंतमध्ये-इस्लाम ने उनका सीना धपथपाकर कहा : “हम्द घो-सना हो उस खुदान्त-कुदूस की जिसने घफ्टे नवी के पश्चाम-रसो को उस नेमत में नवाज़ा जो उसके नवी को पश्चाद है।” ('मत तिरमिशी घोर घबू-दाउर')

10. दाएल-उलूम नदवतुल-उलमा के ‘दाएल-इयता’ का जारी किया हुआ फ्रतवा, पार्श्विक ‘तामीरे-ह्यात’ लखनऊ, 25 जुलाई, 1969, पृ० 15
11. देखिये, ‘सेन्टर कालिग’, (परिवार-नियोजन विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष 2, अंक 9, सितम्बर 1967
12. दिल्ली के उद्दू साप्ताहिक ‘जमीयत टाइम्स’ में प्रकाशित, वर्ष 2, अंक 49, 20 दिसम्बर, 1968, पृ० 44-45
13. एम० मूजीब, द इग्नियत मूस्लिम्स’, लन्डन, जार्ज एलेन एण्ड घनविन, 1967, पृ० 59
14. ‘तामीरे-ह्यात’ में प्रकाशित, 10 दिसम्बर, 1969, पृ० 9। दाएल-उलूम देवबन्द के जारी किये हुए ऐसे ही एक फ्रतवे के लिए देखिये ‘फ्रतवा दाएल-उलूम देवबन्द’, देवबन्द, खंड 7-8, पृ० 236
15. उदाहरण के लिए, दिल्ली का दैनिक ‘भल-जमीयत’, दिल्ली, जिसकी नीति पर जमीयते-उलमा-ए-हिन्द का नियन्त्रण है, विभिन्न राज्यों की स्टारियों के विज्ञापन छापता रहा है : (देखिये उसके 26 अक्टूबर, 1969 के अंक में पृ० 6 पर दिल्ली लाटरी का विज्ञापन; 30 अक्टूबर, 1969 के पृ० 6 पर उ० प्र० 60 लाटरी का विज्ञापन)।
16. देखिये इस मञ्जिलिस की प्रकाशित को हुई पुस्तिकाएं ‘बीमे’ के बारे में (लखनऊ, सगभग 1967) और ‘चांद दिवाये-हेने’ के बारे में (लखनऊ, सगभग 1967)। जमीयते-उलमा-ए-हिन्द ने इसी प्रकार की एक परिपंद की स्वापना और की है जिसका नाम है ‘इदार: भल-मबाहुरा भल-फिरहीय.’; (देखिये, साप्ताहिक ‘भल-जमीयत’, दिल्ली, 22 मई, 1970, पृ० 11-12)।
17. ‘तजवीजे-मेजलिस...मुतालिक इश्योरेन्स’, मेजलिस के स्थोरक मौलाना मुहम्मद इसहाक सदीलवी नुटवी की ओर से प्रकाशित, लखनऊ, नदवतुल-उलमा (सगभग 1967)।
18. भारतीय मुसलमानों के धार्मिक जीवन में यह एक सबसे कठिन समस्या है। धार्मिक कामों के लिए मुसलमानों का कलेण्डर चन्द्रमा पर आधारित है और जब तक महीने के 29वें दिन भ्रष्ट से चांद दिवायी न दे तो महीना एक दिन और बढ़ जाता है। इससे एक समस्या उठ खड़ी होती है, विशेष स्व से यदि तिनिज पर बादल पिरे हों और वह महीना रमजान का हो या रोज़ा कोडने (ईद) का सबाल हो। जब तक दो ‘धर्मनिष्ठ’ वानिंग मुसलमान 29वीं को चांद ‘भग्नी’ भ्रष्ट से ‘देखने’ की गवाही न दे दें तब तक धरीम के धनुसार 30वीं को नये महीने की वहली तारीख नहीं मानी जायगी। अगर इस तरह वी स्वर रेहियो पर भाये तो यह किया जाय—एक ऐसा स्वार-साधन जो ‘धर्मनिष्ठ’ मुसलमानों के नियन्त्रण से स्वतन्त्र है। दूसरा सबाल दो देशों के बीच देश-तरों की दूरी वा है। इसलिए यिस दूरी तक तिनिज को एक ही समझा जाय? इस सिलसिले में और भी कुछ समरयाएं हैं पर उन सबको यहीं गिनाने की ज़हरत नहीं।
19. देखिये नोट 17; इसके भलवा ‘तजवीजे-मेजलिस...मुतालिक मममल-ए-ह्याते-हिलाता’ (इसके भलवा देखिये नोट 18) लखनऊ, नदवतुल-उलमा (सगभग 1967)।
20. देखिये ‘तामीरे-ह्यात’, लखनऊ, 10 दिसम्बर, 1969

21. देखिये, उदाहरण के लिए, दाखल-उलूम देवबन्द के 'दाखल-इफ्तार' की ओर से प्रकाशित फतवों के सप्राह; अनेक खंड, ये खंड थोड़े-थोड़े समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।
22. उदाहरण के लिए, दाखल-उलूम नदवतुल-उलमा का 'दाखल-इफ्तार' अपने कुछ चुने हुए फलवे समय-समय पर नदवा के सरकारी पाकिस्तान 'तामीरे-हयात' (खनऊ) में प्रकाशित करवाता रहता है।
23. उद्दू ग्रन्थ-साप्ताहिक 'मदीना', विजनौर, वर्ष 58, अंक 79, 9 नवम्बर, 1969, पृ० 6
24. विल्फ्रेड कैटवेल रिमथ, 'मॉडनइशेशन आँक ए ट्रैडिशनल सोमाइटी', बम्बई, एशिया, 1965, पृ० 49

धार्मिक संवेदनशीलता और कानून

भारतीय मुसलमानों का आम तौर पर यह मत है कि शरीरः इस्लाम का अभिन्न अंग है। यह उन कारणों से एक, और शायद सबसे बुनियादी, कारण है जिसकी वजह से वे सामाजिक परिवर्तन की पैरवी करने वाली धर्म-निरपेक्ष धर्मियों का साथ देने में आनाकानी करते प्रतीत होते हैं। वे जानते हैं कि "धर्म-निरपेक्षीकरण किसी भी समाज-विशेष के जीवन की रुचियों और आदतों में परम्परागत रूप से स्वीकृत मानदण्डों और संवेदनशीलताओं से दूर हटने की दिशा में एक कदम होता है—उस इतिहासगत जीवन-पद्धति से अलग हटना जिसके लिए धर्म का अनुशासन नितान्त आवश्यक होता है।"¹ इसनिए वे डरते हैं कि यदि उन्होंने धर्म-निरपेक्षीकरण को किया के आगे हथियार ढान दिये तो उन्हें आगे चलकर अपने धार्मिक प्रतीत को भूल जाना होगा, शरीरः की प्रणाली को त्याग देना होगा और अपने इतिहास से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना होगा; उनके दृष्टिकोण से, धर्म-निरपेक्षता से, चाहे जो भी लाभ मिलने वाले हों उनके लिए यह बहुत भारी कीमत है।

जब कोई रुद्धिवद्ध समाज धर्म-निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है तो इस मार्ग पर उसकी प्रगति बहुत बड़ी हद तक इस बात से निर्धारित होती है कि उस समाज के सोयों को किस प्रकार की श्रीपचारिक शिक्षा मिली है, और जिस परम्परागत विधि-प्रणाली (कानून) के अंतर्गत वे रह रहे हैं वह किस प्रकार का है। शिक्षा के प्रश्न पर तो हम विचार कर चुके हैं; भाइये अब हम कानून के प्रश्न पर विचार करें।

भारतीय मुसलमानों का बहुमत यह मानता है कि शरीरः सम्पूर्ण और अपरिवर्तनीय 'कानून' है: सारे जीवन-धोन पर उसका नियन्त्रण है और उसकी परिधि में वैयक्तिक कानून, सामाजिक कानून, दण्ड-सम्बन्धी कानून, वाणिज्य-सम्बन्धी कानून सभी बुछ आ जाता है; सारांश यह कि कानून का पूरा धोन उसके भन्दर आ जाता है। चूंकि भारतीय मुसलमान इस स्थिति में नहीं हैं कि

वे अपना पूरा जीवन शरीरः के अधीन कर दें, इसलिए उन्होंने परोक्ष रूप से अपने निजी जीवन और उस जीवन के बीच में एक अन्तर स्वीकार कर लिया है जो कि वे भारत के अन्य नागरिकों के साथ मिल-जुलकर बिताते हैं। इस सम्मिलित जीवन के क्षेत्र में तो वे धर्म-निरपेक्षता की व्याप्ति को स्वीकार करने को तैयार हैं; पर वे समझते हैं कि उनका निजी जीवन उनका अपना जीवन है और उस पर उस धर्म के नियमों का नियन्त्रण होता चाहिए जिसका कि वे अनुसरण करते हैं।

2

यह छानवीत करना तो इतिहासकारों का काम है कि प्राचीन काल में व्या कभी भी ऐसा हुआ है कि भारत में मुसलमानों के जीवन में शरीरः पूरी तरह लागू की गयी हो; परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में तो शरीरः का केवल वह भाग लागू रहने दिया गया था जो आज भी मुस्लिम पर्सनल लों (वैयक्तिक कानून) के रूप में मौजूद है, जिसका सम्बन्ध शादी, तलाक और कुछ हृद तक उत्तराधिकार से है।

तर्क दिया जा सकता है कि मुसलमान शरीरः के बहुत बड़े भाग को अधिक महत्व नहीं देते थे व्योकि उनके किसी विरोध के बिना ही अप्रेज़ों ने उसे रद्द कर दिया। पर हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि ब्रिटिश नीतियाँ जनता की सहमति पर आधारित नहीं होती थी, वल्कि उस पर बलपूर्वक थोपी जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय मुसलमानों की हैसियत नागरिकों की नहीं थी; वे श्रीपनिवेशिक प्रजा थे और उनके पास न तो कोई संवैधानिक अधिकार थे और न अपने धार्मिक कानूनों की रक्षा करने के कोई अन्य साधन ही। फिर भी, उनके धर्म के मामलात में इस प्रकार के हस्तक्षेप से उनके मन में गहरा क्षोभ उत्पन्न होता था और वे विश्वास करने लगे थे कि उनका सबसे बड़ा शत्रु ब्रिटेन है जो भारत और उसके अपार साधनों पर अपना 'आततायी' आधिपत्य जमा लेने की बदौलत उनके धार्मिक जीवन के अधोपतन का मूल्य कारण है।² बहुत बड़ी हृद तक, शरीरः के अनुसार अपना जीवन बिता सकने की लालसा में ही भारतीय मुसलमानों ने—और विशेष रूप से उनके नेताओं, उलमा लोगों ने—स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लिया।³ यह बात तो निःसकोच कही जा सकती है कि यद्गर मुसलमानों के मन में यह आशंका होती कि स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन बिताने की स्वाभाविक और न्यायोचित इच्छा को परवान छाना का अवसर नहीं मिलेगा।

तो ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का उनका जोभ टण्डा पड़ गया होता।¹⁴ चूंकि भारत को एक ऐसी राजनीतिक स्थिति में स्वतन्त्रता मिली जो उससे भिन्न थी जिसकी कि उलमा ने शासा थी, इसलिए वे वह राब-बुल्ह नहीं माँग सकते थे जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे थे। फिर भी, चूंकि संविधान में हर भारतीय के लिए धर्म की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया था इसलिए मुसलमानों को इस बात का पूरा सन्तोष था कि अंग्रेजों के शासनकाल में शरीअः का जो हिस्सा उनके पास रहने दिया गया था कम-से-कम वह तो उनसे नहीं छीना जायगा।

जिस समय भारतीय संसद में हिन्दू कोड विल पर विचार हो रहा था, संसद के कई सदस्यों ने माँग की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी संशोधन किया जाय।¹⁵ परन्तु नेहरू-सरकार ने इस सुझाव पर विचार करना स्थगित कर दिया वयोंकि उस समय यह बात 'राजनीतिक दूरदर्शिता' की आम नीति से भेलं नहीं खाती थी।¹⁶ मुसलमानों ने इस 'स्थगन' को स्थायी निर्णय समझ लिया और इस बात को नहीं समझ पाये कि "वह दिन दूर नहीं है जब गवके लिए एक समान आचार-संहिता बनानी होगी, और अपने हिन्दू और ईसाई नागरिक भाइयों की तरह उन्हें भी अपने-आपको इन अनिवार्य परिवर्तनों के लिए तैयार करना चाहिए, जैसा कि दूसरे देशों में उनके अपने धर्म को मानने वाले भी कर चुके हैं।"¹⁷ परन्तु अब जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन करने की माँग जोर पकड़ गयी है तो वे बैचेन हो चठे हैं।

मुसलमानों का मत है कि उनका वैयक्तिक क्रानून उनके धर्म का ही अंग है। इसलिए जो राज्यसत्ता धर्म-निरपेक्ष होने का दावा करती है—मर्यादा, यह कि वह अपने नागरिकों के धार्मिक मामलात में हस्तक्षेप नहीं करेगी—उसे उन लोगों को माँगों के सामने झुकना नहीं चाहिए जिनका मुस्लिम समाज के साथ या तो कोई सम्पर्क नहीं है या जिन्हे उनकी ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

3

पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कानून) के सवाल पर मुस्लिम समाज के नेता दो दलों में विभाजित हैं : रुढ़िवादी और धर्म-निरपेक्षतावादी। पहला दल पर्सनल लॉ को अपने धर्म का अभिन्न अंग मानता है और इसलिए यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में है।¹⁸ उनका कहना है कि अगर 'बाहर के लोग' मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन करेंगे तो वह शरीअः को रद् करने के बाबर होगा।¹⁹ इसलिए, उनका

दावा है कि उसमें संशोधन करने या संसद में कानून पास करके सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता बनाने की कोशिश करना धर्म-निरपेक्षता के आदर्श (जिससे उनका अभिप्राय है धार्मिक स्वतन्त्रता) के विरुद्ध है। उनका कहना है कि "अगर संसद सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार-संहिता पर विचार करती है जो मुसलमानों पर भी लागू हो और दूसरी विरादियों पर भी, और उसे गैर-मुस्लिम बोटों की मदद से पास करा लेती है तो धर्म-निरपेक्षता का कोई अर्थ ही नहीं रह जायगा। सच तो यह है कि अल्पमत होने के कारण संसद में मुसलमानों के प्रतिनिधि किसी भी विधेयक को पास होने से रुकवा नहीं सकते।"¹⁰

प्रसगवश यह भी ध्यान देने की बात है कि 1955 में हिन्दू कोड बिल के विरोधियों ने भी धार्मिक समझे जाने वाले मामलात में बाहर के लोगों के भाग लेने के बारे में ऐसी ही धार्मिक संवेदनशीलता और विरोध का प्रदर्शन किया था। हालाँकि संसद के गैर-हिन्दू सदस्य मतों का संतुलन दूसरे पक्ष के हित में बदल नहीं सकते थे, फिर भी बहुत-से हिन्दू इस बात से असन्तुष्ट थे कि बाहर के लोगों को भी एक शुद्धतः हिन्दू समस्या के बारे में बोट देने की अनुमति क्यों दी गयी।¹¹ इसके अतिरिक्त, यह बात भी सभी जानते हैं कि जिस समय संसद में हिन्दू कोड बिल पर विचार हो रहा था—और जिसे बाद में संसद ने पास भी कर दिया—उस समय भारत सरकार को धर्म-परायण हिन्दुओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। "कटूरपंथी लोग इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वे इसे अपने धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन समझते थे। उनका तर्क था कि जो राज्य-सत्ता धर्म-निरपेक्ष होने का दावा करती है वह उन रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जिन्हें धर्म का अनुमोदन प्राप्त है।"¹²

हाँ, तो मुस्लिम पसंनल लॉ के प्रश्न के बारे में हम देखते यह हैं कि धर्म-निरपेक्षतावादी, जिन्होंने अपना आनंदोलन इस माँग से शुरू किया था कि मुस्लिम पसंनल लॉ में 'सुधार' हो, अब सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार-संहिता चाहते हैं, जिसके बिना उनकी राय में 'धर्म-निरपेक्षता' का कोई अर्थ ही नहीं है।¹³

सुधार का या सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार-संहिता का विरोध करने के मामले में रुढ़िवादियों में तो पूरी एकता है पर धर्म-निरपेक्षतावादी दो हिस्सों में बँटे हुए हैं : 'उदार' और 'उग्र'। उदार दल में आधुनिक शिक्षा-प्राप्त मुसलमान है जिनका कहना है कि जब तक मुस्लिम जनमत को पूरी तरह शिक्षित न कर दिया जाय और स्वयं इस समाज के अन्दर परिवर्तन की इच्छा न उत्पन्न हो तब तक सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित न होगा। जैसा कि इस्लामी कानून के प्रख्यात मुस्लिम विशेषज्ञ प्रो० आसफ़ ए० ए० फ़ैज़ी ने उग्र-दल वालों की ओर से आयोजित एक मीटिंग में कहा था : "धर्म-निरपेक्ष

राज्य-सत्ता को सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार-संहिता का आदर्श जनता के सामने रखना आवश्यक चाहिए। पर इस प्रकार के परिवर्तन के लिए स्वैच्छिक प्रयास आवश्यक है। जब तक मुस्लिम समाज स्वयं इसके बारे में कोई क़दम नहीं उठायेगा तब तक सरकार भी कोई क़दम नहीं उठायेगी।¹¹

कुछ उदारपंथी धर्म-निरपेक्षतावादी इस सम्भावना पर भी विचार कर रहे हैं कि रुढ़िवादियों के सांघ विचार-विनियम आरम्भ किया जाय ताकि वे निर्णय कर सकें कि कितना परिवर्तन हुआ है।¹² हो सकता है कि कुछ लोग इस सुभाव को यह मानकर ठुकरा दें कि उलमा लोग यथास्थिति में कोई परिवर्तन चाहते ही नहीं; इसलिए उनके साथ विचार-विनियम में समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। परन्तु यह धारणा निराधार है। इस शाताव्दी के चौथे दशक में जब केन्द्रीय विधानसभा के एक सदस्य काजी मुहम्मद अहमद काजी मी ने यह माँग विधानसभा में पेश की थी कि विधानसभा मुस्लिम औरतों के लिए इस अधिकार की स्वीकृति दे कि वे दीवानी अदालतों में अपने विवाह भग करा सकें, तो उलमा ने इस विधेयक का समर्थन किया था।¹³ यह विधेयक केन्द्रीय विधानसभा में 17 अप्रैल, 1936 को पेश हुआ था और थोड़े-बहुत परिवर्तनों के बाद 17 मार्च, 1939 को पास होकर कानून बन गया था; इस कानून का नाम था '1939 का मुस्लिम विवाह-मंग अधिनियम, ४।'¹⁴ और जैसा कि फैंजी साहब ने कहा है: "उस समय से आज तक इसका स्वागत इधर हाल के वर्षों के एक सावसे प्रगतिशील कानून के रूप में किया जाता रहा है।"¹⁵

इतने निकट अतीत के अनुभव को देखते हुए इस सम्भावना को बिलकुल ही ढुकरा देने की कोई आवश्यकता नहीं कि उलमा लोग सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

४

उपर दल के लोग जो तत्काल परिवर्तन के पक्षधर हैं आधुनिक शिक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों ही हैं। पर इस दल के भागी मुस्लिम प्रवक्ताओं का बीड़िक स्तर उतना ऊचा नहीं है जितना कि मुस्लिम उदार दल वालों का। वास्तव में जिस उपरपंथी धर्म-निरपेक्षतावादी का सबसे अधिक प्रचार हुआ है—विशेष रूप से अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में—यह है हमीद दलवाइ; वह 'स्व-शिक्षित' आदमी हैं और "एक उक्तसाने वाले प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं।"¹⁶ उपरपंथी को धार्मिक विद्वानों (उलमा) और आम तीर पर पूरे समाज का न तो विश्वास प्राप्त है और न सम्मान ही। वहूपा

उनकी निन्दा इसलिए की जाती है कि वे हिन्दुओं के बीच 'उदार' और 'प्रगति-शील' मान लिये जाने के उद्देश्य से इस्लाम की अनुचित निन्दा बताने की कोशिश करते हैं।²⁰

चूंकि ये तीनों ही गुट—हठिवादी, उदारपंथी और उग्रपंथी—अलग-अलग काम कर रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है कि उनमें एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा हो गया है। हालांकि उदारपंथी अन्य दोनों दलों की आलोचना करते समय बहुत यथार्थनिष्ठ और आवेशारहित होने का परिचय देते हैं, फिर भी वे दोनों की ओर से बहुत प्रबल प्रहारों का निशाना बन गये हैं। रुढ़िवादी उन्हें 'दूसरे पक्ष' के लोगों के रूप में देखते हैं जो कि मुसलमानों के हितों को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।²¹ दूसरी ओर उग्रपंथी उन्हे 'प्रथय की राजनीति में फँसा हुआ' पाते हैं और उन्हें 'दोंगी आधुनिकतावादी' समझते हैं।²² इस प्रकार एक गैर-मुस्लिम उग्रपंथी धर्म-निरपेक्षतावादी ए० बी० शाह कहते हैं : "सच तो यह है कि इस समय भारतीय मुसलमानों के नेता या तो ऐसे कटूरपंथी हैं जिनका कोई इलाज नहीं या फिर वे बुरी तरह प्रथय की राजनीति में फँसे हुए हैं। अपर आप बाद बाली कोटि के लोगों से अकेले में पूछें तो वे इस बात के पक्ष में होंगे कि इस्लाम की परम्पराओं की व्याख्या आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुकूल उदार और सृजनात्मक ढंग से की जाय। परन्तु जनता के सामने उनका रखेया बहुत सतर्क रहकर दोख़बी बातें कहने का रहता है, ताकि वे लोगों की नज़रों में प्रतिशील भी बने रहें और साथ ही उन्हें मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता और दूसरों की नज़रों में अपनी साख खोकर इसकी कीमत भी न चुकानी पड़े।"²³

इस प्रकार उग्रपंथी आधुनिकतावादियों को दो दलों में बांटते हैं : 'खरे आधुनिकतावादी' और 'दोंगी आधुनिकतावादी'।²⁴ उनका कहना है कि "बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये 'दोंगी आधुनिकतावादी' मुस्लिम कानून में सुधार करने की या सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता की बातें करते हो। यदि वे इस समस्या के बारे में कभी बोलते या लिखते भी हैं तो ऐसी गोल-मोल बातें करते हैं जिनका भुक्ताव कटूरपंथी पक्ष की ओर होता है। उनकी कथनी और करनी में अन्तर तो बहुत है पर इतना भी नहीं कि उन्हें पुराण-पंथियों की कोटि में रख दिया जाय। वे स्थूल रूप से धर्म-निरपेक्षता के पक्ष में तो बहुत-सी बातें कहते हैं पर व्यौरे की बातों पर आकर वे लड़खड़ा जाते हैं और परम्परावादियों के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध का रखेया अपनाना ही उचित समझते हैं।"²⁵

खरे आधुनिकतावादियों की तुलना में दोंगी आधुनिकतावादी 'भीर' और 'दबू' होते हैं; उग्रपंथी लोग 'आत्म-निरीक्षण' और 'आलोचनात्मक निष्पक्षता'

के लिए खरे आधुनिकतावादियों की बड़ी सराहना करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रो॰ मुहम्मद मुजीब, डॉ॰ सैयद आबिद हुसैन और प्रो॰ शासक ए॰ ए॰ फँज़ी उन लोगों में से हैं जिन्हें 'ढोगी' आधुनिकतावादी कहा जाता है, जबकि प्रो॰ मुहम्मद हबीब, डॉ॰ मुहम्मद यासीन और डॉ॰ सैयद अतहर अब्दास रिजवी खरे आधुनिकतावादी कहलाते हैं।²⁶ लेकिन धर्मार्थनिष्ठ पर्यवेक्षक की इटिं में 'खरे' और 'ढोगी' आधुनिकतावादी के बीच कोई अन्तर नहीं है; दोनों ही जनता के सामने 'बीलने' या 'गोलमोल बातें करने' में एक जैसे हैं। केवल पापिडत्य और विद्वत्ता से मुक्त उग्रपंथी ही ऐसे हैं जो दोनों और कठोर शब्दों में अपनी बात कहते हैं :

‘हमें भारत में मुस्लिम आधुनिकता का समर्थन करना होगा। हमें इस बात पर आग्रह करना होगा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान वैयक्तिक कानून हो।...सभी विवाहों की रजिस्ट्री एक समान नागरिक व्यवहार-संहिता के अन्तर्गत हो।...अगर कोई दरगाह या मन्दिर किसी सड़क पर आवाजाही में बाधक हो तो उसे हटा दिया जाय। सारी धार्मिक सम्पत्ति की आय पर सरकार का नियन्त्रण हो।...सभी भारतीय स्त्रियों का स्थान एक समान नागरिक व्यवहार-संहिता के अधीन हो। परिवार-नियोजन सभी के लिए अनिवार्य हो; उदाहरण के लिए, तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद धर्म-निरोध के लिए पति-पत्नी में से किसी एक का आपॉरेशन अनिवार्य रूप से कर दिया जाय। जो मुसलमान इन सुधारों का विरोध करें उन्हें पूरे नागरिक अधिकारों के बोग्य न समझा जाय।...जो मुसलमान धर्म के आधार पर सुधार का विरोध करें उन पर शरीअत का पूरा कानून सख्ती से लागू कर दिया जाय। उदाहरण के लिए, यदि वे चोरी करते पकड़े जायं तो उनके हाथ सरेग्राम क़लम कर दिये जायं। अगर वे भूँठ बोलें तो उन्हें बाजार में खड़ा करके कोड़े मारे जायं। अगर कोई औरत पर-पुरुष के साथ व्यभिचार के अपराध में पकड़ी जाय तो उसे सरेग्राम पत्थर मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया जाय।’²⁷

यह एक ऐसे उग्रपंथी की जोश-भरी लफ़काजी का बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे स्वयं उसके दोस्त 'कुदू युवा धर्म-निरपेक्षतावादी'²⁸ कहते हैं।

जब हम इससे कम 'कुदू' धर्म-निरपेक्षतावादियों पर इटिं डालते हैं तो हम उन्हें बहुधा रुढ़िवादियों के साथ उसूली बहस में उत्तमा हुए पाते हैं।²⁹ बार-यार अपना यह विवादप्रस्त दावा पेश करने के अतिरिक्त कि एक धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता में सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता होनी चाहिए,

उन्होंने भव तक अपना पक्ष तर्कसंगत ढंग से कभी पेश नहीं किया है। यह तर्क अक्सर दिया जाता है कि मुस्लिम समाज शारीरिक का बहुत कम पालन करता है; उदाहरण के लिए, कम ही लोग होंगे जो सक्रिय रूप से बहु-पत्नी प्रथा का पालन करते हों, फिर भी वे उसके उन्मूलन का विरोध करते हैं।³⁰ इसी प्रकार, यह भी कहा जाता है कि “हाल ही में 1954 का जो विदेश प्रिवाह अधिनियम बना है उसके मन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए यह सम्भव है कि वह मुसलमान रहते हुए भी मुस्लिम कानून में निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल वसीयत करके या विना वसीयत किये उत्तराधिकार की प्राधुनिक पद्धति को अपना सकता है।”³¹ इस प्रकार सर्वसाधारण को यह बताया जाता है कि मुसलमान एक ऐसे लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं जिसकी सफलता की कोई आशा नहीं। उदाहरण के लिए, ऐसे सिखों की संख्या बहुत ही थोड़ी होगी जो किरपान लगाकर चलते हों या 1949 में लगाते रहे हों जब संविधान बनाया गया था; फिर भी संविधान में लिखा है: “किरपान लगाकर चलना सिख धर्म के पालन का एक अंग माना जायगा।”³² क्या संविधान की इस धारा को इस आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि अधिकांश सिख किरपान लगाकर नहीं चलते? कहा जाता है बहुत-से सिख केवल रस्म पूरी करने के लिए बहुत छोटी-सी—लगभग इंच-भर लम्बी—किरपान रखते हैं। सच है, फिर भी सबाल अपनी जगह पर है, क्योंकि जो सिख परम्परा के अनुसार किरपान लगाकर चलते हैं उनमें यह तो नहीं बहा जा सकता कि वे भी छोटी-सी किरपान रखा करें क्योंकि अधिकांश सिख ऐसा करते हैं।

किसी भी क्रानून के अनुमतिमूलक उपबन्ध को, जैसे बहु-विवाह को रद्द करने के समर्थन में इस तर्क का सहारा लेना कि ‘व्यवहार में उसका पालन नहीं होता’ हमें एक और कठिनाई में फँसा देता है; यदि व्यवहार में उसका पालन नहीं हो रहा है तो कानून बनाकर उसे रोकने की जल्दी क्या है; और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो तर्क यों ही निराधार हो जाता है।

गया है।

धर्म-निरपेक्षतावादी अपने पक्ष के समर्थन के लिए इस तर्कों का सहारा लेते हैं कि संविधान में दिये गये इस आश्वासन के बाबजूद कि "राज्यसत्ता केवल धर्म, नस्ल, जात-पाँत, स्त्री-पुरुष, जन्मस्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी वात के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं बरतेगी",²³ भारत में मुस्लिम औरतों के साथ धर्म के नाम पर ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वे मर्दों के अधीन हों।

अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए धर्म-निरपेक्षतावादी उन आधुनिक मुस्लिम देशों का उदाहरण देते हैं जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफ़ी संशोधन और सुधार किये गये हैं। वे कहते हैं, "वया यह अजीब बात नहीं है कि धर्म-निरपेक्ष भारत के मुसलमान अपने पाकिस्तान के भाइयों की तुलना में अधिक दक्षियानूसी व्यवहार-संहिता के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं?"²⁴ यो देखने में तो यह प्रश्न बड़ा तर्कसंगत लगता है, परन्तु इस बहस में दूसरे मुस्लिम देशों का प्रवेश कर देने से इस सामान्य तर्क का बल बहुत क्षीण हो जाता है। इसके उत्तर में छठिवादी कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार उलमा की या जन-साधारण की अनुमति से नहीं - किये गये हैं। ये सुधार वहाँ के निरंकुश शासकों ने बलपूर्वक उन पर थोपे हैं।²⁵ इसके अतिरिक्त, मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ के ऐर-मुस्लिम नागरिकों के उन कानूनों को छुआ तक नहीं है जिन्हे उनके धर्म का अनुमोदन प्राप्त है। इस बात के बाबजूद कि भारत में हिन्दू पर्सनल लॉ में सुधार किया गया है पर मुस्लिम देशों के हिन्दू नागरिकों को अब तक अपने परम्परागत कानून का पालन करने की पूरी छूट है। कहीं भी उनसे यह नहीं कहा गया है कि वे अपने परम्परागत कानून को छोड़कर 'सुधरी हुई' हिन्दू व्यवहार-संहिता जैसे प्रगतिशील वैयक्तिक कानूनों को अपना लें। यदि मुस्लिम देश अपने हिन्दू नागरिकों के वैयक्तिक कानून को रद्द करने के लिए भारत की हिन्दू व्यवहार-संहिता का झारा नहीं ले रहे हैं तो फिर भारत मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप क्यों करता है? ²⁶

मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार को उचित ठहराने के लिए आधुनिक मुस्लिम देशों का उदाहरण देने से न केवल भारी समस्या विवादास्पद हो जाती है बल्कि इससे एक बहुत चुनियादी समस्या भी उठ खड़ी होती है। 'कमाल शाही' धर्म-निरपेक्ष तुर्की को छोड़कर, जिसने बास्तव में शारीअः में सुधार नहीं किया बल्कि सिरे से उसे खत्म ही कर दिया, शायद ही कोई मुस्लिम देश ऐसा होगा जिसने अब तक शारीअः के स्रोतों की सत्ता से इकार किया हो। वे सभी कुरान और सुन्नते-रमूल (पंगम्बर मुहम्मद की परम्पराओं) को मुस्लिम वैयक्तिक और पारिवारिक कानून के मुख्य स्रोत मानते हैं, लेकिन साथ ही यह दावा भी करते

हैं कि प्राचीन मुस्लिम कानूनविदों की भाँति आधुनिक मुस्लिम समाज को भी अधिकार है कि वे इन कानूनों की पुनर्व्याख्या इस रूप में करें कि आधुनिक युग की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।³⁷ इस प्रकार कानून के स्रोत के रूप में कुरान और सुन्नः (सुन्नत) की सर्वोपरि सत्ता के बारे में कोई विवाद नहीं है।³⁸ आधुनिक मुस्लिम देशों में झंडिवादियों और धर्म-निरपेक्षतावादियों के बीच असली भगड़ा इस सवाल पर है कि कानून में सुधार करने का अधिकार राज्य-सत्ता को है या उलमा को।³⁹ उलमा का दावा है कि शरीअः की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार उनको है। इसके विपरीत धर्म-निरपेक्षतावादी कहते हैं कि शरीअः की व्याख्या करने का अधिकार केवल संसद को है, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग-विशेष को नहीं।⁴⁰ भारत में परिस्थिति कुछ भिन्न है : वह एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है और इस बात को नहीं मान सकता कि कुरान और सुन्नते-रसूल को आम तौर पर कानून के स्रोतों के रूप में स्वीकार कर लिया जाय।⁴¹

मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में एक और तर्कसंगत प्रश्न यह है कि यह किसी भी दूसरे कानून की तरह ही है या इस्लामी धर्म के एक अभिन्न अंग के रूप में उसकी एक खास हैसियत है। यदि वैयक्तिक कानून को धर्म का अंग मान लिया जाय, तो झंडिवादियों को धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता के हस्तक्षेप का विरोध करने का पूरा अधिकार है वयोंकि धार्मिक मामलात में उसकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसा लगता है कि धर्म और धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता के भगड़े में उन्होंने इस कमज़ोरी को जान लिया है और इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है : सुधार पर जोर देने के बजाय वे अब सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता की आवश्यकता पर इस तर्क के आधार पर जोर देने लगे हैं कि वैयक्तिक कानून महित सभी कानूनों का सम्बन्ध जीवन के धर्म-निरपेक्ष पक्ष से होता है धार्मिक पक्ष से नहीं।

6

ऐसा लगता है कि उपर्युक्ती लोग मुसलमानों की धार्मिक संवेदनशीलता को कोई विशेष महत्व नहीं देते। उनका मत है कि वे लोग "जो फूंक-फूंककर क़दम रखने की सलाह देते हैं—संविधान बनने के बीस वर्ष बाद भी—बास्तव में शहरों के पूंजीपति वर्ग के बहुत सम्य और शिष्ट लोग हैं और उन्हें इस बात का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कि प्रस्तावित सुझावों के प्रति कटूरपंथी मुसलमान का विरोध कितना स्वार्थपूर्ण और सोचा-ममझा कदम है। वह हठधर्मी इसलिए कर रहा है कि मनुभव ने उसे सिखा दिया है कि हठधर्मी करने से लाभ होता है। जब वह

देखेगा कि इससे काम नहीं चलता और सुधार के लिए उग्रकी प्रनुभवि जस्ती नहीं रह गयी है, तो वह उसे स्वीकार कर लेगा, जाहे हँसकर स्वीकार करे या रोकर पर विरोध तो रक्षा-भर भी नहीं करेगा।¹⁴² शायद इसीलिए वे संसद से प्रनुभवोप करते हैं कि वह सभी नागरिकों के लिए समाज ध्यवहार-संहिता सागू करने का काम शुरू कर दे। उन्हें पूरा विश्वास है कि 'धर्म संसद के धर्म-निरपेक्ष सदस्य और सरकार नि.संस्कृत भागे बढ़े और सभी नागरिकों के लिए एक समाज ध्यवहार-संहिता का नामून सागू कर दें तो मुसलमानों की ओर से कोई चमत्कारी विरोध नहीं होगा।'¹⁴³ लेकिन हमें दर है कि गमस्था इतनी सीधी-सादी नहीं है। अगर हम घब्ढी तरह इम गमस्था की छानबीन करें और इस बात को ध्यान में रखें कि मुस्लिम नमाज धर्म भी धर्म की बहुत—कुछ लोग इसे आवश्यकता से अधिक भी कह सकते हैं—महत्व देता है तो हम इम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि चमत्कारी से अधिक भी 'कुछ' हो सकता है।

उपर्युक्ती इस बात को भूल जाते हैं कि मुस्लिम मद्दी और धीरतों के विशाल बहुमत की दृष्टि में शादी और तलाक के बीच नागरिक समस्याएँ नहीं हैं। वास्तव में उनकी यह आस्था है कि इन दो मामलों में शरीअः के आदेशों से जरा भी इधर-उधर हटना नागरिक अपगाध हो या न हो पर बहुत संगीत मञ्जहबी गुनाह जल्द है। हम इस बात से दूर नहीं करते कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिनके लिए शादी और तलाक शुद्धतः धर्म-निरपेक्ष और नागरिक समस्याएँ हैं। परन्तु इन लोगों का अलग ही एक वर्ग है और वास्तव में उन्हे मुस्लिम पर्मनल लों में किसी सुधार की आवश्यकता है भी नहीं। जिस वर्ग के बारे में कहा जाता है कि उसे सुधार की ज़रूरत है वह तो अनशंद या कम पढ़े-लिये मुसलमानों का 'धार्मिक रूप से संवेदनशील' वर्ग है। और मुसलमानों का यह वर्ग मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह उलमा पर भरोसा करता है। जब तक 'धर्म-निरपेक्ष आधुनिक' शिक्षा की मदद से इसकी आवश्यकता से अधिक धार्मिक संवेदनशीलता को कम नहीं किया जायगा तब तक इस वर्ग के आगे की दिशा में बढ़ने की सम्भावना कम ही है।

इतिहास का अनुभव भी यही बताता है कि जब तक उलमा लोग हरी झंडी नहीं दिखायेंगे तब तक मुसलमान अपने धार्मिक जीवन को धर्म-निरपेक्ष संस्थाओं के अधीन कर देने की दिशा में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं होगे। एक उदाहरण लीजिये। 1939 के मुस्लिम विवाह-भंग अधिनियम को, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, शुरू-शुरू में उलमा ने अपना आशीर्वाद दिया था। लेकिन जब वह पास हो गया तो उन्होंने उसका बहिष्कार इस आधार पर कर दिया कि सरकार ने उलमा की तरफ से लगायी गयी यह सबसे बड़ी शर्त पूरी नहीं की थी कि इस प्रकार के तमाम मुकदमों की सुनवाई किसी मुस्लिम

जज की अदालत में हो; अगर मुकदमे का फँसला होने से पहले ही मुस्लिम जज का तबादला हो जाय और उसकी जगह कोई गैर-मुस्लिम जज आ जाय तो वह मुकदमा या तो उसी मुस्लिम जज के सामने पेश किया जाय या फिर पास ही की किसी ऐसी अदालत में जिसका जज मुसलमान हो।⁴⁴ मुस्लिम जज पर उलमा का आग्रह किसी सांप्रदायिक भावना के कारण नहीं था, न ही इसका उद्देश्य मुसलमानों को अधिक नौकरियाँ दिलाना था; यह तो शरीअः के उस नियम का पालन मात्र था जिसमें कहा गया है कि क़ाजी मुसलमान होना चाहिए।⁴⁵ लेकिन सरकार ने यह शर्त नहीं मानी और विधेयक पास हो गया और उसमें हर जज को, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, 1939 के मुस्लिम विवाह-मंग अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमों का फँसला करने की अनुमति दे दी गयी। सरकार के इस निर्णय के बाद कोई 'चमत्कारी' बात नहीं हुई, इसके अलावा कि उलमा ने अपने धार्मिक-राजनीतिक संगठन के माध्यम से यह घोषणा कर दी :

जमीयते-उलमा-ए-हिन्द इस बात को साफ कर देना चाहती है कि अगर कोई गैर-मुस्लिम जज किसी शादी को तोड़ देने का फँसला करेगा तो शरीअः की नज़र में वह शादी बहाल मानी जायगी। अगर कोई औरत किसी गैर-मुस्लिम जज की अदालत से तमाक का फँसला लेकर किसी और शख्स से शादी कर लेती है, तो इसे हरामकारी करार दिया जायगा। अदालत ने भले ही शादी तोड़ दी हो लेकिन वह अपने पहने शीहर की ही बीवी रहेगी।⁴⁶

उलमा लोग अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि जज मुसलमान होना चाहिए।⁴⁷ (लेकिन उलमा की इस राय के बावजूद, हालात मुस्लिम औरतों को इस कानून के अनुसार अपनी शादियाँ तुड़वाने के लिए भारतीय अदालतों का दरबाज़ा खटखटाने से रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं।)⁴⁸

हम यह तो नहीं कह सकते कि उलमा लोग इस बात से अनजान हैं कि अगर किसी तरह का अदालती अंकुश न हो तो किसी भी मुस्लिम औरत को उसका शीहर हर तरह से सता सकता है, लेकिन वे किसी ज़ीमत पर शरीअः के नियमों का उत्तर्वंश करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला है; उनका मशाविरा है कि मुद्दे, वह मद्द हो या औरत, अपना मास्ला शहर के बा-इच्छत मुस्लिम युजुगों के सामने पेश करे—जिनमें अगर कम-से-कम एक आतिम भी हो तो भन्धा है—और उनसे प्रार्थना करे कि वे शरीअः के आधार पर उस मुकदमे का

फैसला कर दें।⁴⁹ इसके लिए मुसलमानों ने अलग-अलग शहरों में 'अर्ध-धार्मिक अदालतें' कायम कर ली हैं। अदालतों जैसी ये संस्थाएँ मुद्दालेह (प्रतिवादी) के नाम सम्मन जारी करके उसे 'अदालत' के सामने तलब करती हैं और उससे शादी भंग न करने के लिए तर्कसंगत कारण बताने को कहती हैं। अगर सम्मन की तामील उस पर नहीं हो पाती तो अखबारों में वही सम्मन छपवा दिया जाता है और मुद्दालेह को चेतावनी दे दी जाती है कि अगर वह हाजिर न हुआ तो मुकदमे का एकतरफा फैसला कर दिया जायगा।⁵⁰

ऐसी परिस्थितियों में, हमारी तो समझ में नहीं आता कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार-संहिता, जिसे उलमा का आशीर्वाद प्राप्त न हो, उन मुसलमानों के लिए वया अन्तर पंदा कर सकती है जो विवाह और तलाक को धार्मिक मामला मानते हैं। तोकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसी 'व्यवहार-संहिता' से एकतरफा तलाक की बुगई को रोकने में सफलता मिलेगी, वयोंकि तब कोई भी तलाक अधिकारपूर्ण न्यायालय की मंजूरी के बिना सार्थक नहीं होगा। लेकिन यह भी आवश्यकता से अधिक आशा करना है। शरीआः के अनुसार, जिस क्षण कोई शौहर अपनी बीवी को बीवी मानने से इकार कर देता है उसी क्षण से वह उसके लिए अजनबी हो जाती है। जब तक एक निश्चित अवधि के अन्दर वह अपनी इच्छा से अपना फैसला वापस न ले ले तब तक किसी को भी उसका फैसला रद्द करने का अधिकार नहीं है। अदालत हृद-से-हृद यह कर सकती है कि उस पर गैर-कानूनी तीर पर अपनी बीवी को तलाक देने के अपराध में मुकदमा चलाये, तोकिन इससे तलाक रद्द नहीं हो सकता। एकतरफा तलाक अपनी जगह बहाल रहेगा। अगर बीवी 'धार्मिक विचारों की' है तो वह खुद भी ऐसे शौहर के साथ, जिसने शादी तोड़ दी हो, विवाह के सम्बन्ध रखने से इकार कर देंगी वयोंकि उसके लिए ऐसा करना हरामकारी होगी। यह कोई मनमान्दृत उदाहरण नहीं है। जिन आधुनिक मुस्लिम देशों में जनता को उचित शिक्षा दिये विना मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुप्तार कर दिया गया है वहाँ आज यही हो रहा है। वहाँ के उलमा लोगों को यही सलाह देते हैं कि अदालत के रद्द कर देने के बाद भी एकतरफा तलाक जायज माना जायगा।⁵¹ अगर भारत में भी 'धार्मिक रूप से संवेदनक्षील' लोगों को ठीक से शिक्षा दिये विना उन पर बलपूर्वक धर्म-निरपेक्ष मुधार घोषने की कोशिश की गयी तो वहाँ भी यही होगा।

चाहिए। अगर वे चाहते हैं कि लोगों के विचारों पर धर्म का प्रभाव बना रहे तो उन्हें सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि शायद सुधारों का ढाँचा भी बदल रहा हो, विशेष रूप से कुछ धर्म-निरपेक्षतावादी मुसलमानों की नयी रणनीति को देखते हुए। वे अब यह सुझाव रखने लगे हैं कि 'अंग्रेजों के बनाये हुए' 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ⁵² में कुछ नयी धाराएँ और जोड़ दी जायें। उनका कहना है कि मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी पहली बार कानून की शक्ति अंग्रेजों ने ही दी थी, और 1939 में उन्होंने ही उसकी कुछ धाराओं में संशोधन करके मुस्लिम औरतों को इस बात की सुविधाएँ प्रदान की थी कि वे मुस्लिम विवाह-मंग अधिनियम के अंतर्गत अपनी शादियाँ अदालत के हुक्म से भंग करवा सकें; ⁵³ इसलिए, धर्म-निरपेक्षतावादियों की राय में, अगर अंग्रेजों के बनाये हुए मौजूदा-मुस्लिम पर्सनल लॉ पर संसद पुनर्विचार करे तो मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। अगर इसे मान लिया गया, तो सरकार और रुढ़िवादियों की टक्कर में रुढ़िवादियों का पक्ष बहुत कमज़ोर हो जायेगा।

इस ग्राशय के दो सुझाव अखबारों में छप भी चुके हैं; एक तो श्री दानियाल जतीफी का, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ एडवोकेट और नई दिल्ली की मुस्लिम प्रोग्रेसिव ग्रुप नामक संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं⁵⁴ और दूसरा प्रो॰ ग्रासफ ए॰ ए॰ कैज़ी का।⁵⁵

फ़ैज़ी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ में होने वाले परिवर्तनों और क्रमिक विकासों का उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:

वहुत विचार करने पर ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमानों के सामने तीन रास्ते खुले हुए हैं :

(1) कि यथास्थिति बनी रहने दी जाये।

मेरा निवेदन यह है कि यह मार्ग हमें अन्याय की ओर ले जाता है, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

(2) कि वैयक्तिक कानून की एक पूरी व्यवहार-संहिता तैयार की जाये (जिसमें शादी, तलाक और उत्तराधिकार के विपय शामिल हो)।

ऐसी संहिता तैयार करने में समय, पैसा और मेहनत लगेगी, और मैं इस मार्ग को अपनाने के विरुद्ध हूँ।

(3) कि सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता बना दी जाये।

यद्यपि भारत के संविधान में इसकी सिफारिश की गयी है, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज इस मार्ग का विरोधी है। इससे देश में मुसलमानों के

विशाल बहुमत की भावनाओं को ठेस लगेगी और इसे उनके धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप समझा जायेगा। इससे सुधार की गति भी मन्द पड़ जायेगी क्योंकि तब मुसलमान छोटे-छोटे आदिक उपायों का भी विरोध करने लगेंगे। इस समय तो केवल कुछ अनुमतिमूलक कानून बनाना और मौजूदा कानून में विशिष्ट संशोधन करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।⁵⁶

फैंजी साहब के प्रस्तावित कानून की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं “कि कोई आदमी पर्याप्त और उचित कारण के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकेगा जिसका फैसला समझौते की अदालत करेगी” और यह कि तलाक तब तक लागू नहीं होगा जब तक कोई अधिकार-प्राप्त अदालत उसका अनुमोदन न कर दे। फैंजी साहब ने वास्तव में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के पाकिस्तानी नमूने को अपनाया है।⁵⁷ उन्होंने ‘विवाह-मंग का करारनामा’ भी तैयार किया है, जिसे यदि दी गयी हिदायतों के अनुसार पूरा कर दिया जाये तो निश्चित रूप से कई ऐसे दुराचार दूर हो जायेंगे जिनका आम तौर पर एक मुस्लिम शौहर पर आरोप लगाया जाता है।

प्रो० फैंजी की तुलना में लतीफी साहब अधिक उग्रपथी मालूम होते हैं; उन्होंने अपने सुभाव संसद-मदस्थों के विचारार्थ एक ‘प्रारूप विधेयक’ के रूप में प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने उसे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शारीअत) पालन (संशोधन) विधेयक, 1969’ का नाम दिया है। इस प्रारूप विधेयक में लतीफी साहब ने और बातों के अलावा ये सिफारिशें की हैं : वह विवाह पर पूरी रोक, एकत्रफा तलाक पर रोक, और परदे की प्रथा का उन्मूलन। उनका दावा है कि यदि उनके संशोधन स्वीकार कर लिए जायें “तो इस मामले में मुस्लिम कानून दूसरी भारतीय व्यवहार-संहिताओं के अनुकूल हो जायेगा।”⁵⁸

जब हम उलमा पर दृष्टि ढालते हैं तो हम उनके बीच ऐसे लोग पाते हैं जिनके लिए “केवल वही कानून धर्म का अंग है; और इसलिए अपरिवर्तनीय हैं, जिनका उल्लेख कुरान और सुन्नः में किया गया है। इस्लामी कानून के उन व्यौरे के नियमों और गैरि उपर्युक्तों को यह स्थान नहीं प्राप्त है जो बाद की पाताविद्यों में कुरान और सुन्नः के मूल पाठ भे दिये गये कानूनों में इजिहाद* और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के इन भाग में परिवर्तन किये जा सकते हैं। मूल पाठ में प्रतिपादित उपर्युक्तों से बाद में जो कानून निष्कर्ष रूप में निकाले गये हैं उनमें बदलती हुई, परिस्थितियों के तकाजों के अनुगार संशोधन किया जा सकता है।”⁵⁹ फलस्वरूप

* यहीं दूरान और हृदीत का आदेश रखत न हो, वही अपनी राय से उचित मार्ग निकालना।

जमाग्रते-इस्लामी-हिन्द ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की उन बातों की एक सूची बनाने के लिए जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उलमा और मुस्लिम वकीलों की एक समिति नियुक्त की है।⁶⁰ लेकिन अब तक कोई मसविदा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा संभव है कि जो लोग इस समस्या से अवगत हैं भी वे इस समस्या के पूरे विस्तार और प्रभाव को नहीं समझते हैं। ऐसे समय पर जबकि धर्म-निरपेक्षतावादी एक समान व्यवहार-संहिता के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से अपने मसविदे पेश कर रहे हैं, रुढ़िवादी आमी तक क़िब्ह (इस्लामी कानून) की विभिन्न विचार-शैलियों के उलमा और मुस्लिम कानून के ज्ञाताओं को शरीअः की सीमाओं के भीतर एक प्रारूप तैयार करने के लिए निमंत्रित करने की बात सोच ही रहे हैं। जैसा कि एक 'आलिम' ने कहा है :

इसलिए वक्त का तकाजा है कि विभिन्न मुस्लिम सम्प्रदायों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले उलमा और मुस्लिम कानून के ज्ञानकारों की एक कमेटी बनायी जाये। इस कमेटी को एक मसविदा तैयार करने का काम सौंपा जाये, जिसे ज्ञानकार लोगों के पास उनकी राय के लिए भेजा जाये, और अन्ततः उस पर उन्मुक्त और भरपूर बहस के बाद अन्तिम रूप से एक मसविदा तैयार किया जाये।

इस्लामी इटिकोण से यह मसविदा मुसलमानों के लिए एक कानूनी व्यवहार-संहिता का रूप घारण कर लेगा जिसका वे पालन करेंगे। फिर भी इस देश में हर समस्या का निपटारा जिस ढंग से होता है उसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की हर व्यवहार-संहिता संसद की मंजूरी पाने के बाद ही अदालतों की ओर से लागू की जा सकती है, इसलिए उसे संसद के सामने तो पेश करना ही होगा। इसलिए कोशिश यह करनी होगी कि अन्तिम रूप से जो प्रारूप तैयार किया जाये वह बिना किसी संशोधन के पास हो जाये। परन्तु यदि कोई संशोधन आवश्यक ही समझा जाये तो उसे फिर मुस्लिम उलमा और कानून के ज्ञानकारों की उसी कमेटी के पास वापस भेज दिया जाये।⁶¹

लेकिन यह सुझाव भी इन सीमाओं में जकड़ा हुआ है :

हम कुरान या सुन्नते-रसूल में साफ़ तौर पर कही गयी बातों में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं रखते। मुस्लिम होने के नाते हमारे लिए उनके निए अकीदत (आस्था) रखना और पूरी ईमानदारी के साथ उन पर अमल करना जाजिम है। हम उन बातों को

भी नहीं बदल सकते जिनका फैसला उम्म: ('उम्मत' अर्थात् पूरी मुस्लिम विरादरी या समाज) के इज्मा (सामूहिक मत) ने कर दिया है। हमें क़ुरान की आयतों और सुन्नते-रसूल की तशरीह (व्याख्या) करने की भी छूट नहीं है, चाहे वे हमारे पूर्वजों की सर्वसमत ध्यास्या के प्रतिकूल ही क्यों न हों। इनमें निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर हमें हर ऐसे क़ानून को बरलने और उसमें संशोधन करने की छूट है जो तहत आते हैं [बिलकुल यही शब्द] ।¹⁰²

धर्म-निरपेक्षतावादियों की उपर्युक्त कायंनीति के कारण ऐसा लगता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समाज व्यवहार-सहिता के बनाने में यदि कोई विलम्ब होता है तो वह केवल राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण होगा। स्पष्टतः, एक बार अगर सरकार ने इस समस्या को निपटाने का फैसला कर लिया तो वह सम्भवदः धर्म-निरपेक्षतावादियों के मुझावों को ही स्वीकार कर लेगी, विशेष हृष से ऐसी स्थिति में जब कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

टिप्पणियाँ

1. बनाई ई० मोलेंट, 'ए देवयूलेराइडेशन पॉफ मॉडन कल्चर', न्यूयार्क, मॉर्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966, पृ० 3
2. मौलाना शाह मुर्ईनुद्दीन अहमद अजमेरी, 1930 में दिल्ली में जमीयते-उलमा-ए-हिन्द के 9वें प्रधिवेशन का 'चूंब-ए-सदात' ('प्रध्याया भाषण'), पृ० 25
3. देखिये, उदाहरण के लिए, मेरी पुस्तक 'मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मॉडन इंडिया', मेरठ, मोनाशी, 1970, और दिया-उल-हसन काल्पनी, 'इ देवबन्द रूकूल एंड द डिमांड फार पाकिस्तान', बम्बई, एग्रिया, 1963
4. मौलाना सैयद अब्दुल हसन अली नदवी, दीनी तालीमी बोर्ड के मुरादाबाद प्रधिवेशन में 14 जून, 1969 को प्रध्याया-भाषण (उर्दू में)।
5. देखिये, उदाहरण के लिए, हिन्दू कोड विल पर आवाय जै० वो कृपलानी की आलोचना : "प्रागर हम एक लोकतात्त्विक राज्य चाहते हैं, तो मेरा कहना यह है कि हमे कानून के बहुत किसी एक सम्प्रदाय के लिए ही नहीं बनाने चाहिये ।...वया सरकार मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए एक विवाह का क़ानून बनायेगी ?" ('कांस्टीनूएंट मोरोमली इवेटम', घंड 7, पृ० 547)।
6. देखिये, हो० ई० तिमर, 'इंडिया एंड ए सेन्यूलर स्टेट', मॉर्सफोर्ड, 1963, पृ० 290
7. उपर्युक्त, पृ० 291
8. देखिये, उदाहरण के लिए, 18, 19 पार्स, 1970 को जमीयते-उलमा की कायंकारिणी गमिति में स्वीकृत मुस्लिम परंतु ताँ पर प्रस्ताव, उर्दू शास्त्राधिक 'अल-जमीयत', दिल्ली, घंड 40, पक्क 117, 1 मई, 1970, पृ० 19; और भी, मौलाना अब्दीकुर्हमान

- संभली, 'मुस्लिम पर्सनल लों में इस्लाहात', उद्दू साप्ताहिक 'मजायम', लखनऊ, घंट 2, धंक 13, 19 जून, 1970, पृ० 8
9. देखिये, उदाहरण के लिए, मोलाना शाह मुईनुद्दीन ग्रहमद नदवी, 'आजरात' (संपादकीय), मासिक 'ममारिफ़' भाजमगढ़, जुलाई 1970; और भी देखिये साप्ताहिक 'निदा-ए-मिल्लत', लखनऊ का संपादकीय, घंट 20, धंक 22 19 जुलाई, 1970
 10. मोलाना ग्रहमद मदनी (जमीयत वाले) एक ग्रन्थबारी इन्टरव्यू में, साप्ताहिक 'सिद्ध-जदीद', लखनऊ में प्रकाशित, 19 जून, 1970, पृ० 3
 11. उदाहरण के लिए, हिन्दू कोड के अधिल भारतीय कनवेन्शन में एक बक्ता ढौ० गोकुल चन्द नारंग ने इस विधेयक के विशद बोलते हुए कहा : "उन बोटों के सहारे जिनमें गैर-हिन्दुओं के बोट भी शामिल होये, ऐसा क्रानून बनाना जिसका प्रभाव केवल हिन्दुओं पर पड़ेगा, किसी भी प्रकार उचित और न्यायसंगत नहीं है।" (ढौ० ई० स्मिथ, पूर्वोक्त, पृ० 287)। हिन्दू महासभा के एक नेता एन० सी० चटर्जी ने सदन में सदन के सभी पक्षों से अपील की थी : "हिन्दू दिवाह सक्तार में विघ्न ढालकर उसमें तलाक की पद्धति का प्रवेश मत करो।" (सोकसभा डिवेट्स, 1955, भाग 2, घंट 4, संक्षत 6855)।
 12. बी० के० सिन्हा, 'सेव्यूलरिज्म एण्ड इडियन एमोरेसी', 'सेव्यूलरिज्म इन इंडिया', संपादक बी० के० सिन्हा, लखनऊ, 1968, पृ० 33
 13. एम० भार० बेग, 'इन डिफरेंट संडिल्स', वस्त्रई, एशिया, 1967, 'सेव्यूलरिज्म' वाला अध्याय, पृ० 169
 14. नई दिल्ली के अधेड़ी दैनिक 'द इंडियन एक्सप्रेस' में उद्धृत। इसी प्रकार के विचार एक और उदारपंथी ढौ० यूसुफ हुसैन ने नई दिल्ली की इंडियन इंस्टीच्यूट ग्रॉफ़ इस्लामिक स्टडीज की ओर से भाषोजित एक सभा में 'मुस्लिम पर्सनल लों' के विषय पर बोलते हुए इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये; लखनऊ के साप्ताहिक 'निदा-ए-मिल्लत' में उद्धृत, वर्ष 20, धंक 22, 19 जुलाई, 1970, पृ० 5
 15. देखिये, उदाहरण के लिए, जिया-उल-हसन फारकी का लेख 'हिन्दुस्तानी मुसलमान और सेव्यूलर रियासत', मासिक 'जामिय़', नई दिल्ली, वर्ष 51, धंक 2, फरवरी 1965, पृ० 72
 16. मोलाना मुहम्मद भियो, 'जमीयते-उलमा वया है?' दिल्ली, जमीयत पञ्जिकेशन्स, 1946, घंट 1, पृ० 67; और भी देखिये मेरी पुस्तक मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया, मेरठ, मीनाल्दी, 1970, अध्याय 7, ('इंडिया माई भदरलैंड') पृ० 130-131, नोट 60
 17. देखिये परिशिष्ट 2
 18. ग्रासक ए० फँची, 'ग्राउटलाइस ग्रॉफ़ मुहम्मद लों', ग्रॉसफोर्ड, तीसरा सत्त्वरण, 1964, पृ० 161
 19. हमीद दलबाई की पुस्तक 'मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया' के पुस्तक-परिचय से, वस्त्रई, नवचिकेता, पुनर्मुद्रण, 1969
 20. देखिये, उदाहरण के लिए, दिल्ली के साप्ताहिक 'भल-जमीयत' के पाठकों के स्तम्भ में हमीद दलबाई पर सैयद नासिर घली (घलीगढ़) की टिप्पणी, वर्ष 40, धंक 160, 12 जून, 1970; और भी देखिये दिल्ली के दैनिक 'भल-जमीयत' का सम्पादकीय, 30 जून,

- 1970; और भी देखिये साप्ताहिक 'निदा-ए-मिस्लिम', सद्यनऊ, वर्ष 21, घर्क 14, 29 नवम्बर, 1970, पृ० 15
21. साप्ताहिक 'निदा-ए-मिस्लिम' ने अपने सम्पादकीय 'या भागका भला यूसुफ़': ('यो, यूसुफ़ के प्रति बेइना': कुरान का बाब्याँश 12 . 84) वर्ष 20, घर्क 22, 19 जुलाई, 1970 में डॉ० यूसुफ़ हुसैन को उनके भाषण (देखिये ऊंचार नोट 14) के लिए बहुत जताड़ा था। इसी प्रकार एक दूसरे सम्पादकीय 'लकीर' के 'फ़लीर' में फ़ैज़ी शाहव जो उनके भाषण (नोट 14) के लिए जताड़ा गया था, 'निदा-ए-मिस्लिम', वर्ष 21, घर्क 2, 23 अगस्त, 1970
22. देखिये, उदाहरण के लिए, गैर-मूस्लिम उपर्युक्त धर्म-निरपेक्षतावादी एम० ए० कर्दीकर, 'इस्लाम इन इडियाज ट्रांजिशन टू मॉडनिटी', बम्बई, ओरिएट सागरमंत्र, 1968, अध्याय 13, 'द मार्डिनिस्ट मूवमेंट'
23. एस० ई० हसनैन की पुस्तक 'इडियन मूस्लिम : चेलेज एण्ड धाराचुनिटी' पर ए० बी० शाह की 'भूमिका', बम्बई, जनवरी, 1968, पृ० 12। ए० बी० शाह की पुस्तक 'चेलेज टू सेक्यूरिटीम' में शब्दशः उद्धृत (केवल अन्तिम शब्द 'धर्म' को बदलकर 'नान-मूस्लिम्स' कर दिया गया है।
24. 'नामधारी आधुनिकतावादी भाग में मौनाना आजाद के अनुयायी हैं, जो कांग्रेस के साथ अपने सम्बन्ध के कारण यान्दूवादी मूस्लिम भी कहलाते हैं।...' (एम० ए० कर्दीकर, 'इस्लाम इन इडियाज ट्रांजिशन टू मॉडनिटी', बम्बई, ओरिएट सागरमंत्र, 1968, पृ० 371)।
25. उपर्युक्त ।
26. प्रोफेसर मुजीब को शायद इसलिए 'नामधारी आधुनिकतावादी' समझा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी शानदार [‘द इडियन मूस्लिम’] कठमूल्लेपन को इस उपासना के साथ आरम्भ की है: 'लेखक का दृढ़ विश्वास है कि अपने धर्म इस्लाम, और इस्लाम के नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के सच्चे (जो हैं) प्रतिनिधियों के रूप में भारतीय मुसलमानों के पाम निर्णय करने के सबसे विश्वस्त मानदण्ड हैं, और यह जानने के लिए कि उनका स्तर कितना ऊँचा या नीचा है कही और देखने की आवश्यकता नहीं है [उपर्युक्त, पृ० 24]' (हमीद दलवाई की पुस्तक 'मूस्लिम पॉलिटिक्स इन इडिया' पर ए० बी० शाह की 'भूमिका', बम्बई, नचिकेता, पुनर्मुद्रित, 1969, पृ० 20)।
- [संघर्ष आविद] "हुसैन ने [अपनी पुस्तक 'द डेस्टिनी मॉफ़ इडियन-मूस्लिम' में] 1888 से (जो हैं) विभिन्न मूस्लिम नेताओं की ओर से पाकिस्तान की माँग और उसके प्रबल समर्थन की न केवल उपेक्षा की है बल्कि यह कल्पनातीत दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है कि यह सिद्धान्त पहली बार 1937 में सावरकर ने प्रस्तुत किया था।" (एम० शार० कर्दीकर, पूर्वोक्त, पृ० 371)।
- फैज़ी 'दिल से तो भावुनिकतावादी है पर वह इतने भीर है कि कठमूल्लों की आलोचना के प्रहार का सामना नहीं कर सकते और सदा धर्म-परायण मुसलमानों की नज़रों में भाव्य बने रहने के लिए उत्तुक रहते हैं।'... 'पिछ्ले तीस वर्षों में फैज़ी ने अपने किसी भी लेख में दूसरे धर्मों पर हमला करने के लिए किसी मुसलमान की आलोचना नहीं की है।' (उपर्युक्त, पृ० 369 और 371)।
- प्रो० हवीब में उपर्युक्तियों 'भात्मालोचना की दासता' पाते हैं (हमीद दलवाई,

- पूर्वोक्त, पृ० 43)। डॉ० भुगम्पद यासीन और डॉ० अतहर अव्याप्त रिजबी के बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तकों में “भालोचनात्मक निष्पक्षता” का परिचय दिया है: (यासीन, ‘सोशल हिस्ट्री और इस्लामिक इडिया’, सख्तनऊ, 1958, रिजबी, ‘मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट’ इन नावर्ने इडिया इन सिवर्वटीथ एण्ड सेवेनटीथ सेंचुरीज़’, भागरा, 1965) देखिये दसवाई, पूर्वोक्त, पृ० 97
27. हमीद दलवाई, ‘पूर्वोक्त’ पृ० 98-99
 28. हमीद दलवाई को यह नाम उनका इष्टरव्यू लेने वाले दिलीप चिंदे ने दिया है। यह इष्टरव्यू हमीद दलवाई की ‘पूर्वोक्त’ पुस्तक का अन्तिम अध्याय है, पृ० 101-108।
 29. उदाहरण के लिए ए० वी० शाह ने बहु-धर्मी प्रथा के सवाल पर फ़िदावादियों पर जवाबी हमला इस प्रकार किया है: “इनका यह धर्म नहीं है कि सबके लिए एक समान नागरिक सहित विना किसी शर्त के ईगाइयों के द्वारा की एक विवाह की पढ़ति घोष दे या विवाह की परिस्थितियों पर ध्यान दिये विना तलाक को असम्भव बना दे। इम बात की कल्पना की जा सकती है कि दूसरी शादी की—तर्क की बात लो यह है कि कितनी भी जादियों की—धनुषति थी जा सकती है, यदि उस प्रकार की कोई भ्राताधारण कठिनाई हो, जिनका उल्लेख आम तौर पर मुस्लिम बहु-विवाह प्रथा के समर्थक बहुधा किया करते हैं। बात के बल यह है कि फिर इसी प्रकार की आजादी औरत को भी दी जानी चाहिए, कि भगव आवश्यक हो तो वह एक मेर अधिक पति कर सके।” (ए० वी० शाह का लेख ‘रिकाम और मुस्लिम लों’, ‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’, सडे भैगड़ीन, नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1969)।
 30. देखिये, उदाहरण के लिए, ए० टी० लोपणवाला का लेख ‘मुस्लिम पर्मनल लों एण्ड द ग्राउले मॉर्क यूनिपार्म मिथिल कोड फ़ार इंडिया’, ‘वेस्ट’, अंक 73, नवाम्बर-दिसम्बर 1971, पृ० 67-74
 31. भासक ए० ए० फ़ैज़ी, ‘ए मॉडर्न अश्रोव टू इस्लाम’, बम्बई, एशिया, 1963, पृ० 82 (विशेष विवाह प्रविनियम के उद्दरण के लिए परिशिष्ट 3 के अन्तर्गत देखिये)।
 32. ‘भारत का सविधान’, भनुच्छेद 25, व्याख्या 1। (कृपाण धारण करने की व्याख्या के लिए देखिये ए० वी० सिंह उवेराय का लेख ‘द फ़ाइब मिम्बल्स ऑफ़ सिक्खियम’, ‘सिक्खियम’, पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पृ० 123-138)
 33. ‘भारत का सविधान’, भनुच्छेद 15 (1)।
 34. ए० वी० शाह के लेख ‘रिकाम ऑफ़ मुस्लिम लों’ (पूर्वोक्त) का व्याख्यात्मक शीर्षक। पर मुस्लिम पर्मनल लों में सुधार को न्यायोचित ठहराने के लिए पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम देशों का सहारा लेने वालों में थी शाह घोले नहीं हैं। भारत में मौजूदा मुस्लिम पर्मनल लों का लगभग हर विरोधी इमी ढग से तर्क करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय भारतीय महिला सम की अध्याता कुमारी कपिला साहड़वाला ने खेतनऊ की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा: “पाकिस्तान ने अब अपने परिवार-सम्बन्धी नियम बदल दिये हैं और कई धीर्घीयाँ करने और जावानी तलाक दे देने को गैर-कानूनी ठहरा दिया है। दूसरे आधुनिक मुस्लिम राज्य तो इससे भी आगे बढ़ गये हैं।” (‘द स्टेट्मेंट’, नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1967)।
 35. उदाहरण के लिए इस प्रकार के तर्क का उत्तर देते हुए मोलाना सदरुद्दीन इस्लाही ने वैमानिक पत्रिका ‘इस्लामिक याट’, (ग्लोगड, 13/1, जुलाई 1969, पृ० 8-9) में

प्रकाशित घपने लेख 'रियल नेचर थॉफ द मुस्लिम पर्सनल सॉ' (एम० एन० सिटीको द्वारा उर्दू से अंग्रेजी में अनूदित) से कहा है : 'यदि कुछ मुस्लिम देशों में मुस्लिम पर्सनल लों में खुलकर परिवर्तन किये भी गये हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकालना किसी भी विद्वान को शोभा नहीं देता कि ये नियम बास्तव में परिवर्तनशील हैं। इसी प्रकार के तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश बीन का लोक गणतन्त्र चूंकि लोगों को जबर्दस्ती कुछ विचारों को स्वीकार करने पर मजबूर है, धर्म-विरोधी दण्डात्मक कारंबाइयों करता है, लोगों से जबरी मेहनत करता है और कम्यून पद्धति घपनाता है इसलिए ये सारी लोकतान्त्रिक जीवन-पद्धति के अनुकूल हैं और उन्हे अपनाया जाना चाहिए। इससे भी एक बादम आगे जाकर हम कह सकते हैं कि यह रुढ़िवाद, प्रतिक्रियावाद और सकुचित विचारों की पराकाष्ठा है कि बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद लोग लोकतन्त्र के उन सक्षणों को बनाये रखने पर आग्रह करते हैं जिनका विकास अबसे बहुत पहले कोंस, श्रिंगे तथा अमरीका में हुआ था। इस प्रकार के निष्कर्ष पर सहज बुद्धि की प्रतिक्रिया क्या होगी ? क्या यह बात एक धरण के लिए भी मानी जा सकती है कि लोकतन्त्र के नाम पर जो कुछ भी कहा या किया जा रहा है उसे आंख मूँदकर उस जीवन-पद्धति के एक आदेश का दर्जा दे दिया जाये जिसे हम लोकतन्त्र कहते हैं ? यदि यह बात तर्क की कस्टी पर धरी नहीं उतरती तो हर उस बात को, जो इस्लाम का अनुयायी होने का दम भरने वाला कोई भी व्यक्ति कहता या करता है, इस्लाम की प्रामाणिक व्याङ्या भानकर इस्लाम के साथ अन्याय क्यों किया जाये ? मुस्लिम पर्सनल लों में उन लोगों द्वारा किये गये सशोधनों का हवाला देना जिन्होंने इस्लाम में ग्रादेशों को तिलाजिल देकर घपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालियों परिवर्ती देशों से उधार ली हैं, विद्वान की सच्ची परम्पराओं के प्रतिकूल है।'

36. उदाहरण के लिए, 'सिंगापुर की धार्मिक धरातल' पर टिप्पणी करते हुए उर्दू दैनिक 'इल-जमीयत' ने (दिल्ली, 4 जुलाई, 1968) घपने सम्पादकीय में लिखा : 'किसी भी मुस्लिम देश में कोई धार्मिक धरातल या कानून बनाने वाली सत्त्वा घपने गैर-मुस्लिम नागरिकों के धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। घपने हिन्दू नागरिकों के धार्मिक कानूनों को न पाकिस्तान ने छेड़ा है न सिंगापुर ने। इसलिए, यह एक तर्कसंगत दालील है कि एक ऐसे देश में जहाँ मुसलमान धरातल मत सम्प्रदाय हैं, बहुमत सम्प्रदाय को मुसलमानों के पर्सनल लों को नहीं छेड़ा चाहिए। इसी प्रकार के विचारों के निए (मुस्लिम पर्सनल लों में सुधार के प्रश्न पर) 'द स्टेट्समैन', दिल्ली के 24 दिसम्बर, 1970 के सम्पादकीय के उत्तर में साप्ताहिक 'सिद्के-जरीद' (21/6, 8 जनवरी, 1971) भी देखिये।
37. उदाहरण के लिए, देखिये इडियन इस्टीच्यूट थॉफ एडवार्स हट्टी, शिमला, के दैनिक 'चुलेटिन' में मेरा लेख 'रिलीजन एण्ड लो इन पाकिस्तान' (3/1-2, जनवरी 1969, पृ० 23-29); हर्दू दैनिक 'इस्लाम और ग्राम-जरीद', नई दिल्ली, मेरा ही लेख 'पाकिस्तान और डानून-शोग्रत' (1/1, फरवरी 1969, पृ० 79-89) भी देखिये।
38. देखिये, उदाहरण के लिए, जै० एन० डी० एंडसन, 'इस्लामिक सॉ इन द मॉडर्न वर्ल्ड', सन्दर्भ, 1959; महमद इब्राहीम, 'इस्लामिक सॉ इन मलाया', सिंगापुर, मलयेशियन सोसियातानिकल रिसर्च इस्टीच्यूट, 1965 भी देखिये।

39. देखिये, उदाहरण के लिए, लाहोर के धैमासिक इकबाल के धर्मेश्वी खण्ड में भेरा लेख 'इदारा सफाकते-इस्लामिया' (12/3, जनवरी 1964, पृ० 1-13) ।
40. आधुनिक मुस्लिम देशों के धर्म-निरपेक्षतावादी मुसलमानों के विचारों को जानने के लिए यह पढ़िये: 'यह भी एक आन्त धारणा है कि इस्लाम ने राज्य के प्रशासन के मामले में मजहबी पीरों और मूल्लाओं को कोई विशेष स्थान दिया है वयोंकि इस्लाम बुनियादी तौर पर इस बात का विरोधी है कि मुस्लिम समाज में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनें, वे चाहे धार्मिक प्रकार के हो या धर्म-निरपेक्ष प्रकार के ।... इस्लामी समाज में मूल्ला और पीर किसी भी दूसरे धोन के विशेषज्ञों की तरह होते हैं । उन्हें राज्यसत्ता के मामलात के सम्बन्ध में अपनी बात कहने का हक ज़रूर है, लेकिन वे यह दावा नहीं कर सकते कि धार्मिक, वित्तीय अथवा तकनीकी मामलात में उनका दूटिकोण आवश्यक रूप से अन्तिम तथा निर्णायिक माना जाय । इसी प्रकार पीर और मूल्ला पूरे राष्ट्र पर इनका दूटिकोण थोप नहीं सकते । इस्लामी राज्यसत्ता के सचालन में हर प्रकार के विशेषज्ञों तथा जनकारों के विचारों पर ध्यान दिया जायगा, परन्तु अन्तिम निर्णय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होगा । अन्ततः उन्हीं को इस बात का निर्णय करना होगा कि जनता और राज्यसत्ता की भलाई किसमें है । यदि विचाराधीन समस्या के लिए किसी धोन विशेष की विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होगी तो उन्हें निश्चय ही विशेषज्ञों के मत पर ध्यान देना होगा । 'पर वे उनकी सलाह पर चलने के लिए बाध्य नहीं हैं' । (मूहम्मद मजहूरहैदीन रिहाई, 'इस्लाम एण्ड यियोक्सेली', लाहोर, 1953, पृ० 45 तथा उससे धार्गे । शब्दों पर बल हमारा) ।
41. जैसे, उदाहरण के लिए, ए० बी० शाह ने भपने पूर्वोक्त लेख 'रिफाम भ्रौंक मुस्लिम लॉ' में अपनी यह प्रस्थापना प्रस्तुत करते हुए कि भारत को एक 'समरूप पीर सहिता' प्रयत्नानी चाहिए 'जिसमें सभी वैयक्तिक कानूनों के भच्छे तहव' सम्मिलित हों, कहते हैं: 'इस बात का निर्णय करने के लिए कि किसी प्रावधान विशेष को समरूप पीर सहिता का अंग बनाया जाय या न बनाया जाय, न तो किसी धर्म के धर्म धन्य को कसीटी बनाया जाना चाहिए न सत्ता की राजनीति की आवश्यकतामों को, बल्कि कसीटी इस बात को बनाया जाना चाहिए कि भारत में उदार, सुगठित तथा गतिवान समाज के उद्भव को बढ़ावा देने के लिए किन बातों की आवश्यकता है ।'
42. उपर्युक्त ।
43. उपर्युक्त ।
44. मोलाना मूहम्मद मियाँ, 'जमीयत-ए-उलमा क्या है ?' दिल्ली, जमीयत पब्लिकेशन, 1946, खण्ड 2, पृ० 197 ।
45. इस कर्मचारी के सदिप्त विवरण के लिए देखिये, ए० ए० फैजी, 'आउटलाइस भ्रौंक मुहम्मडन लॉ', सन्दर्भ, भ्रौंकसफोर्ड, तीसरा संस्करण, 1964, पृ० 319-320; 'एनसाइक्लो-पीडिया भ्रौंक इस्लाम' में 'काझी' शब्द के अन्तर्गत भी देखिये; भारत में मुस्लिम शासन-काल में न्याय के प्रशासन के विवरण के लिए देखिये ए० बी० महम्मद, 'एडमिनिस्ट्रेशन भ्रौंक जस्टिस इन मेडीवल इंडिया', भलीयद, 1941
46. मोलाना मूहम्मद मियाँ, पूर्वोक्त, पृ० 242
47. इस प्रकार के एक मुकदमे का उल्लेख मूहम्मद मजहूल खाँ द्वारा समादित मोलाना मजहूल[क्लाम] आजाद की 'मखफूजात (दीनी)' में (दिल्ली, 1959, पृ० 122) मिलता

- है। मुपूती संघर्ष अब्दुर्रहीम की 'फ्रावा रहीमिया' भी देखिये (धर्म 2, पृ० 143, मूरत, 1968), 'चेंज इन मुस्लिम पर्सनल लॉ' (प्राच्यविदों के 26वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर 9 जनवरी, 1964 को नई दिल्ली में आयोजित बिचार-गोष्ठी की कार्यवाही) भी देखिये (नई दिल्ली, 1964, पृ० 93), जिसमें 'एक बक्ता ने कहा कि मुस्लिम कानून केवल मुस्लिम न्यायाधीशों को ही लागू करना चाहिए।' इसके उत्तर में अधिवेशन के अध्ययन थीं एम० सी० छागला ने, जो उस समय भारत के शिक्षा-मन्त्री थे, कहा था : 'वडे ग्रदव के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ।'
48. मेरे पास उन तमाम मुकदमों का व्योरा जमा करके उसे तालिकाबद्द करने के साधन नहीं हैं, जो मुस्लिम औरतों ने अपने विवाह रद्द कराने के लिए किसी गैर-मुस्लिम जन की अदालत में दायर किये हों। फिर भी पूरे उप-महाद्वीप की विभिन्न अदालतों में काफी संख्या में ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमे का फैसला किया गया है जिनमें 1939 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में झलंग-झलंग व्याप्त्याएँ तथा निर्णय दिये गये हैं। तीयबंदी के 'मुस्लिम लॉ' के नवीनतम संस्करण में इस प्रकार के मुकदमे मिल जायें। केरल हाई कोर्ट में हाल ही में एक मुकदमे का फैसला किया जो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें इस्लाम के प्राचीन प्रामाणिक कानूनविदों की अनेक ध्यानाधीशों का खण्डन किया गया है। देखिये यूमुक बनाम सौरमा, मॉल इंडिया रिपोर्ट, 1971, केरल, 261। इस मुकदमे के सम्बन्ध में देखिये 'इस्लाम एण्ड बॉड्न एज' में दानियाल लतीफी का लेख 'आउटस्टैंडिंग डिसीज़न आॅन मुस्लिम पर्सनल लॉ' (नई दिल्ली, मई 1972, पृ० 16-25)।
49. दानल-उलूम नदवतुल-उलमा, लखनऊ, के दाहल-झपता की ओर से जारी किये गये एक फतवे के अनुसार, जो लखनऊ के उर्दू पासिक 'सामीरे-ह्यात' में प्रकाशित हुआ था (25 अगस्त, 1969, पृ० 15); उसी पत्रिका का 25 मार्च, 1969 का अक भी देखिये, पृ० 15।
50. इस प्रकार की नोटिसें दिल्ली के उर्दू देनिक 'प्ल-जमीयत' में प्रकाशित हुई हैं, उदाहरण के लिए उसके 19 सितम्बर, 1969 के अक में देखिये देवबन्द की एक 'धर्म-धार्मिक अदालत' का जारी किया हुआ सम्बन्ध, मुजाफरनगर से जारी किये गये ऐसे ही एक सम्बन्ध के लिए देखिये उग्रका 27 सितम्बर, 1969 का अक।
51. देखिये, उदाहरण के लिए, अब्दुल्लाह 1966 में काहिरा में अपने वापिक सम्मेलन में मजमा झल-बूहूस अब-इस्लामिया हारा एकत्रणा तलाक के बारे में स्वीकृत प्रस्ताव। (इसके उर्दू अन्तर्गत के लिए देखिये मासिक 'बुरहान', दिल्ली, जनवरी, 1967; और भी देखिये साप्ताहिक 'जमीयत टाइम्स', दिल्ली, 2/49, दिसम्बर 1968, पृ० 20)।
52. देखिये परिशिष्ट 1
53. देखिये परिशिष्ट 2
54. 'जनन अॉफ कास्टीच्यूनल एण्ड पालमिटरी अफेयर्स' में दानियाल लतीफी का लेख 'मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफार्म' (4/1, जनवरी-मार्च, 1970, पृ० 111-118)।
55. भास्कर ए० ए० कंडो, 'द रिपार्मेंट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया', दम्बई, नचिकेता 1971; (पहले इसी शोरेंक से एक लेख के हप में 'ह्यूमनिस्ट रिट्यू' में प्रकाशित, दम्बई, 8/अब्दुल-दिसम्बर 1970, पृ० 369-403)।
56. कंडो, 'द रिफार्मेंट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया', दम्बई, नचिकेता, 1971, पृ० 36

57. देखिये, 'द मुस्लिम कॉमिटी लाइ आईडिनेंस', 8, 1961, पाकिस्तान सरकार प्रकाशन।
58. सतीझी, पूर्वोक्त, पृ० 118
59. दीमासिक 'इस्लामिक थाट' में मोलाना सदेश्वरीन इस्लाही का लेख 'रियल नेचर थाँफ मुस्लिम पर्सनल लॉ' (उर्दू से एम० एन० सिटोकी द्वारा अनुदित) अलीगढ़, 13/1, जूलाई 1969, पृ० 10-11
60. देखिये, उर्दू दैनिक 'दावत', दिल्ली, 19 मार्च, 1971
61. मोलाना सैयद हामिद भली, सदर, इदारा-ए-शाहादते-हक्क, दिल्ली के लेख 'चैंजेज हन मुस्लिम पर्सनल लॉ : स्कोप एण्ड प्रोसीजर' से उद्धृत, जो उन्होंने 1968 में अलीगढ़ के मुस्लिम रिसर्च संकाल के तत्त्वावधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर मायोजित विचार-गोष्ठी में पढ़ा था, उर्दू से इकबाल ए० असारी द्वारा अनुदित, अलीगढ़ के दीमासिक 'इस्लामिक थाट' में प्रकाशित (14/2, प्रवृत्ति 1970, पृ० 15)। (तगभग विलकुल ऐसा ही रखिया जमामते-इस्लामी फैन्ड ने भी अपनाया है : देखिये, जमामते-इरलामी हिन्द : एक तमार्फ', दूसरा मुद्रण, 1967, पृ० 84-85)।
62. मोलाना सैयद हामिद भली, पूर्वोक्त, पृ० 13

भ्रामक धर्म-निरपेक्षता

पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि भारतीय मुसलमानों को धर्म-निरपेक्ष बनाने की दिशा में लगभग कोई भी सच्चा प्रयास नहीं किया गया है। जो लोग यह काम कर सकते थे उनके बारे में ठीक ही कहा है कि वे "निराशा और अकेलेपन की भावना का शिकार है। वे स्वयं को अपने ही समाज से कटा हुआ अनुभव करते हैं क्योंकि उनके और दोष समाज के बीच शिक्षा, संस्कृति, रहन-सहन के स्तर और प्रयास के लक्ष्यों के मामले में स्पष्टतः इतनी गहरी खाई है कि उसे पाटना असम्भव है।"¹ और जो लोग समाज को आनंदोत्तित कर सकते हैं उनका मत यह है कि धर्म और धर्म-निरपेक्षता दो तलबारें हैं जो एक ही म्यान में नहीं रह सकती। हालाँकि मुसलमानों को बार-बार समझाया जाता है कि धर्म-निरपेक्षता धर्म का नियेध नहीं है किंतु भी उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता। "इसका सबूत यह है कि उर्दू में हम 'सेक्यूलर' शब्द का प्रनुवाद 'ला-दीनी' या 'गैर-मजहबी' या 'ना-मजहबी' कर सकते हैं—ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका अभिप्राय धर्म का विरोध या धर्म के प्रति उदासीनता होता है।"² अगर हम चाहें तो इसे इस्लाम के अतिरिक्त दूसरी विचारधाराओं के प्रति मुसलमानों की 'हठधर्मी' भी समझ सकते हैं जिसकी जड़ें मध्ययुगीन शिक्षा पाये हुए उलमा पर उनके पूरे भरोसे में बहुत गहराई से जमी हूई हैं; लेकिन एक और बात भी है जिसकी और बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता और जिसकी बजह से धर्म-निरपेक्षीकरण के प्रति उनके इस अङ्गियल रूपेये को बल मिलता है, और वह है धर्म के प्रति धर्म-निरपेक्षतावादियों की विरोध की भावना।

जैसा कि हम देख चुके हैं, धर्म के मामले में मुसलमान बहुत संवेदनशील होता है। इस संवेदनशीलता की उपेक्षा करके, बाचाल धर्म-निरपेक्षतावादी इस्लाम की और धर्म की ही आलोचना करने में बहुधा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं:

चूंकि हिन्दू धर्म से भिन्न इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो 'वही' और 'इल्हाम' के रूप में नाजिल हुआ है, जिसका यह भी दावा है कि मुहम्मद साहब आखिरी पंशुभर थे, इसलिए जहाँ तक मनुष्य के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विकास का सम्बन्ध है इस बात से कुरान पर अन्तिम शब्द होने की मुहर लग जाती है।

यह सरासर बेतुकी है, यह शब्द मोमिनों को चाहे जितना बुरा लेंगे। चूंकि मुस्लिम भत के नेता इस बात को दूरदर्शिता के कारण कह नहीं सकते, इसलिए किसी और को यह बताना होगा कि किसी भी धर्म का धर्मप्रन्थ चाहे वह खुदा के यहाँ से 'नाजिल' हुआ हो या उसे अृपियों ने 'सुना' हो, किसी भी क्षेत्र में अन्तिम शब्द होने का दावा नहीं कर सकता।^३

इस व्यापक को और ऐसे ही दूसरे व्यापारों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि 'मुस्लिम भत का कोई भी नेता' किस हृद तक अपने समाज को इस बात का विश्वास दिला सकता है कि भारतीय "धर्म-निरपेक्षता" किसी भी प्रकार धर्म-विरोधी नहीं है।^५

इस तरह की 'दो-टूक बातों' से केवल 'कट्टरपंथी' और 'धर्मोन्मुख' मुसलमान ही धर्म-निरपेक्षता से दूर नहीं हृते बल्कि बहुत-से और लोग भी धर्म-निरपेक्षता-वादियों की ईमानदारी पर शक करने लगते हैं। जैसा कि एक अवकाश-प्राप्त मुस्लिम प्रोफेसर ने एक बार मुझसे कहा : "मुझे कट्टर धर्म-परायण हिन्दुओं से कोई डर नहीं लगता; वे जानते हैं कि किसी से अगर उसका विशिष्ट धार्मिक रूप छीन लिया जाय तो उसे कैसा लगेगा। हमें असली खतरा तो उन तथाकथित धर्म-निरपेक्ष हिन्दुओं से है जो धर्म का पालन नहीं करते। एक बार सत्ता हाथ में आ जाने पर वे भारत से इस्लाम का सफ़ाया कर देंगे।" मैंने उनसे कहा, "यह तो ठीक है, लेकिन वे तो सभी धर्मों के साथ, अपने धर्म के साथ भी, ऐसा ही करेंगे।" "जी नहीं," प्रोफेसर साहब ने कहा, "वे ऐसा नहीं करेंगे। वे भारतीय परम्परा और सम्यता के नाम पर हमारे ऊपर हिन्दू धर्म थोड़े गे। वे हिन्दू धर्म की उन फ़ालतू चीज़ों को रद्द कर देंगे जिनमें वे स्वयं विश्वास नहीं रखते और हमसे कहेंगे कि तुम भी शारीअः के साथ ऐसा ही करो। फिर हमारे पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं: न धर्म, न इतिहास, न अपनी कोई पहचान।" शायद यह प्रोफेसर साहब बहुत-से भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को व्यवत कर रहे थे। वे 'भारतीय राष्ट्र' के साथ मिलकर एकाकार हो जाने में एक ऐसा खतरा देखते हैं जो सभी दूसरे खतरों से बढ़ा है। उनका तर्क है कि यदि वे भारतीय राष्ट्र को, जिसका विशाल बहुमत गैर-मुस्लिमों का है, अपने प्रेम और बफ़ादारी का केन्द्र बना लें तो अपने धर्म के साथ उनके बन्धन धीरे-धीरे कमज़ोर

पढ़ते जायेंगे, यहाँ तक कि एक दिन उनकी रुह भी उनसे छिन जायगी, जिसे वे दुनिया मे हर चीज से बढ़कर चाहते हैं ॥^५

अक्सर ऐसा समझा जाता है कि मुसलमानों का बेवल वह हिस्सा जो उलमा के नेतृत्व मे है, अपने गौरवशाली अतीत की बाद में आहें भरता है और उसे बापस ले आना चाहता है। सच तो यह है कि दूसरे लोग भी यही करते हैं, अन्तर बस इतना है कि वे इस्लाम के बजाय 'इण्डो-मुस्लिम' संस्कृति का शब्द प्रयोग करते हैं। उनकी शिकायत यह है कि मध्य-युग मे भारतीयों ने जो भूमिका निभायी है उसकी या तो बिलकुल उपेक्षा करने या कम-से-कम उसके महत्व को धटाने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग भी पहली शताब्दी ईसवी के बाद के दौर के बारे मे बहुत कम काम करता है। ऐसा लगता है कि उन्हें भारतीय सम्पत्ति की प्राचीनता के प्रमाण ढूँढने की अधिक उत्सुकता है, उसके बाद के युगों के सामाजिक जीवन और सस्थायों के विकास की उत्तीर्ण नहीं ।^६ इस प्रकार यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक धर्म-निरपेक्ष मुस्लिम सज्जन, जो यो तो भारतीय मुसलमानों के पूरे सामाजिक-धार्मिक ढाँचे पर फिर से विचार करने और उसे बदलने को तैयार हैं, पर मुसलमानों के बारे मे की जाने वाली इस शिकायत पर कि उन्हें भारतीय जीवन की 'मूल धारा' का एक अंग बन जाने मे कोई दिलचस्पी नहीं है, टीका-टिप्पणी करते हुए कहते हैं :

इस सिलसिले मे सबसे दिलचस्प बात और सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि राजनीति के क्षेत्र के हमारे दिग्गजों मे से या हमारे बुद्धिजीवियों मे से किसी ने भी इस बात की परिभाषा देने की कोई कोशिश नहीं की है कि आखिर यह मूल धारा है क्या। शायद बिना कहे ही यह समझ लिया गया है बहुमत सम्प्रदाय की प्रथाएँ और परम्पराएँ, महत्वाकांक्षाएँ, आस्थाएँ और आचार-व्यवहार, रुचियाँ और अरुचियाँ ही वह मूल धारा है—सारी-की-सारी, जिनका अनुकरण ज्यो-का-र्यो करना होगा। इद के बजाय होली मनाना मूल धारा है; नमस्ते मूल धारा है, गाय की पूजा करना मूल धारा है; हिन्दी मूल धारा है; और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शाश्वत होना तो मूल धारा है ही ।^७

कोई लक्ष्य न रहकर एक प्रक्रिया बन गयी है; अब वह एक ऐसी चीज बन गयी है जिसे हमें अपनाना नहीं है बल्कि जिसमें हमें भाग लेना है। आधुनिकता ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पास हो, वह एक ऐसी चीज है जिसे हम करते हैं, अच्छी तरह करें या बुरी तरह करें।^९ इस बात को बहुत कम समझा जाता है, पर यह बात धर्म-निरपेक्षता के बारे में भी सच है। धर्म-निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में भाग न लेने के लिए अक्सर मुसलमानों की आलोचना की जाती है, बिना यह सोचे-समझे कि किसी प्रक्रिया में भाग लेना दो-तरफा बात होती है। सन्देह और शक से बोभिन बातावरण में यह काम अच्छी तरह हो ही नहीं सकता। कुछ अलग-अलग व्यक्तियों को छोड़कर मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों के बीच अब लगभग कोई भी विचारों का आदान-प्रदान नहीं होता। ही सकता है कि राजनीतिक कारणों से हम इस दूरी को उभारकर सामने रखना न चाहें लेकिन एक बाहरी पर्यवेक्षक इसके बारे में कहता है :

पिछले बीसं-तीस वर्षों से एक गैर-पश्चिमी—आर्थात् इस्लामी—सम्भाता का अध्ययन करने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया है कि पश्चिमी देशों के साथ उसके सम्बन्ध के प्रसंग में और हिन्दू संस्कृति के साथ उसके सम्बन्ध के प्रसंग में भी, परस्पर भिन्न सम्प्रदायों की अन्तरोगत्वा समता और उनकी निकटवर्ती विप्रता दोनों ही उससे कही अधिक गहरी हैं जितनी कि ऊपर से देखने में लगती हैं—अपनी क्रिया में कही अधिक विस्तृत और व्यावहारिक दृष्टि से कही अधिक महत्वपूर्ण।^{१०}

‘दोनों सम्प्रदायों के बीच पारस्परिक सन्देहों और शंकाओं के बादल इतने गहरे हो चुके हैं कि :

यदि कोई हिन्दू इतिहासकार मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के बारे में लिखता है तो उसे पूर्वाग्रही में फैसा हुआ अवश्य समझा जायगा चाहे वह विभिन्न संस्थाओं और नीतियों के बारे में अपनी आलोचना को मुसलमानों के लिखे हुए स्नोन-ग्रन्थों पर ही आधारित वयों न करे। अगर कोई मुस्लिम इतिहासकार वही आलोचना करे तो उसे तथ्यों का यथार्थ वर्णन माना जायगा। इसी प्रकार यदि कोई मुस्लिम इतिहासकार विभिन्न संस्थाओं, नीतियों और प्रवृत्तियों की विवेचना करते समय उस दृष्टिकोण की अवहेलना करे जिसे भारतीय इतिहास के बारे में हिन्दू दृष्टिकोण कहा जाता है, तो उसे भी पूर्वाग्रही का शिकार समझा जायगा, भले ही उसके निष्कर्ष अखण्डनीय प्रमाणों पर आधारित हों और जिन भावनाओं

की उसने उपेक्षा की है वे केवल कोरी भावनाएँ ही हों ।...

इस समय तो ऐसा लगता है कि केवल इतिहास ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्र-कल्याण से सम्बन्धित किसी भी समस्या के बारे में किसी के लिए भी दूसरों के बारे में एक भारतीय नागरिक की हैसियत से बोलना या लिखना लगभग असम्भव-मा हो गया है । विचार और भाषण की स्वतन्त्रता को उसके वास्तविक अर्थ में मान्यता नहीं दी गयी है ।¹¹

आज परिस्थिति ऐसी है कि उन मुसलमानों के लिए भी, जो इन शब्दों की किसी भी परिभाषा के अनुसार 'धर्म-निरपेक्ष' और 'आधुनिक' हैं, दिल्ली जैसे मिले-जुले शहर में किसी हिन्दू मकान-मालिक का घर किराये पर ले सकना कठिन हो गया है । उनसे इकार इसलिए कर दिया जाता है कि वे 'मुसलमान' हैं । "जो मकान-मालिक कहने को तो मुसलमानों को किराये पर अपना मकान देने से इंकार नहीं करते, इस बहाने की आड़ लेकर इंकार कर देते हैं कि वे ध्याज और गोश्त खाते हैं ।"¹²

हमें गम्भीरता के साथ विचार करना होगा कि इन सन्देहों और धंकाओं को कैसे दूर किया जा सकता है; हमारी इस छानबीन में तो वस्तु-स्थिति का सही-सही सर्वेक्षण ही करने का प्रयत्न किया गया है । ऐसा लगता है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लगभग हर मुसलमान को परिस्थितियों से विवश होकर उस बिरादरी की हाँ मे हाँ मिलानी पड़ती है जिसका कि वह संयोगवश एक सदस्य है । इससे एक ओर तो उन लोगों को बल मिलता है जो अपने लिए खुली 'साम्प्रदायिक' पहचान की बात करते हैं और दूसरी ओर यह अन्तर धुंधला पड़ता जाता है कि कोन धर्म-निरपेक्ष है कोन नहीं ।

यह शायद इस प्रवृत्ति का परिणाम है कि हम अपने अतीत की ओर देखने लगे हैं, और "विभिन्न पक्षों का अलग-अलग अपना-अपना गौरवशाली अतीत है ।"¹³ हमारी पाठ्य-पुस्तकों के नायक सरासर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से चुने जाते हैं ।¹⁴ "इससे हँसरे पक्ष में यह अस्वस्थ प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि उसे इतिहास में उसका उचित स्थान नहीं मिल रहा और इसलिए उसे स्वयं अपना अतीत निर्माण करना होगा ।"¹⁵ इस प्रकार अल्पसंख्यक पक्ष न केवल अपने अतीत से प्रेरणा लेने का प्रयत्न करता है बल्कि इस बात का आश्वासन भी कर लेना चाहता है कि बहुमत दल उसके अतीत को कही मिटा ही न दे । इस मामले में जो धर्म-निरपेक्षतावादी हैं और जो नहीं हैं उनमें लगभग कोई अन्तर नहीं है: किसी स्थिति-विशेष के प्रति दोनों ही की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है । उदाहरण के लिए एक समकालीन भारतीय आचरण के प्रति एक धर्म-निरपेक्ष

मुस्लिम की टिप्पणी पर विचार कीजिये :

...यदि इस दोहरे मानदण्ड का कोई और प्रमाण आवश्यक है तो वह (हिन्दू महासभा के) ३० सावरकर की मृत्यु पर उन्हें अपित की गयी थ्रद्धांजलियों में मिलता है। मृतात्मा के बारे में प्रशंसात्मक बातें अवश्य कही जानी चाहिए, और वह नि.सन्देह सराहनीय व्यक्ति थे जिन्होंने कई सराहनीय काम किये थे। परन्तु यह बुनियादी बात अपनी जगह पर है कि उनकी विचारधारा सर्वथा धर्म-निरपेक्षता का नियेध थी। परन्तु ऐसा लगता है कि इस बात के कारण उन लोगों में से किसी को भी कोई चिन्ता नहीं हुई जिन्होंने उनको एक ऐसे आदर्श और एक ऐसी प्रेरणा के रूप में उछाला जिसका हर भारतीय को अनुकरण करना चाहिए। मुसलमानों को धारा किया जाय यदि वे पूछें : किन भारतीयों को ?¹⁶

३

हम जानते हैं कि भारत के लोगों के मन में सास्कृतिक संबेदनशीलता कितनी सशक्त है; संकट के क्षण में सारे भगड़े धार्मिक रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे लोग भी जिन्हें उनके सहधर्मी धर्म के प्रति शंकापूर्ण या उदासीन रवैया रखने के लिए बड़ी कटु आलोचना का लक्ष्य बनाते हैं, कुछ परिस्थितियों में उन्हें भी उन लोगों से अलग पहचान सकना कठिन हो जाता है जो अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बिरादरी का अभिन्न अंग होते हैं। उदाहरण के लिए प्रो० आसफ़ ए० ए० फ़ैज़ी को ले लीजिये, जिनकी मुसलमानों के बीच इस्लाम के प्रति उनके 'अति-ग्राधुनिक दृष्टिकोण' के कारण बहुधा आलोचना की जाती है।¹⁷ 'भारत में इस्लाम' के विषय पर एक गैर-मुस्लिम धर्म-निरपेक्षतावादी श्री ए० बी० शाह द्वारा आयोजित एक विचार-गोष्ठी में बोलते हुए फ़ैज़ी साहब ने कहा :

केवल एक मुसलमान ही इस्लाम की, स्वयं अपने धर्म की आलोचना कर सकता है; वही दूसरे मुसलमानों को यह बता सकता है कि ये बेहतर मुसलमान कर्मे बन सकते हैं और इस्लाम में कर्मे सुधार कर सकते हैं। यह नियम सभी धर्मों के लिए सार्थक है।¹⁸

फ़ैज़ी साहब धर्मों के यथार्थ और आलोचनात्मक अध्ययन के विश्वद नहीं हैं; भारत के गैर-मुस्लिमों के इस्लाम के बारे में बोलने पर उनकी आपत्ति

उनके इस अनुभव पर आधारित है कि :

दो अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच जब भी वहस होती है तो उसका अन्त बहुधा एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने और गलतफहमी में ही होता है। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो इवयं अपने धर्म का अध्ययन करते हों; ऐसे लोग तो जो किसी दूसरे धर्म को समझते हों और भी कम हैं और जो हीं भी वे केवल उसमें दोष ही निकालते हैं। केवल जब मैसाइनान या गोल्डजिहर या युनिविंग जैसा कोई विद्वान् इस क्षेत्र में उत्तरता है तब आलोचना का स्तर ऊँचा उठकर ऐसे क्षेत्र में पहुँच जाता है जर्हा इस्लाम के धुद सिद्धान्तों पर विचार-विनिमय हो सकता है और उसे वैयक्तिक या सामूहिक मानव गतिविधियों से अलग करके देखा जा सकता है। अधिकाश दूसरे उदाहरणों में वहस या तो विभिन्न उद्देश्यों की विचाही बनकर रह जाती है या फिर तर्कों को लेकर या शब्दों के अर्थ को लेकर विचारों का उलझाव बन जाती है।¹⁹

स्वाभाविक रूप से यह बात ए० बी० शाह को, जिन्होंने वाद-विवाद का सूत्र-पात किया था, बहुत चुरी लगी; भारत में विभिन्न धर्मों के बीच वाद-विवाद आरम्भ करने के बारे में फँजी साहब के संकोच के जो कारण थे उनकी और ज्यान न देते हुए उन्होंने पूछा : "लेकिन वह यह भी वर्णन करते हैं कि शोष के स्तर के अलावा गैर-मुस्लिम लोग इस्लाम के बारे में कोई विचार-विनिमय न करें? कोई भी आस्था या संस्था यह दावा नहीं कर सकती कि उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के, जिसे उसमें रुचि हो, आलोचनात्मक मूल्याकान से मुक्त रखा जाय। न ही यह ज़रूरी है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच होने वाले हर विचार-विनिमय का अन्त गलतफहमी में हो हो।" और यह तो बिलकुल ही ज़रूरी नहीं है कि उसका स्तर इतना नीचा गिर जाय कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछाली जाय, जब तक कि अनन्ती ही बात को एकमात्र सत्य मानने का प्राप्त हन हो, जैसा कि किसी भी धर्म के अन्ध-भक्तों में वहुधा होता है।²⁰

इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि थी शाह को इस्लाम का 'आलोचनात्मक मूल्याकान' करने का अधिकार है—और फँजी साहब सहृदय श्री शाह और दूसरे लोगों को यह अधिकार देने को तैयार हो जायेंगे—फिर भी फँजी साहब का यह कहना ठीक है कि भारत के गैर-मुस्लिम विद्वानों को कुरान, हदीस और फ़िलह के क्षेत्र में, जो कि इस्लामियान के ज्ञान का मूल आधार हैं, अपनी जानकारी की प्रामाणिकता अभी मिल करनी होगी।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय जन-साधारण अभी तक इतने

सुशिक्षित नहीं हैं कि वे धर्म के 'आलोचनात्मक' ग्रन्थयन का विचार सहन कर सकें। जब तक किसी के बारे में यह न मालूम हो कि उसने किसी धर्म का अध्ययन प्रच्छी तरह परम्परागत ढंग से किया है, तब तक उसके आलोचनात्मक निपक्षों के पीछे हमेशा कोई-न-कोई निहित उद्देश्य देखने की कोशिश की जाती है। हम जानते हैं कि जब श्री ए० वी० शाह ने, जो एक जैन-हिन्दू पर मे पैदा हुए, यह साधित करने की कोशिश की थी कि वैदिक काल में गो-वध और गो-मास खाने—दोनो ही की अनुमति थी, तो दूसरे हिन्दुओं ने उनकी किस तरह आलोचना की थी।²¹ हिन्दुओं की प्रतिक्रिया इस टिप्पणी में व्यक्त होती है : “श्री शाह यह स्वीकार कर चुके हैं कि वह धर्म-प्रायण जैन नहीं हैं, किर उन्हें हिन्दुओं के धार्मिक मामलात में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है।”²² इन परिस्थितियों में हम भली-भांति कल्पना कर सकते हैं कि यदि भारत में इस समय दूसरों के धर्मों का ‘आलोचनात्मक मूल्यांकन’ आरम्भ कर दिया जाय तो क्या परिणाम होगा।

4

धर्म-निरपेक्षता अभी तक साम्प्रदायिक कामजोरियों पर कानू पाने में सफल नहीं हुई है; धर्म से सम्बन्धित कोई भी समस्या राजनीतिक अर्थ में ‘साम्प्रदायिक समस्या’ बन जाती है। एक अखेयार में प्रकाशित श्री ए० वी० शाह के लेख ‘गो-वध और लोकतन्त्र’²³ को ही ले लीजिये। इस लेख में लेखक ने समस्या को हिन्दू-मुस्लिम दृष्टिकोण से देखने की कोशिश नहीं की थी। उनके मुख्य प्रहार का उद्देश्य अपनी मांगों को मनवाने के लिए ‘ग-लोकतान्त्रिक’ उपायों का सहारा लेने की बढ़ती हुई भारतीय प्रवृत्ति की आलोचना करना था, जैसे सार्वजनिक आत्मदाह या आमरण अनशन की धमकी। लेकिन इस लेख के छपने के बाद सपादक के नाम जो पत्र आये उनमें इस महत्वपूर्ण समस्या से कतराकर उस लेख का विश्लेषण हिन्दू-मुस्लिम दृष्टिकोण से करने का प्रयत्न किया गया। ऐसा लगता है कि पत्र लिखने वालों ने यह मान लिया था कि श्री शाह मुसलमान हैं और वह गो-वध के ‘अपने अधिकार’ के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। मुसलमानों को इस बहस में अकारण ही पसीटा गया और श्री ए० वी० शक्ति ने (अमरीका से) तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि “श्री शाह और उनके मत का समर्थन करने वाले ध्यान रखें कि गाय की रक्षा और सेवा करना हिन्दुओं का तो धार्मिक कर्तव्य है लेकिन गो-वध करना या गो-मास खाना न तो मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है न ईसाइयों का।”²⁴

सम्भव है कि हुँड-गुँह में यह बात अधिक महत्वपूर्ण या गम्भीर न प्रतीत हो कि केवल हिन्दू विद्वानों के बीच होने वाले विद्वत्तापूर्ण धादविवाद को कुछ पक्ष अपने स्वार्यों के लिए जान-बूझकर हिन्दू-मुस्लिम समस्या में बदल देते हैं; पर आम तौर पर गालियों मुसलमानों पर ही पड़ती हैं और इस बात से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अन्तर पड़ता है। कम-से-कम आंशिक रूप से इस बात से यह समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमान राष्ट्रीय जीवन की मूल धारा के प्रति इतना उदासीन वर्णों रहते हैं, जिस रखेंगे के लिए उनकी बहुत कटु आलोचना की जाती है।

वास्तव में मुसलमानों को यह भय रहता है कि यदि उन्होंने ऐसी समस्याओं पर बहस में भाग लिया जिनका सम्बन्ध हिन्दुओं की भावनाओं से हो, तो सारी बहस साम्प्रदायिक रूप धारण कर लेगी। उर्दू दैनिक 'अल-जमीयत' अपने सम्पादकीय में लिखता है, "अब हालत यह हो गयी है कि अगर कोई मुस्लिम अखबार मोकुशी के सवाल पर बहस करता है तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं और हुक्मत भी इसे दोनों फिरकों के बीच फ़िरकावाराना नफरत फ़ैलाने के बराबर समझती है। हम एक ऐसी मंज़िल पर पहुँच गये हैं कि अगर कोई गेर-मुस्लिम अखबार यह सावित करने के लिए कि वैदिक दौर में लोग गाय का गोश्ठ खाते थे कोई मज़मून छापे और कोई मुस्लिम अखबार उसे अपने यहाँ फिर से छाप दे तो उस हिन्दू अखबार को तो भुला दिया जाता है जिसमें वह मज़मून पहले-पहल छापा था, लेकिन उसे दुबारा छापने वाले मुस्लिम अखबार को मुजरिम ठहराया जाता है।"²⁵ ऐसी हालत में मुसलमानों से यह आशा करना अन्याय है कि दूसरे सम्प्रदायों के साथ अपने सम्बन्धों में वे और यथादा खुलें।

हमारा भुकाव धर्म-निरपेक्ष आदर्शों की ओर कितना ही अधिक वर्णों न हो, लेकिन भारतीयों की साम्प्रदायिक कमज़ोरियों से इंकार नहीं किया जा सकता। ये कमज़ोरियाँ कई तरह से काम करती हैं और इनका प्रभाव इतना गहरा है कि धर्म-निरपेक्ष भारत के नीति-निर्धारक भी बहुधा इनके शिकार हो जाते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों के मामले में। अपने-अपने संविधानों के प्रतुसार दोनों देश बिलकुल ही अलग-अलग राष्ट्र हैं, लेकिन हिन्दू-मुस्लिम समस्या के प्रसंग में भारत पाकिस्तानी हिन्दुओं का उतना ही बड़ा रक्षक बन जाता है जितना कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों का रक्षक होने का दावा करता है। इससे मुसलमानों के मन में आशंका पैदा होती है। उदाहरण के लिए, जिस क्षेत्र को पहले 'पूर्वी पाकिस्तान' कहा जाता था वहाँ से हिन्दुओं के बहुत बड़ी मंस्या में भागने पर सरकार ने जो चिन्ता प्रकट की उस पर मुसलमानों का फ़हना यह है कि भारत के मुसलमानों की तरह पाकिस्तान के हिन्दुओं

को भी दोनों देशों में से एक को चुन लेने का ध्रवसर दिया गया था। जो लोग 'धर्म-निरपेक्ष' राज्य में रहना चाहते थे वे सीमा पार करके इधर चले आये और भारत में बस गये; जो लोग उस समय नहीं आये जबकि द्वार सुले हुए थे तो उन्होंने अपनी पसन्द से ही ऐसा किया। ध्रव केवल हिन्दू होने के कारण भारत को उनका 'रक्षक' बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यह एक तथ्य है कि जब भी वे अपना देश छोड़कर भारत पाते हैं तो उन्हें 'शरणार्थी' समझा जाता है; प्रगर पाकिस्तान के मुसलमान ऐसा ही करते हैं तो वे कोरन 'पुरापैठिये' बन जाते हैं। यह प्रदन पूछा जा सकता है कि क्या यह सम्भव नहीं है कि वह 'पुरापैठिया' भी अपना देश उन्हीं कारणों से छोड़कर आया हो जिन कारणों ने किसी हिन्दू को शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया हो? ॥

वर्तमान भारतीय राजनीतिक स्थिति में, जिसमें ध्यावहारिक स्वार्थ को तकं से केंचा स्थान दिया जाता है, उपर दी गयी आलोचना को पूर्वाग्रहपूर्ण या दुराग्रहपूर्ण भावना मात्र समझा जा सकता है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी हिन्दुओं के 'खुले' निष्कर्षण की तुलना भारत में पाकिस्तानी मुसलमानों के चोरी-छिपे आने के साथ नहीं की जा सकती है। हिन्दुओं के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः वे धार्मिक आधार पर ऐसा कर रहे हों पर यहीं आने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में तो इसकी बल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए, दोनों उदाहरणों को बराबर महस्त्व नहीं दिया जा सकता और राज्यसत्ता को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। फिर भी भारत के मुसलमानों को यह समझाना कठिन है कि स्वयं उनके देश में धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं वरता जाता, विशेष रूप से नेहरू-लियाकत समझौते को देखते हुए। इस समझौते में दोनों ही देशों को दूसरे देश के हिन्दुओं और मुसलमानों के मामलात के बारे में चिन्ता प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। पाकिस्तान को छोड़कर संसार के किसी भी मुस्लिम देश को यह अधिकार नहीं दिया गया है; इसी तरह किसी भी देश ने—पाकिस्तान को छोड़कर—भारत को वहाँ की हिन्दू आवादी की ओर से बोलने का अधिकार नहीं दिया है।

अपने सहधर्मियों के प्रति अलग-अलग व्यक्तियों का चिन्ता प्रकट करना तो समझ में आता है, पर जब यहीं चिन्ता शासनों के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट की जाती है तो वह आपत्तिजनक हो जाती है। इन परिस्थितियों में किसी का यह कहना ठीक ही होगा कि धर्म-निरपेक्षता अभी तक साम्प्रदायिक कमज़ोरियों पर बाबू पाने में सफल नहीं हुई है।

धर्म को धर्म-निरपेक्षता के क्षेत्र में ढकेल देने की प्रवृत्ति भी इतनी ही सेवजनक है। सासारिक जीवन को तो हम धर्म की परिधि के बाहर रखते हैं, पर लोगों को धर्म-निरपेक्ष और आधुनिक जीवन-पद्धति अपनाने पर तत्पर करने के लिए हम धर्म की सत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। भारत में धर्म-निरपेक्षता का हर समर्थक—वह मुसलमान हो या हिन्दू—इस दोहरे मानदण्ड को बरतने का अपराधी है। उदाहरण के लिए, परिवार-नियोजन के सवाल को ले लीजिये। सरकार 'धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाले' मुसलमानों को जब कुरान और हृदीस के आधार पर परिवार-नियोजन का ग्रोचित्य और उपयोगिता समझाने का प्रयत्न करती है तो उसमें यह धाराय निहित होता है कि जब तक धार्मिक रूप से इसकी अनुमति नहीं होगी तब तक मुसलमान इसे नहीं अपनायेंगे। इस काम के लिए बहुधा उतमा लोगों की राय का लाभ उठाया जाता है; और शोध संस्थाओं के कल्पित नामों से धर्म-ग्रन्थों के उद्धरणों की पुस्तिकाएं प्रकाशित करके मुफ्त बाँटी जाती हैं।⁷ शायद मुसलमानों को परिवार-नियोजन के विचार के निकट लाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, इस बात को समझे बिना कि इस तरह की कोशिशों से हम फिर मुसलमानों को उतमा की शरण में ढकेल देते हैं।

टिप्पणियाँ

- ए० बी० शाह, 'चैलेंज टू सेव्यूलरिज़म', बम्बई, नविकेता, 1968, प्रध्याय 3, 'इस्लाम इन इंडिया : चैलेंज एंड अपारज्युनिटी', पृ० 36
- एस० आविद हुसैन, 'द वेस्टनी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स', बम्बई, एशिया, 1965, पृ० 163
- ए० बी० शाह, पूर्वोत्त, पृ० 33-34
- देखिये, उदाहरण के लिए, दग्वाई का वरन्थ, पूर्वोत्त, ग्रध्याय 5, पृ० 60-61
- एस० आविद हुसैन, पूर्वोत्त, पृ० 163
- उपर्युक्त।
- इरफान हुबोद, 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के रविवारीय परिचाप्ट (दिल्ली, 9 मार्च, 1969) में प्रकाशित 'इंटरव्यू : द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री' में।
- आविद रजा बेदार, 'द वेलिटी ऑफ द इंडियन मुसलमान' 'सेव्यूलर डेमोक्रेसी', नई दिल्ली, (1/8), सितम्बर 1968, पृ० 15। धर्म-निरपेक्षता पर उनके विचारों के लिए देखिये उनकी उर्दू पुस्तक 'सीमा की स्थापना : हिन्दुस्तानी मुसलमानों के भारतीयकरण का मसला', नई दिल्ली, मुस्लिम प्रोग्रेसिव प्रूप, 1970। मूल-धारा के प्रश्न पर इसी प्रकार की आलोचना के लिए देखिये शौलाना अब्दुल याजिद दरियाबादी, 'यह कीमी धारा', उर्दू सांस्कृतिक 'सिद्कॉ-जदीद', सख्तक, 7 जून, 1968।

9. वैल्फोड बैटवेल स्मिथ, 'मॉडर्नाइजेशन धाँक ए ट्रैडिशनल सोसाइटी', बम्बई, एशिया, 1965, पृ० 15
10. उपर्युक्त, पृ० 13
11. एम० मूजीब, 'द इनडिविजुअल इन सेव्यूलर सोसाइटी', सेव्यूलर डेमोशेसी, नई दिल्ली, 1/7, अगस्त 1968, पृ० 13
12. देखिये, नजमूल हरान, 'ओनियंग एण्ड सेव्यूलरिज्म', 'द सेव्यूलरिस्ट', नवम्बर 1971, पृ० 11-12 (यह उद्दरण पृ० 12 पर है।)
13. एस० भालम औ० दमोरी, 'सेव्यूलरिज्म, इनिजन एण्ड एजुकेशन', बी० के० सिंहा द्वारा गम्पादित पुस्तक 'सेव्यूलरिज्म इन इडिया' में, बम्बई, लखनऊ, 1968, पृ० 94। इस प्रसंग में और भी देखिये चर्नार्ड एस० कोहू, 'द पास्टम धाँक एन इडियन विलेज', 'कॉर्पोरेटिव स्टडीज इन सोसाइटी एण्ड हिस्ट्री' में 3, 1961, पृ० 241-249
14. देखिये उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्वीकृत भारतीय इतिहास की एक पाठ्य-पुस्तक। इम पुस्तक में 13 पाठ हैं, और ये हैं : (1) रामायण, (2) महाभारत, (3) बृद्ध, (4) अशोक महान, (5) विक्रमादित्य, (6) हर्ष, (7) पुलकेशिन इत्यादि, (8) प्रताप रुद्र : ('.. प्रताप ने उत्तर भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों से टक्कर लेकर अपनी बीरता से हिन्दू धर्म को बचा लिया। उसने पहले आश्रमण में मूहम्मद-बिन-तुग्लक को परास्त किया।...'), (9) वित्तोङ की पदिनी, (10) कृष्ण देव राया, (11) शिवाजी : ('.. शिवाजी एक बहादुर सिपाही और कठूर हिन्दू था। उगने घनेक मुस्लिम राज्यों के बीच एक नये हिन्दू राज्य की स्थापना की। उसने औरंगजेब को बहुत परेशान किया।...'), (12) झाँसी की लक्ष्मी-वाई की कहानी, (13) महादमा गाधी (देखिये, य० दमोरी, पूर्वोत्त, पृ० 98)। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ायी जाने वाली युछ पाठ्य-पुस्तकों की विवेचना के लिए देखिये रशीद नौमानी, 'एस्टन्यूक फॉर सेव्यूलर इडिया', नई दिल्ली, साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी, 1970
15. य० दमोरी, पूर्वोत्त, पृ० 96
16. एम० आर० ए० बेग, 'इन इफरेंट सैंडल्स', बम्बई, एशिया, 1967, पृ० 172
17. देखिये, उदाहरण के लिए, साप्ताहिक 'निदा ए-मिल्लत', लखनऊ, 23 अगस्त, 1970
18. ए० बी० शाह, 'चैलेंज टू मेस्यूलरिज्म', बम्बई, 1968, पृ० 45
19. उपर्युक्त, पृ० 45-46
20. उपर्युक्त, पृ० 47
21. देखिये, ए० बी० शाह (मध्यादित), 'काङ्ग-स्लाटर : हान्स धाँक ए डाइलेमा', बम्बई, 1967
22. ए० बी० शाह, 'चैलेंज टू सेव्यूलरिज्म', पृ० 28
23. सबसे पहले 'द स्टेट्समैन', कक्षकक्षा के 10 जनवरी 1967 के अंक में प्रकाशित। बाद में ए० बी० शाह की पुस्तक 'चैलेंज टू सेव्यूलरिज्म' में सम्मिलित, बम्बई, पृ० 1-22
24. उपर्युक्त, पृ० 20
25. उर्दू दिनिक 'अल-जमीयत', दिल्ली, 28 जून, 1970
26. देखिये, उदाहरण के लिए, 'मशरिकी हिन्दुस्तान की युली सरहद : हिन्दू-मुस्लिम दर-अन्दाजो का भसला', साप्ताहिक 'निदा-ए-मिल्लत', लखनऊ, 20/25, 9 अगस्त, 1970, पृ० 13

निष्ठकर्ष

मुसलमान धर्म-निरपेक्षीकरण की माँग के प्रति उत्साह वर्यों नहीं प्रकट करते हैं इमे समझने का रहस्य दो शब्दों में निहित प्रतीत होता है : नव-प्रयोग और परम्परा । यदि धर्म-निरपेक्षता सांसारिक जीवन को धर्म के नियंत्रण के बाहर रखती है तो यह एक ऐसा नव-प्रयोग है जिसका इस्लामी इतिहास में इससे पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता; और इसीलिए धर्मनिष्ठ मुसलमानों को वह अस्वीकार्य है । परन्तु यदि धर्म-निरपेक्षता का अर्थ केवल यह हो कि धर्म के मामले में राज्यसत्ता किसी सम्प्रदाय-विशेष के साथ पक्षपात नहीं करती, तो इसे इस्लामी परम्परा के भनुकूल भमभा जाता है जिसमें हर नागरिक को धार्मिक स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है । धर्म-निरपेक्षता की इस कल्पना से मुसलमान अपरिचित नहीं हैं और इसलिए वे अपने धर्म इस्लाम और धर्म-निरपेक्षता के बीच कोई संघर्ष नहीं देखते ।

परन्तु जब धर्म-निरपेक्षता उस क्षेत्र का एक हिस्सा मानती है जिस पर ईश्वर का अधिकार है तो वह धर्म-विरोधी हो जाती है । यहाँ पहुँचकर धर्म-निष्ठ मुसलमान एक जीवन-पद्धति के रूप में धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार करने में संकोच करता है क्योंकि वह इस सासार के जीवन के लिए नहीं जीवित रहता है; उससे आशा की जाती है कि उसकी सारी जिन्दगी और उसका हर काम 'आकबत' (आगामी लोक) के लिए होगा । यह तो सच है अब से पहले अवसर ऐसा हो चुका है कि मुसलमानों ने अपने शासकों को मनचाहा हिस्सा लेकर बचा-खुचा खुदा के हिस्से का छोड़ देने की पूरी छूट दी है; भारत का व्रिटिश शासन इसका एक बहुत ताजा उदाहरण है । इसलिए कहा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए इस परम्परा को चलने देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी । लेकिन बहुधा यह बात भुला दी जाती है कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी हद तक स्वतन्त्रता संग्राम में अपने धार्मिक नेताओं, धर्थात् उलमा के इन वायदों से प्रेरित होकर ही भाग लिया था कि भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद

27. देखिये, उदाहरण के लिए, ‘चानदानी मंसूवाबन्दी : कुरान और हड्डीय की रोशनी में’, जिसे रहमान नव्वर नामक किसी व्यक्ति ने संकलित किया था और ‘इस्लामिक रिसर्च सोमाइटी’ (जामियानगर, नई दिल्ली) ने प्रकाशित किया था। दिलचस्प बात यह है कि जामियानगर में इन प्रकार की किसी सोशायटी के अस्तित्व का विस्तीर्ण को पता नहीं है, और न ही साक्षरता के बारे में सही जानकारी है। दिल्ली के विभिन्न ढाकघाजों से सारे देश में बहुत-नो लोगों को मुफ्त बहुत-से पैकेट डाक से भेजे गये थे और जो पैकेट अपने पतों पर नहीं पहुँच सके वे जामियानगर के ढाकघाजे के लिए एक समस्या बन गये व्यक्तिकि वह भेजने वाले का पता नहीं लगा सका। इन्हें दाकघाजे ने इनमें से बहुत-से पैकेट जामिया मिलिया इस्लामिया के बाइस-चारसौलर के निजी सहायक के दफ्तर से आयद यह मानकर मिजवा दिये कि जिस चीज़ के साथ ‘इस्लाम’ का नाम जुड़ा हो वह जामिया मिलिया इस्लामिया की ही होगी।

निष्कर्ष

मुसलमान धर्म-निरपेक्षीकरण की माँग के प्रति उत्साह स्थों नहीं प्रकट करते हैं। इसे समझते का रहस्य दो शब्दों में निहित प्रतीत होता है : नव-प्रयोग और परम्परा। यदि धर्म-निरपेक्षता सांमारिक जीवन को धर्म के नियंत्रण के बाहर रखती है तो यह एक ऐसा नव-प्रयोग है जिसका इस्लामी इतिहास में इससे पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता; और इसीलिए धर्मनिष्ठ मुसलमानों को वह अस्वीकार्य है। परन्तु यदि धर्म-निरपेक्षता का अर्थ केवल यह हो कि धर्म के मामले में राजसत्ता किसी सम्प्रदाय-विशेष के साथ पक्षपात नहीं करती, तो इसे इस्लामी परम्परा के अनुकूल समझा जाता है जिसमें हर नागरिक को धार्मिक स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है। धर्म-निरपेक्षता की इस कल्पना से मुसलमान अपरिचित नहीं हैं और इसीलिए वे अपने धर्म इस्लाम और धर्म-निरपेक्षता के बीच कोई संघर्ष नहीं देखते।

परन्तु जब धर्म-निरपेक्षता उस क्षेत्र का एक हिस्सा माँगती है जिस पर ईश्वर का अधिकार है तो वह धर्म-विरोधी हो जाती है। यहाँ पहुँचकर धर्म-निष्ठ मुसलमान एक जीवन-पद्धति के रूप में धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार करने में संकोच करता है क्योंकि वह इस सासार के जीवन के लिए नहीं जीवित रहता है; उसमें आशा की जाती है कि उसकी सारी जिन्दगी और उसका हर काम 'आकबत' (प्राणामी लोक) के लिए होगा। यह तो सच है अब से पहले अबसर ऐसा हो चुका है कि मुसलमानों ने अपने दासकों को मनचाहा हिंसा लेकर दचा-खुदा के हिस्से का छोड़ देने की पूरी छूट दी है; भारत का विदिश दासन इसका एक बहुत ताजा उदाहरण है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए इस परम्परा को चलने देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहुधा यह बात भुला दी जाती है कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी हद तक स्वतन्त्रता संग्राम में अपने धार्मिक नेताओं, अर्थात् उलमा के इन वायदों से प्रेरित होकर ही भाग लिया था कि भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद

उन्हे अपने धर्म के अनुमार जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। देश के बैट्टारे ने भारत में धार्मिक पुनरुत्थान की मुस्लिम आशाओं पर फानी केर दिया; किर भी एक ऐसे धर्म-निरपेक्ष राज्य में रहने की सम्भावना ने, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें विना किसी भेदभाव के हर नागरिक को धार्मिक आस्था और आचरण की पूर्ण स्वतन्त्रता का आद्वासन है, अपने धार्मिक भविष्य के बारे में मुसलमानों का विश्वास फिर ढढ़ कर दिया।

यदि मुसलमानों के लिए धर्म के बल मनुष्य और ईश्वर के वैयक्तिक सम्बन्ध तक सीमित होता तो शायद वे विना किसी शर्त के धर्म-निरपेक्षीकरण की व्यक्तियों के आगे हवियार ढाल देते। लेकिन उनके धार्मिक नेता अर्थात् उलमा, लगातार उन्हे यही बताते रहते हैं कि इस्लाम के बल एक दार्शनिक विचार-धारा नहीं है; वह खुदा के हाथों में इंसान की मुकामल और विला शर्त सुपुदंगी है; अपने अनुयायियों से उसके तकाजे राज्यसत्ता के तकाजों से वही ज्यादा हैं। इसी बजह से मुसलमान पूर्णतः धर्म-निरपेक्ष राज्य के निमणि में सह्योग देने में संकोच करते हैं।

शायद कुछ लोगों को यह बात अच्छी न लगे कि लगभग पूरा मुस्लिम समाज अभी तक इस अर्थ में धार्मिक है कि वह अनिवार्य रूप से हर नयी बात के लिए धर्म का अनुमोदन चाहता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि इस अनुमोदन के लिए वे प्रणालीवद्ध कार्य-विधियों में कितना रुद्ध विश्वास रखते हैं। जब तक कोई नयी बात एक परम्परा न बन जाय तब तक उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसा लगता है कि जब तक धर्म-निरपेक्षता को उलमा का आशीर्वाद नहीं मिल जायगा तब तक मुस्लिम समाज में वह बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पायेगी।

2

धर्म के अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं, जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, राजनीतिक अं-रक्षा की भावना, जिनके कारण मुसलमानों को धर्म-निरपेक्षता के प्रति अपने उदासीनता के रवैये के लिए एक बहाना मिल जाता है। इसके अतिरिक्त मुसलमान यह भी अनुभव करते हैं कि गैर-मुस्लिम भारतीय भी धर्म-निरपेक्ष नहीं है और परम्पराओं में जकड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी धर्म-निरपेक्ष संस्था में किसी भी विषय पर—धर्म-निरपेक्षता पर भी—किसी शुद्धत, विद्वत्तापूर्ण विचार-गोष्ठी का उद्घाटन वैदिक मंथोच्चार से किया जाता है तो इसे एक स्वाभाविक बात समझा जाता है; परन्तु यदि ऐसा ही कोई

आयोजन क्रुरान की आयतों के पाठ से आरम्भ किया जाय तो उसे धर्म-निरपेक्षता का निपेद समझा जायगा। इस प्रकार बहुत-से मुसलमान समझते हैं कि हिन्दुओं को बहुत बड़ी सुविधा यह है कि वे अपनी जितनी भी धार्मिक परम्पराएँ चाहें भारतीय सम्यता के नाम पर सुरक्षित रख सकते हैं; लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, भारत में उनके अतीत को बहुधा एक अ-भारतीय सम्यता का अग समझा जाता है।

इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि इतिहास की इस 'संकीर्ण' कल्पना को व्यापक बनाना आवश्यक है और मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण भारतीय सम्यता उनकी परम्पराओं का ही अंग है। बिलकुल ठीक है, लेकिन मुसलमान सम्पूर्ण भारतीय सम्यता के ही उत्तराधिकारी नहीं हैं—राष्ट्रीय प्रसंग में—बल्कि सम्पूर्ण इस्लामी सम्यता के भी उत्तराधिकारी हैं, विशेष रूप से धार्मिक प्रसंग में। पहले वाले प्रसंग में वे उतने ही भारतीय हैं जितना कि भारत का कोई दूसरा सम्प्रदाय। फिर भी धार्मिक क्षेत्र में उनकी स्थिति भारतीय ईसाइयों जैसी है जो एक अ-भारतीय ईसा को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, या सिखों जैसी जिनके मन में अब भी गुरु नानक के जन्मस्थान ननकाना साहब के लिए, जो अब पाकिस्तान में है, एक ललक बनी हुई है।

स्पष्टतः; उलमा लोग और मुस्लिम जनमत के अनेक दूसरे नेता, अपने तमाम राजनीतिक भत्तभेदों के बावजूद, इस एक बात पर पूरी तरह सहमत है कि धर्म-निरपेक्षीकरण के नाम पर उनके सम्प्रदाय को अपने विशिष्ट रूप और अपनी परम्पराओं से हाय घोने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर भी दोनों ही पक्षों में ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है और उसे हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता; फिर भी वे अपने को एक ऐसी अंधी गली में फैसा हुआ पाते हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखायी नहीं देता। इस स्थिति में वांछनीय यही है कि उनमें परिवर्तन की त्वरित आवश्यकता का विश्वास पैदा किया जाय और इस विश्वास को मुस्लिम जन-साधारण तक ले जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। इस उद्देश्य को पूरा करने में संसद के मुस्लिम सदस्य बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अपने संयुक्त प्रयासों से यदि वे उलमा का समर्थन प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप से यह सम्भव है कि मुसलमान वर्तमान गतिरोध से बाहर निकल सकें।

सम्भवतः कुछ लोग उलमा के माध्यम से मुस्लिम जन-साधारण तक पहुँचने के विचार को हास्यास्पद समझें; वे यह तर्क तक देने को तैयार हो जायेंगे कि देश को इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुसलमान उनके आर्थिक-राजनीतिक विकास में पूरी तरह भाग लें। यदि मुसलमान स्वेच्छापूर्वक भागे जाते हैं तो उन्हीं का लाभ है; यदि वे नहीं जाते तो हानि उन्हीं की होगी।

फ़ैसला बे स्वयं कर लें, पर धर्म-निरपेक्षीकारण के कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

इस विचार से लोगों के एक वर्ग-विशेष को प्रसन्नता ही सकती है, पर वास्तव में इससे न केवल मुसलमानों को वल्कि पूरे देश को बहुत क्षति पहुंचेगी। यह बात भारत के राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं हो सकती कि उसकी जन-संख्या वा दसवें से अधिक भाग सामाजिक, बीड़िक और आर्थिक दृष्टि से अविकसित रहे। आज भारत के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कोई ऐसा माध्यम विकसित किया जाय जिसकी सहायता से मुसलमान अपनी सामाजिक संस्थाओं को नया रूप दे सकें—यह अनुभव करते हुए कि वे अपनी उन्मुक्त इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, किसी दूसरे के आदेश से नहीं। अगर हमने ऐसा न किया तो हमें अगली पीढ़ी में—या शायद अगली दशाब्दी में ही—इस गलती की क्रीमत चुकानी पड़ेगी। किसी भी धर्म-निरपेक्ष व्यवस्था के लिए यह कोई कलंक की बात नहीं है कि वह अपने वैविध्यपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्य-विधियाँ विकसित करे। भारत ने अपने भाषागत वैविध्य की समस्याओं को तो एक तरह से सुलझा लिया है; अब उसे अपनी धार्मिक जटिलताओं की ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा।

3

समय आ गया है कि उनमा लोगों को भी यह समझ लेना चाहिए कि मानव-जीवन में परिवर्तन की शक्तियों के प्रबल प्रहार के परिणाम क्या होते हैं। सारी दुनिया में युवकों में बेचैनी है, और मुस्लिम युवक इसके अपवाद नहीं हैं। नयी पीढ़ी अपने विचारों और अपनी मनोवृत्ति की दृष्टि से उलमा की पीढ़ी नहीं है। इसलिए यदि उलमा चाहते हैं कि मुस्लिम युवकों के विचारों पर धर्म का प्रभाव घना रहे तो उन्हें वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत और मुख्यतः मुस्लिम देशों के बीच एक ग्रन्तर है। यद्यपि बाहर से देखने में वे ग्राधुनिक अवश्य हैं पर ये मुस्लिम देश भी उलमा के समर्थन से बंधित हो जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। फलस्वरूप, वहाँ के बहुत-से मुस्लिम बुद्धिजीवियों को उलमा के विरोध का सामना करते हुए विघर्मी रवैया अपनाने में कठिनाई होती है। पर भारत में स्थिति दूसरी है; यहाँ की सरकार अपने अस्तित्व के लिए उलमा पर निर्भर नहीं है। इसके फलस्वरूप भारत के मुस्लिम बुद्धिजीवी किसी कठोर दण्ड के भय के बिना परम्परागत मार्ग से हटकर दूसरा मार्ग अपना सकते हैं।

उलमा को इस बात पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। अब तक वे भारत में मुसलमानों के धार्मिक जीवन के एकमात्र संरक्षक रहे हैं; पर हो सकता है कि यह परिस्थिति बहुत समय तक न रहे। यद्यपि भारतीय मुसलमानों की नयी पीढ़ी के मन में अब भी पुराने धार्मिक नेतृत्व के प्रति कुछ लगाव बाकी है, फिर भी वह परिवर्तन के उपाय खोज रही है : बहुत धीरे-धीरे, लगभग अद्वय रूप से वह धर्म-निरपेक्षीकरण की ओर बढ़ रही है। उनका भावी कदम क्या होगा इसके बारे में उसने आभी कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन जैसे-जैसे इस पीढ़ी को अधिकाधिक धर्म-निरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा मिलती जायगी, उतनी ही इस बात की भी सम्भावना बढ़ती जायगी कि वे कटूरपथियों से नाता तोड़ लें। जो सोग परम्परागत ढंग की धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें भी इस परम्परा के प्रति अमन्तोप बढ़ता जा रहा है। हम देख चुके हैं कि मदरसों के कुछ स्नातक भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की मूल धारा में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिकता की समस्याओं के सम्मुख प्राकर वे आम तौर पर 'नव-प्रयोग करने' और नये हल खोजने का प्रयत्न करते हैं। यदि मदरसों के स्नातकों वी पुरानी और नयी पीढ़ियों के बीच यह अन्तर बढ़ता गया तो सम्भावना यह है कि नयी पीढ़ी, जो आधुनिक ज्ञान से भी परिचित होगी और परम्परागत ज्ञान से भी, एक दिन नेतृत्व अपने हाथ में संभाल ले। यदि परम्परागत उलमा धर्म-निरपेक्ष भारत में अपनी स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करने में असफल रहते हैं तो भारतीय मुसलमानों के लिए एक नयी समाज-व्यवस्था का निर्माण करने का भार 'नये उलमा' को संभालना होगा।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शारीअत) परिपालन अधिनियम 1937

1937 का अधिनियम 26

सार

1. उत्तराधिकार (विरासत) निकाह, निकाह भंग करने, जिसमें तलाक भी शामिल है, ईला, जिहार, लग्रान, खुसा, मुवारअत, मेहर, विलायत और शीक्काफ़ के मामले में मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शारीअत) लागू होगा और इन मामलात से सम्बन्धित ऐसे सभी स्थानीय रस्मों-रिवाज जो शारीअत के विरुद्ध हों, अमान्य समझे जायेंगे।
2. वसीअत और गोद लेने के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ की पाबन्दी स्वैच्छिक होगी, लेकिन अगर कोई समझदार और प्रोढ़ मुसलमान अपने को इन मामलात में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन कर देता है तो वह खुद, उसकी नावालिंग औलाद और उनकी बाद की पुश्ते इन मामलात में भी शारीअत के क्रान्तुरों की पाबन्द होंगी।
3. (आनन्द प्रदेश राज्य के आनन्द क्षेत्र और तमिलनाडु राज्य को छोड़कर शेष भारत में) बेती की जमीन से सम्बन्धित उत्तराधिकार के मुकदमों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू न होगा।
4. विरासत और वसीअत के मामलात में मोपला और भेमन मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू न होगा, बल्कि इन लोगों के मुकदमे मोपला उत्तराधिकार अधिनियम, 1918, मोपला वसीअत अधिनियम 1928, भेमन ऐट 1938 के अनुसार तथ किये जायेंगे।

(सम्पूर्ण मूल पाठ के लिए देखिये इण्डिया कोड, 1958)

मुस्लिम विवाह-भंग अधिनियम 1939

1939 का अधिनियम 8

सार

1. हर मुसलमान श्रीरत, जिसका विवाह इस्लामी तरीके से हुआ हो, निम्नलिखित आधारों पर अदालत के भाध्यम से अपना विवाह रद्द करा सकती है :
 - (क) उसका पति कम-से-कम सात साल से लापता हो ।
 - (ख) उसके पति ने कम-से-कम दो साल से उसे भरण-पोषण (नानो-नफ़ाका) न दिया हो ।
 - (ग) उसके पति को कम-से-कम सात वर्ष की कँद की सजा हो गयी हो । (कँद की सजा के बाकायदा फ़ैसले से पहले यह शांत लागू नहीं होगी ।)
 - (घ) उसके पति ने किसी उचित कारण के बिना कम-से-कम तीन साल से उसके साथ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध न रखे हों ।
 - (ङ) उसका पति निकाह के समय ही से नपुसक हो । (इस आधार पर किये गये निर्णयों का परिपालन निर्णय की तारीख से कम-से-कम छः माह बाद होगा । यद्यपि इस अवधि में पति अदालत को सन्तुष्ट कर देता है कि निकाह भंग करने का आधार वाक़ी नहीं रहा तो निर्णय काल-बाधित घोषित कर दिया जायगा ।)
 - (च) उसका पति कम-से-कम दो वर्ष से पागल हो, या कोढ़ प्रथवा किसी यीन-रोग से पीड़ित हो ।
 - (छ) पन्द्रह वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का विवाह उसके बाप या क़ानूनी अभिभावक ने कर दिया हो और वह 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले, बशर्ते कि पति-पत्नी में दाम्पत्य

सहवास के सम्बन्ध स्थापित न हुए हों, निकाह भंग करने के लिए अर्जा दे दे ।

- (ज) उसका पति औरता या व्यवहार करता ही, अर्थात् पत्नी को कठोर शारीरिक दीदा पहुँचाता ही, या स्वयं व्यभिचारी जीवन व्यतीत करता ही, या पत्नी को व्यभिचार का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर करता ही, या पत्नी की निजी सम्पत्ति का अपव्यय करता हो, या उसे धर्म के पालन से रोकता ही, या एक से अधिक पत्नियाँ होने की स्थिति में कुरान के आदेशों के अनुसार उनके साथ समान व्यवहार न करता ही ।
- (झ) कोई ऐसा आधार जिसे इस्लामी शरीअत ने निकाह भंग करने के लिए स्वीकार किया हो ।
2. अगर कोई मुसलमान औरत धर्म-परिवर्तन कर ले तो उसका निकाह धर्म-परिवर्तन के कारण अपने-प्राप्त भग नहीं हो जायगा, जब तक वह ऊपर घताये गये कारणों में से किसी कारण अपना निकाह अदालत से भंग नहीं करा लेती । धर्म-परिवर्तन के बावजूद वह अपने मुसलमान शौहर की ही बीवी समझी जायगी । ही, अगर यह मुसलमान पत्नी निकाह से पहले किसी दूसरे धर्म से गम्भीर रखती थी और बाद में मुसलमान होकर शरीअत के अनुसार उसने अपना निकाह किया था और अब फिर अपने पुराने धर्म को अपना रही है तो उस स्थिति में इस्लाम त्यागने पर उसका निकाह अपने-आप भंग हो जायगा ।

नोट : निकाह भंग अधिनियम 1939, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर अगभग सारे देश में लागू है । इस राज्य में 1946 के एक विशेष राज्यीय अधिनियम का पालन होता है, जिसके मिलान्त कुछ आंशिक भेदों के साथ 1939 के केन्द्रीय अधिनियम की घारायों के अनुहण ही हैं ।

(सम्पूर्ण मूल पाठ के लिए देखिये इण्डिया कोड, 1958)

अन्य विधियों से सम्पन्न विवाहों का पंजीयन

विशेष विवाह अधिनियम 1954

सार

1. इस कानून के मनुसार एक ही धर्म के भानने वाले मर्द और श्रीरत या दो ग्रलग-ग्रलग घर्मों के मानने वाले पक्ष, यदि उन दोनों की आयु 21 वर्ष से कम न हो, अपना धर्म-परिवर्तन किये बिना, आपस में विवाह कर सकते हैं।
2. ऐसा विवाह गैर-प्रदालती तलाक द्वारा भंग नहीं हो सकता।
3. जिन लोगों के विवाह इस कानून के बनने से पहले या इसके बनने के बाद धार्मिक विधि से सम्पन्न हो चुके हों, अगर वे लोग भी चाहे तो इस कानून के अन्तर्गत अपने विवाहों का पंजीयन करा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों पक्ष पंजीयन के समय एक पति या एक पत्नी के सिद्धान्त का पालन कर रहे हों।
4. पहले से निकाह किये हुए सन्तान वाले लोग अगर अपने विवाह का इस कानून के अन्तर्गत पंजीयन करायेंगे तो उनके बच्चों के नाम भी विवाह के रजिस्टर में लिख लिये जायेंगे और यह समझा जायगा कि वे बच्चे अपने माता-पिता की वैध सन्तान हैं।
5. ऊपर बतायी गयी कोटि के बच्चे अपने माता-पिता की सम्पत्ति के वैध उत्तराधिकारी समझे जायेंगे, लेकिन अगर इस कानून के न होने की स्थिति में ऊपर बतायी गयी कोटि के बच्चे अपने समाज में वैध सन्तान स्वीकार न किये जाने के कारण अपने माता-पिता के अन्य सम्बन्धियों की सम्पत्ति से वंचित ठहराये गये हों तो केवल इस कानून के कारण वह वंचना दूर न होगी।

6. इस कानून के अन्तर्गत विवाह करने वाले पक्षों पर किसी भी धर्म के उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानून सामू नहीं होंगे, यद्यपि पति-पत्नी मे से एक ये: मरने के बाद दूसरा पक्ष अपने-आप आधी सम्पत्ति का मालिक बन जायगा और यद्यपि पति-पत्नी चाहें तो अपनी मारी जायदाद वगीध्रत के जुरिये एक-दूसरे के नाम बार सकते हैं।

(समूल मूल पाठ के लिए देखिये इण्डिया फोड, 1958)

विवाह-भंग का क़रारनामा

दिसमल्ला हिर्हमानरंहीम

यह क़रारनामा आज बतारीख...माह...सन्...को एक तरफ...बल्द... (जिसे इसके बाद शौहर कहा गया है) और दूसरी तरफ...बिन्ते... (जिसे इसके बाद 'बीवी' कहा गया है) के दरम्यान किया गया।

चूंकि शौहर और बीवी दोनों मजहबे-इस्लाम के...¹ फ़िरके से ताल्लुक करते हैं और यह एलान करते हैं कि वे...¹ मुस्लिम पसंनल लाँ के पावन्द हैं।

और चूंकि बतारीख...माह...हिजरी सन्..., मुताबिक़ तारीख...माह...ईसवी सन्...को शौहर और बीवी के दरम्यान निकाह का अकूद होना² क़रार पाया है।

और चूंकि शौहर और बीवी दोनों इस बात पर राजी हैं और यह इस क़रारनामे का बुनियादी मुद्रा है कि बीवी को नीचे बताये गये हालात में तलाक का अस्तित्यार होना चाहिए, इसलिए अब इस बात की रजामन्दी जाहिर की जाती है और एलान किया जाता है कि :

1. शौहर बतौर मेहर के ₹०... (यहाँ रकम दर्ज कीजिये) अदा करेगा और शौहर इस मेहर की रकम में से ₹०... (मेहर की कुल रकम का आधा) बीवी को निकाह के बहुत अदा करेगा और ₹०... की बाक़ी रकम सिर्फ़ उस सूरत में अदा की जायगी जब शौहर का इन्तकाल हो जाय या शौहर और बीवी का तलाक हो जाय।

1. यहाँ पर दोनों फरीको के फ़िरके का नाम लिखा जाय, यानी हनफी, शाफ़ी, इसना अशारी वर्गीरह। भगव दोनों फ़ारीक़ मलग-मलग फ़िरकों के हो तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में यह भी ज़रूरी है।
2. इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि यह क़रारनामा शादी होने से पहले हो जाना चाहिए।

2. नीचे बतायी गयी शर्तों की पावन्दी करते हुए बीवी को यह अख्तियार होगा कि वह नीचे कलम 3 में बताये गये तरीके से इन वजहों में से किसी एक या एक से ज्यादा वजह की व्युत्तियाद पर शादी से तलाक हासिल कर ले, यानी :

- (अ) यह कि शौहर मुस्लिम शरीअत में बताये गये शौहर के फराइज का पावन्द रहने और उन्हें पूरा करने में नाकाम रहा ।
- (१) आम बरताव और सलूक में नरमदिली ।
- (२) अजदवाजी हुक्म (दाम्पत्य अधिकारी) को पूरा करना ।
- (३) बीवी की परवरिश करना ।
- (ब) यह कि इस क्रारनामे की तारीख के बाद शौहर ने दूसरी ओरत के साथ शादी कर ली है ।
- (स) यह कि शौहर और बीवी के मिजाज एक-दूसरे के मुआफिक नहीं हैं या यों भी शौहर बीवी को खुश रखने में नाकाम हैं । या
- (द) मुस्लिम तलाक कानून 1939 की दफा 2 में बतायी गयी वजहें या उनमें से कोई एक ।

बशर्ते कि बीवी को तलाक का यह अख्तियार उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि :

- (१) शौहर तहरीर में यह क़बूल न कर ले कि ये वजहें मौजूद हैं या मौजूद थीं । या
- (२) बीवी का वाप...जब तक वह जिन्दा रहे या उसके मरने के बाद को दो वा-इज़ज़त आदमी शौहर को इस बात का मुनामिल भी करना चाहे कर ले, इस बात की सनद दे दें कि इस तरह की वजहें या कोई वजह मौजूद हैं या मौजूद थीं ।

3. बीवी तलाक के इस अख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए किन्हीं दो गवाहों के सामने यह एलान करेगी कि इस करारनामे के तहत उसे जो अखितयार हासिल है उसके मुताबिक वह अपने शौहर को तलाक देती है और इस एलान की तारीख से यह शादी स्वत्म समझी जायगी ।

4. तलाक के इस अख्तियार को शौहर रद नहीं कर सकता और न ही इस बात से इस अख्तियार पर कोई प्रसर पढ़ेगा कि बीवी ने किसी भीके पर या एक से ज्यादा भीको पर इस अख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया था ।

इस क्रारारनामे के दोनों फ़रीकों ने ऊपर दर्ज की गयी तारीख और सन् को नीचे अपने-अपने दस्तखत कर दिये हैं ताकि सनद रहे और ब-बृते-जरूरत काम आये ।

धीहर के दस्तखत
गवाह
बीवी के दस्तखत
गवाह

नोट : विवाह-मंग के इस करारनामे का उल्लेख 'धार्मिक संवेदनशीलता और कानून' नामक ग्रन्थाय में पृष्ठ 82 पर देखिये ।

फैज़ी, आउटलाइंस ऑफ मुहम्मदन लॉ, परिशिष्ट स,
पृ० 466-468 से उद्धृत ।

शब्दावली

इस शब्दावली में दी गयी व्याख्याओं को शब्दों के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ या उनके शाब्दिक अर्थ के अनुरूप नहीं समझा जाना चाहिए; जिन प्रसंगों में इन शब्दों को प्रयोग किया गया है उनके अनुरूप ही उनका मानवार्थ यहाँ दिया जा रहा है।

आलिम : (बहु० उलमा) मुस्लिम धर्मज्ञानी, विद्वान्, विशेषतः तथा तकनीकी विष्टि से वह जो मदरसे का स्नातक हो।

इजितहाद : कानून अथवा धर्म से सम्बन्धित किसी भी समस्या पर किसी एक आलिम या उलमा की परिपद् द्वारा दिया गया तर्कसंगत निष्कर्ष।

इजमा : उलमा या उम्मः की सार्वसम्मत अनुमति; धर्मज्ञानियों की परिपद का सामूहिक भरत।

इमाम : नेता, नमाज पढ़ाने वाला।

इस्तिपृता : फ़तवा माँगना; संज्ञा के रूप में, किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी मामले के बारे में मुफ़्ती के पास भेजा गया वह प्रश्न जिसका शरीरः के अनुरूप उत्तर माँगा गया हो।

इस्लाम : समर्पण; खुदा की मर्जी की निःसंकोच स्वीकृति। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, उस धर्म का नाम जिसके अनुयायी मुस्लिम हैं।

ईमान : 'आत्मा', अर्थात् हृदय से इस सत्य पर विश्वास करना और जबान से इस सत्य को स्वीकार करना कि खुदा एक है और मुहम्मद प्राखिरी पैताम्बर हैं।

ईला : आत्म-संयम का व्रत; एक प्रकार का तलाक जिसमें पुरुष इस बात का

व्रत लेता है कि वह कम-से-कम चार महीने तक अपनी पत्नी के साथ सम्भोग नहीं करेगा और पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करता है। इस प्रकार क़ाजी से तलाक का आदेश प्राप्त किये बिना अपने आप ही तलाक हो जाता है।

उम्म : लोग, कीम, विरादरी; मुस्लिम सम्प्रदाय।

उलमा : (आलिम वा बहुवचन) बहुवचन रूप में इस शब्द का प्रयोग मदरसों के उन मुस्लिम स्नातकों की संस्था के नाम के रूप में किया जाता है जो वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से फ़तवे के माध्यम से मुस्लिम संप्रदाय के जीवन को नियमित करते हैं।

क़ाजी : न्यायाधीश, विशेष रूप से वह जिसे राज्यसत्ता की ओर से शरीअः के नियमों के अनुसार मुकदमों का फ़ैसला करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

कुरान : पैगम्बर मुहम्मद को ईश्वरादिष्ट ज्ञान का संग्रह।

खुला : छुटकारा; तकनीकी अर्थ में मुआवजा या किसी रकम के बदले पत्नी द्वारा विवाह के बन्धन से प्राप्त किया गया छुटकारा।

जमाअत, जमीयत : दल, पार्टी।

जिहार : (शाब्दिक अर्थ 'पीठ के समान') एक प्रकार का कोसना जिसके फलस्वरूप पति-पत्नी का तब तक के लिए सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है जब तक कि उसका प्रायशिचत न किया जाय। इसकी सामान्य विधि यह है कि पति अपनी पत्नी से कहता है : "तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ के समान है।" इस्लाम से पहले अरब में जिहार को तलाक माना जाता था, लेकिन कुरान में उसे बदलकर एक अस्थायी प्रतिबन्ध बना दिया गया, जिसके लिए प्रायशिचत करना आवश्यक था, अर्थात् एक गुलाम को आज्ञाद कर देना, दो महीने तक उपवास करना, या साठ गुरीबों को खाना खिलाना।

तफसीर : कुरान का भाष्य।

तलाक : विवाह-मंग, परित्याग।

तलाके-तफवीज : प्रत्यायुक्त तलाक।

दसें-निजामी : भारतीय मदरसों में शिक्षा का पाठ्यक्रम जिसके प्रवर्तक अवधि के मुल्ला निजामुदीन (देहान्त 1748) थे।

दारूल-इफ़ता : वह विभाग (किसी मदरसे का) जो इस्तिप्ता स्वीकार करता हो और फ़तवे देता हो।

दाखल-इस्लाम : मुस्लिम सांविधानिक सिद्धान्त के अनुसार वह देश जो मुस्लिम शासन के अधीन हो। इसके विपरीत दाखल-हवं उस देश को कहते हैं जो मुस्लिम शासन के अधीन न हो, और जो वास्तव में अथवा सम्भावित हूप से मुसलमानों के लिए युद्ध का केन्द्र हो, जब तक कि उस पर विजय प्राप्त करके उसे दाखल-इस्लाम न बता लिया जाय।

दाखल-उलूम : विद्या का घर, मदरसा।

फ़तवा : (बहु० फ़तवा) शरीअः के आधार पर किसी मुफ्ती या आलिम या उलमा की संस्था द्वारा दिया गया प्रामाणिक मत।

फ़िज़ह : इस्लामी व्याख्यास्त्र, शरीअः की व्याख्या करने की विद्या।

फ़ुक़हा : ('फ़क़ीह' का बहुवचन) जिन्हें फ़िज़ह का अध्ययन किया हो; तकनीकी अर्थ में, वे आलिम जो फ़िज़ह के विषय के विशेषज्ञ हों।

मदरसा : (शब्दिक अर्थ 'शिक्षा देने का स्थान') मुस्लिम धार्मिक विद्यालय जहाँ मुख्यतः इस्लामी कानून तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती है; देखिये दाखल-उलूम।

मुफ्ती : वह व्यक्ति जो फ़तवा देने की योग्यता तथा अधिकार रखता हो।

मुवारक्त : 'पारस्परिक परिस्ताया', तलाक के कानून में प्रयुक्त पारिभाविक शब्द जिसमें पुरुष अपनी पत्नी से कहता है : 'तेरे और मेरे बीच जो शादी हुई थी उससे मैं आजाद हो गया,' और पत्नी इस पर अपनी सहमति व्यक्त करती है। यह वही है जो खुला है।

मेहर : शादी के समय तय की गयी वह रकम या जायदाद जो पत्नी को देय होती है, जिसके बिना शादी कानूनी तौर पर जायज़ नहीं मानी जाती।

मौलाना : (शब्दिक अर्थ 'मेरे मालिक') उलमा को सम्बोधित करने का सम्मानसूचक शब्द।

लिङ्गान : एक-दूसरे को कोसना; एक प्रकार का तलाक जो निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है : यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी पर परपुर्हणमन का आरोप लगाता है और चार व्यक्तियों की साक्षी से उसे प्रमाणित नहीं करता है, तो उसे खुदा के सामने चार बार क़सम खानी पड़ती है कि वह सच बोल रहा है और इसके बाद कहना पड़ता है : 'अगर मैं भूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर खुदा का क़हर नाजिल हो।' इसके बाद पत्नी चार बार कहती है : 'मैं खुदा के सामने क़सम खाकर कहती हूँ कि मेरा शौहर भूठ बोल रहा है,' और फिर इसके बाद कहती है : 'अगर यह आदमी सच बोल रहा हो तो मुझ पर खुदा का ग्रताव नाजिल हो।' इसके बाद

अपने आप तलाक हो जाता है। तलाक के अन्य रूपों की तरह इस प्रकार के तलाक में भी पत्नी अपना मेहर माँग सकती है।

शरीअः : इस्लाम के कानून जिनमें कुरान और हड्डीस पर आधारित है सारे नियम-विनियम शामिल हैं जिनके अनुसार मुसलमानों का वैयक्तिक तथा सामुदायिक जीवन नियमित होता है।

सुन्नः : पैगम्बर मुहम्मद से सम्बन्धित प्रचलनों तथा परम्पराओं के अनुरूप जीवन-पद्धति।

सूफ़ी : मुस्लिम सन्त।

हदीस : पैगम्बर मुहम्मद के वे कथन अथवा उनके वर्णित आचारण जो कुरान में तो शामिल नहीं हैं, परन्तु जिन्हें कित्तुर का एक वैध स्रोत माना जाता है; इस प्रकार के कथनों तथा आचरणों के संग्रह; सुन्नः भी देखिये।

नोट : शब्दों की व्याख्या में बीच-बीच में जो शब्द काले प्रक्षरों में दिये हैं उनकी व्याख्या इस शब्दावली में अलग से भी दी गयी है।

ग्रन्थ-सूची

- अकबराबादी, सईद अहमद : हिन्दुस्तान की शरी हैसियत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, धर्म शिक्षा विभाग, 1968 ।
- अमीनी, मुहम्मद तकी : अहकाम-ए-शरीआः मे हालात-ओ-जमाना की रियात, दिल्ली, नदवतुल-मुसन्नफीन ।
- मुलाकात-इ-अमीनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रकाशन, 1970 ।
- अहमद, अजीज़ : इस्लामिक मॉर्डनज़म इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, लन्दन, आँकराफोर्ड, 1967 ।
- अहमद, अजीज़ और जी० ई० फ़ॉन ग्रुनेवाम : मुस्लिम सेल्फ़ स्टेटमेंट इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, 1857-1968, आँटो हेरेसनिट्ज़, बीजबाड़न, 1970 ।
- इंडोइर्यांसग द जमात-ए-इस्लामी हिन्द, दिल्ली, जमात-ए-इस्लामी, ५वीं आवृत्ति, 1971 ।
- इण्डिया एण्ड कण्टेन्परेरी इस्लाम (एक गोष्ठी का वृत्तान्त) सं० एस० टी० लोखाण्डवाल, शिमला, इण्डियन इस्टिच्यूट आँफ़ एडवास्ड स्टडी, 1971 ।
- इब्राहीम, अहमद : इस्लामिक लॉ इन मलय, सं० शर्ले गॉड्सन, सिंगापुर, मलये-शियन सोशिआॉलॉजिकल रिसर्च इस्टिच्यूट, 1965 ।
- इस्लाम, पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी, 1969 ।
- ऐडसन, जे० एन० डी० : चेजिंग लॉ इन डेवलांपग कण्ट्रीज़, लन्दन, जॉर्ज़ ऐलन एण्ड अन्विन, 1963 ।
- इस्लामिक लॉ इन द मॉडर्न बल्ड, लन्दन, 1959 ।
- करणिकर, एम० ए०, इस्लाम इन इण्डियाज़ ट्रॉचिशन टु मॉर्डमिटी, बम्बई, ओरिएंट लाइभ्रेन्स, 1968 ।
- करणाकरन, के० पी० : रिलिजन एण्ड पोलिटिकल एवेक्टिव इन इण्डिया, भेरठ, मीनाक्षी, 1965 ।

चेजिज इन मुस्लिम पर्सनल लॉ (इण्टरनेशनल कार्गेस आँफ ओरिएण्टलिस्ट्स के नई दिल्ली में, 9 जनवरी 1964 को हुए अधिवेशन पर आयोजित गोष्ठी का विवरण) ।

जमात-ए-इस्लामी हिन्द : एक तआरुंफ, दिल्ली, जमात-ए-इस्लामी, दूसरी आवृत्ति, 1967 ।

टाइट्स, मर्टें टी० : इस्लाम इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, कलकत्ता, बाई०, एम० सी० ए०, 1959 ।

तजबीज मजलिस-ए-तहकीकात-ए-शरीअः मुतलिक मसला-ए-रूपत-ए-हिलाल (लखनऊ, नदवतुल-उलमा के लिए मौलाना मुहम्मद इशाक स-दीलवी नदवी द्वारा संपादित) ।

तैयबजी, एफ० बी० : मुस्लिम लॉ : द पर्सनल लॉ आँफ मुस्लिम्स इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, बम्बई, पांचवी आवृत्ति, 1968 ।

दलवई, हमीद : मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इण्डिया, बम्बई, नचिकेता, 1969 ।

नदवी, अब्दुल हसीम : मराकिज अल-मुस्लिमोन अल-सालीमीयः व अल-यकाफ़ियः व अल-दीनियः फ़िल-हिन्द (प्ररवी मे) । लेखक ने प्रकाशित की । जामियानगर, नई दिल्ली, 1967 ।

नदवी, सैयद अबुल हसन अली : मुस्लिम्स इन इण्डिया, मुहम्मद शफी किदवई, लखनऊ द्वारा उर्दू से अनूदित । एकेडेमी आँफ इस्लामिक रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन्स, 1960 ।

वेस्टर्न सिविलिजेशन—इस्लाम एण्ड मुस्लिम्स, डॉ० मुहम्मद आसिफ किदवई द्वारा उर्दू से अनूदित । लखनऊ । एकेडेमी आँफ इस्लामिक रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन्स, 1969 ।

नोमानी, रशीद : टेक्स्ट बुक्स फ़ॉर सिक्यूलर इण्डिया, नई दिल्ली, साम्प्रदायिकता-विरोधी कमेटी, 1970 ।

बाइंडर, लियोनार्ड : रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी आँफ कैलिफोर्निया, 1961 ।

बेदार, आविद रजा : सीमी की तलाश : हिन्दुस्तानी मुसलमानों के भारतीय-करण का मसला, नई दिल्ली, मुस्लिम प्रोग्रेसिव ग्रुप, 1970 ।

फजलुर रहमान : इस्लाम, लन्दन, वाइडेनफॉल्ड एण्ड निकल्सन, 1966 ।

फाँन, युनेबाम, जी० ई० : मॉडर्न इस्लाम : द सर्च फ़ॉर कल्चरल आइडेंटिटी, यूनिवर्सिटी आँफ कैलिफोर्निया, 1962 ।

फारूकी, जिया-उल-हसन : द देववन्द स्कूल एण्ड द डिमाण्ड फ़ॉर पाकिस्तान, बम्बई, एशिया, 1963 ।

फ़िहरिस्त-ए-मदारिस-ए-अरबीयः, कलकत्ता, अंजुमन निदा-ए-इस्लाम, 1969, 1970 ।

- फैजी, आसफ ए० ए० : केसिज इन मुहम्मदन साँचोंक इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, आँवसफोर्ड 1965 ।
- _____ ए मॉडर्न एप्रोच टु इस्लाम, बम्बई, एशिया, 1963 ।
- _____ आउटलाइन्स आँक मुहम्मदन साँचे, आँवसफोर्ड, तृतीय प्रावृति, 1964 ।
- _____ द रिफ़ाम आँक मुस्लिम पर्सनल साँचे इन इण्डिया, बम्बई, नचिकेता, 1971 ।
- महमूद, ताहिर : फ्रैमिली साँचे रिफ़ाम इन मुस्लिम बल्डे, नई दिल्ली, इण्डियन साँचे इस्टिच्यूट, 1972 ।
- मुजीब, एम० : द इण्डियन मुस्लिम्स, सन्दर्भ, जार्ज एलग एण्ड अन्विन, 1967 ।
- _____ इस्लामिक इन्डियन्स आँक इण्डियन सोसायटी, मेरठ, मीनाक्षी, 1972 ।
- मेलैण्ड, बनाधि ई० : द सिखयुलराइजेशन आँक मॉडर्न कल्चर, न्यूयार्क आँवसफोर्ड, 1966 ।
- रजा खाँ, मुहम्मद : हृष्ट प्राइस फ्रीडम : ए हिस्टोरिकल सर्वे आँक द पोलिटिकल ट्रैडिस एण्ड कण्डीशन लीडिंग टु इण्डियेंडेंस एण्ड द वर्थ आँक पाकिस्तान एण्ड आफ्टर, मद्रास, द नूरी प्रेस, 1969 ।
- राय, शान्तिमय : रोल आँक इण्डियन मुस्लिम्स इन द फ्रीडम सूबमेंट, नई दिल्ली, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, 1970 ।
- लतीफी, दानियाल : जनन्त आँक कास्टिच्यूनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज मे । मुस्लिम पर्सनल साँचे रिफ़ाम, नई दिल्ली 4/1, जनवरी-मार्च, 1970 ।
- शम्स तबरेज साँचे : मुस्लिम पर्सनल साँचे और इस्लाम का भाली निकाम, लखनऊ, भजलिस तहकीकात-ओ-नशरियात-ए-इस्लाम (दारुल-उलूम नदवतुल-उलमा), 1970 ।
- शास्ट्र, जे० : इंट्रोडक्शन टु इस्लामिक साँचे, आँवसफोर्ड, 1964 ।
- शाह, ए० बी० : चिलेजिज टु सिखयुलिमरिज्म, बम्बई, नचिकेता, 1968 ।
- _____ कौ-स्लॉटर : हॉर्स आँक ए डिलेमा, बम्बई, 1967 ।
- स्टडी आँक रिलिजन इन इण्डियन प्रूनिवासिटीज (सितम्बर 1967 मे बैंगलोर में हुए सताह-मशविरे की रिपोर्ट), बैंगलोर, 1969 ।
- स्मिथ, डॉनल्ड यूजीन : इण्डिया एज ए सिखयुलर स्टेट, आँवसफोर्ड, 1963 ।
- स्मिथ, विल्फ्रेड कैटवेल : इस्लाम इन मॉडर्न हिस्ट्री (मेंटर बुक) 1964 ।
- _____ द मीनिंग एण्ड एँड आँक रिलिजन (मेटर बुक) 1964 ।
- _____ मॉडर्नाइजेशन आँक ए इंडीशनल सोसायटी, बम्बई, एशिया, 1965 ।

- स्मार्ट, नितियन : सिवयूलर एजुकेशन एण्ड द लॉजिक आँफ रिलिजन, लन्दन,
फेब्रुअरी १९६८ ।
- सभली, मुहम्मद बुरहानुदीन : इयत-ए-हिताल का मसला : अल्ल-ए-हाजिर के
वर्सेल और तरशिक्यात की रोशनी में, लखनऊ, लखनऊ मजलिस तहकी-
कात-ए-शरीयः, नदवतुल उलमा, १९७१ ।
- सिन्हा, वी० (सं०) : सिवयूलियरिज्म इन इण्डिया, बम्बई, लालबानी,
१९६८ ।
- हक, मुशीर-उल, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मॉडन इण्डिया, मेरठ, मीनाक्षी,
१९७० ।
- हस्सनैन, एस० ई० : इण्डियन मुस्लिम्स : चेलेज एण्ड अपॉरन्युनिटी, बम्बई,
लालबानी, १९६८ ।
- हुसैन, एस० आविद : द डेस्टिनी आँफ इण्डियन मुस्लिम्स, बम्बई, एशिया,
१९६५ ।
- — — — — इण्डियन कल्चर, बम्बई, एशिया, १९६३ ।
- — — — — द नेशनल कल्चर, बम्बई, एशिया, १९६१ ।

पत्रिकाएँ

- अजाइम, लखनऊ
अल-जमीयत, दिल्ली
अल-फुरक्कान, (लखनऊ)
इस्लाम एण्ड द मॉडन एज, नई दिल्ली
इस्लाम और अल-ए-जदीद, नई दिल्ली
इस्लामिक थॉट, अलीगढ
क्वेस्ट, बम्बई
क्रायद, इलाहाबाद (बन्द हो चुका है)
जामिया, नई दिल्ली
दावत, दिल्ली
निदा-ए-मिलत, लखनऊ
बुरहान, दिल्ली
मारिफ, आजमगढ
रेडिएन्स, दिल्ली
सिवयूलर डिमोक्रेसी, नई दिल्ली
सिद्दक-ए-जदीद, लखनऊ
तामीर-ए-हथात, लखनऊ
ह्यूमेनिस्ट रिव्यू, (बम्बई)

अनुक्रमणिका

- अजगल खाँ, मुहम्मद 89
 अबुल-अला मौद्दी 19, 29 टिप्पणियाँ
 अब्दुर्रहमान, शम्सुल-उल्लामा मौलाना 31 टिप्पणियाँ
 अब्दुर्रहीम, मुफ्ती संयद 90
 अब्दुल्ला बुखारी, नायब-इमाम मौलाना संयद 61
 अमीर अली, संयद 12, 13
 'अर्ध-धार्मिक प्रदालतें' 80
 अल-अजहर (काहिरा) विश्वविद्यालय 44
 'अल-जमीयत' 100
 अलीगढ़ विश्वविद्यालय 45
 अली नदी, मौलाना अबुल-हसन 56
 अशरफ़ अली, मौलाना मुहम्मद 31
 असद मदनी, मौलाना संयद 29 टिप्पणियाँ
 अंसारी, ए० इकबाल 91
 अहमद अजमेरी, मौलाना शाह मुहम्मदन 84
 अहमद काजिमी, काजी मुहम्मद 72
 अहमद कासिमी, मौलाना अल्लाक 32 टिप्पणियाँ
 अहमद निजामी, प्रो० रत्नीक 33 टिप्पणियाँ
- अहने-किताब 22
 आजाद, मौलाना अबुल-कलाम 12, 13, 33 टिप्पणियाँ, 51, 89
 आधुनिक-ज्ञान 52, 'हाँगी आधुनिकता-वादी' 73, मुस्लिम देश 76, 'नामधारी आधुनिकता' 86, आधुनिकता—तद्य नहीं, एक प्रक्रिया 95
 आविद हुसैन, संयद : धर्म-तिरपेक्षता का धर्म 17, 86 टिप्पणियाँ, 102 टिप्पणियाँ
 आतिम—एक दिग्री 43
 'इण्डो-मुस्लिम' संस्कृति 94
 इस्लाही, मौलाना सदरुद्दीन 91
 उद्दुल्लाह सिधी, मौलाना 12
 उवेराय, जे० पी० सिंह 87 टिप्पणियाँ
 उद्दू-भाषा का प्रचार-प्रसार 49
 उलमा इस बात पर सहमत कि राजनीति और धर्म को अलग रखा जाय 12, 13, राष्ट्रवादी 27, 34 की दृष्टि में किन्तु ही प्रामाणिक याधार 58, का प्रभाव 65, इरा धरू में विवाह-संग प्रधिनियम का स्वागत, किरवहिकार

- 78, मध्ययुगीन शिक्षा पाये 92, 94,
102
- जीवन और सम्पत्ति का बीमा 63
- कांग्रेस 52
- ‘कासिम-उल-उलूम’ 35
- कासिम, मौलाना मुहम्मद 35
- ‘किरपान सभी सिख लगाकर नहीं
चलते 75
- कोन्ह, बर्नार्ड एस० 103 टिप्पणियाँ
- खड़दूरी, मजीद 32 टिप्पणियाँ
- ‘खानदानी मंसूबावन्दी : कुरान और
हड्डीस की रोशनी में’ किसने लिखा,
किसने प्रकाशित किया ? 104
- खण्डवाला, कुमारी कपिला 87
टिप्पणियाँ
- खुदमीरी, एस० आलम 103 टिप्पणियाँ
- गडकर, गजेन्द्र : धर्म-निरपेक्षता की
व्याख्या 17, 30 टिप्पणियाँ
- गांधी, महात्मा 30 टिप्पणियाँ, द्वारा
धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू पर
जोर 30 टिप्पणियाँ
- गेर-मुस्लिम इस्लामियत के मूल आधार
से अपरिचित 98
- चटर्जी, एन० सी० 85 टिप्पणियाँ
- छागला, एम० सी० 90
- छात्रों की संख्या—वार्षिक प्रगति 48,
विदेशी छात्रों की संख्या 49
- जमान्त्रे इस्लामी (हिन्द) 20
- जामिया मिलिया इस्लामिया 44
- तखस्सुस—एक डिप्री 43
- सैयदबजी 90
- दर्यावादी, मौलाना अब्दुल माजिद 32
- टिप्पणियाँ, 33 टिप्पणियाँ, 102
- टिप्पणियाँ
- दारुल-इरशाद 51
- दारुल-इस्लाम 31 टिप्पणियाँ
- दारुल-उलूम नदवतुल-उलमा 43, 47,
50, 90
- दारुल-हवं 31 टिप्पणियाँ
- देवबन्द का पाठ्यक्रम 40, 47
- दोहरे मानदण्ड 97, धर्म-निरपेक्षता
का हर समर्थक इसका अपराधी 102
- धर्म-निरपेक्षता में इस्लाम का चित्र 11,
- धर्म-निरपेक्ष नहीं, धर्म-परायण 11,
- एक अस्पष्ट घेय 12, धर्म-निरपेक्ष
राज्यसत्ता स्वीकार्य 14, भारतीय
प्रसंग में अर्थ क्या है ? 16, एक
आस्था या सुविधाजनक नीति 19,
- जमान्त्रे इस्लामी (हिन्द) के विचार
20, धर्म-निरपेक्ष राज्यसत्ता 24, के
बारे में मुसलमानों के तीन तरह के
विचार 24, और भारतीय मुसलमान
27, और छढ़िवादिता 75, धर्म के
प्रति विरोध की भावना ? 92,
—वादियों पर शक 93, एक प्रक्रिया
95, 96, साम्रादायिक कमज़ोरियों पर
काढ़ा पाने में असफल 99, 101
- धार्मिक और धर्म-निरपेक्ष की विभाजन
—रेखा अस्पष्ट 14, धार्मिक शिक्षा 36

- पर व्यय की गयी धनराशि 46,
पद-प्रदर्शन 56, यन्त्रणा 61
- नज़मुल हसन 103
ननकाना साहब 107
नदवी, मौलाना मुजीबुल्लाह 65
टिप्पणियाँ
नदवी, मौलाना शाह मुइंगुदीन मुहम्मद
85
नदवी, मौलाना संघद सुलेमान 12
नारंग, डॉ गोकुलचन्द 85 टिप्पणियाँ
निजामी पाठ्यक्रम 38, 40
निजामुद्दीन, मुल्ला 38
नेहरू, जवाहरलाल 30 टिप्पणियाँ,
बढ़ते हुए धार्मिक तत्व पर चिन्ता
30 टिप्पणियाँ
नौमानी, रशीद 103 टिप्पणियाँ
नौमानी, अल्लामा दिवती 50
नौमानी, मौलाना मुहम्मद मंजूर 32
टिप्पणियाँ
- परस्पर सम्बद्ध और संकाएँ गहराती
चली गयी 95, हिन्दुओं को 'शरणार्थी'
और मुसलमानों को 'धुसरैठिये'
समझा जाता है 101
परिवार-नियोजन 59
पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों के दो
प्रकार 38, 40, इतिहास की एक
पुस्तक के पाठ 103 टिप्पणियाँ
- फतवा 57, दाखल-इपुत्रा द्वारा सात में
छः हजार से अधिक फतवे 64
फिरुह 58
फ़ारूकी, जिया-उल-हसन 85 टिप्पणियाँ
- फाजिल—एक हिंदी 43
फ़ैज़ी, प्रो॰ आसफ ए॰ ए॰ 74, 89,
90, 97
फ़ैज़ी साहब 53, 86 टिप्पणियाँ
- वर्नाड ई॰ मीतेंड 84
वहरुल-उल्लमी, मुहम्मद कामिल 32
टिप्पणियाँ
वेग, एम॰ आर॰ ए॰ 103
वेदार, आविद रजा 102
- भारतीय मुसलमान—दुविधा में 28
भारतीय राष्ट्र के साथ एकाकार हो
जाने का उत्तरा 93, के जीवन को
'मूल धारा' 94, यह 'मूल धारा' क्या
है ? 94, भारतीय नागरिक की
हैतियत से बोलता या लिखता लगभग
प्रसम्भव 96, मुसलमान मूल धारा के
प्रति उदासीन वयों 100
- भारतीय संविधान : व्याख्या—धार्मिक-
राजनीतिक नेताओं द्वारा 21
- मदरमा—मरकारी नियन्त्रण सर्वथा
उत्सुकत 13, 34, 44, 45, बहुभाषीय
और बहु-जातीय 49, पाठ्यक्रम का
आधुनिक होना 50, में अंग्रेजी 51, के
छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है 52
मदनी, मौलाना मुहम्मद असद 33
टिप्पणियाँ
- मदीना विश्वविद्यालय 44
मज़मा अल-बुहूस-इस्लामिया 90
मज़लिसे-तहकीकाते-शरीयः 63
मज़लिसे-नदवतुल-उलमा 50
मज़ाहिर-उल-उलूम 35

- मियाँ, मौलाना मुहम्मद 89
 मुजीब, प्रो० एम० 32 टिप्पणियाँ, 103
 टिप्पणियाँ
 मुनीर, मुहम्मद 30 टिप्पणियाँ
 मुश्ताक अहमद, भीर 32 टिप्पणियाँ
 मुस्लिम शिक्षा-पद्धति 34
 मुहम्मद इसहाक, मौलाना 65
 टिप्पणियाँ
 मुस्लिम पर्सनल लॉ 81, परिवर्तनों का
 क्रमिक विकास 81, 83, 84
 टिप्पणियाँ, 87 टिप्पणियाँ
 मुहम्मद पैगम्बर 21
 मुस्लिम विवाह-मंग अधिनियम 72, 78
 मुहम्मद शफी, मुफ्ती 31 टिप्पणियाँ
 मोहसिन-उल-मुल्क 12

 यूसुफ बनाम सौरभा 90

 राधाकृष्णन, सर्वपली : धर्म-निरपेक्षता
 की व्याख्या 17

 लतीफी, दानियाल 90, 91
 लाटरी 62
 लोखण्डवाला, एस० टी० 87 टिप्पणियाँ

 वली उल्लाह, शाह 13
 विचारों का आदान-प्रदान—मुसलमानों
 ओर गेर-मुस्लिमों के बीच अभाव 95
 विदेशी-मुद्रा 60
 'विवाह-मंग का करारनामा' 82
 विशेष विवाह अधिनियम : 1954, 75

 शाह, ए० बी० 89, 97, 98, 99, 102
 टिप्पणियाँ, 103 टिप्पणियाँ
 शक्ति, ए० बी० 99
 'शरीअः' 14, 15, 23, 32 टिप्पणियाँ,
 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79,
 83, 93

 सईद अहमद अकबरावादी, मौलाना
 31 टिप्पणियाँ
 संभली, मौलाना अतीकुर्रहमान 31
 टिप्पणियाँ, 32 टिप्पणियाँ, 65
 टिप्पणियाँ, 85 टिप्पणियाँ
 समान व्यवहार-संहिता 71
 सर संयद 12, 13
 सिद्दीकी, मुहम्मद भजहरुदीन 89
 सिन्हा, बी० के० 103 टिप्पणियाँ
 स्मिथ, विल्फ्रेड कैटवेल 30 टिप्पणियाँ,
 67 टिप्पणियाँ, 103 टिप्पणियाँ
 सेनपुलरिज्म एक अभारतीय धारणा
 ओर शब्द 12, ला-दीनियत या गेर-
 मजहबियत (अधर्म) ? 12, शाँकस-
 फोड़ इंग्लिश डिवशनरी की परिभाषा
 16, धर्म के प्रति उदासीनता ? 92

 हबीब, इरफान 102
 हबीब, प्रो० मुहम्मद 33 टिप्पणियाँ,
 86 टिप्पणियाँ, 86
 हामिद अली, मौलाना संयद 91
 हिदायः 58
 हिन्दू कोड बिल 71, 84 टिप्पणियाँ
 हिफजुर्रहमान, मौलाना 31 टिप्पणियाँ
 हुसैन, डॉ० यूसुफ 85 टिप्पणियाँ

